खण्ड-215, अंक-3
बुधवार, 19 श्रावण, शक संवत् 1882
(10 अगस्त, 1960 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 215 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६१

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

LEGISLATURE LIBRARY
OCT 1960
U.P. LUCKNOW

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, १० अगस्त, १९६०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३६०

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
आनन्दब्रह्मशाह, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काजीचरण अग्रवाल, श्री
किशनसिंह, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनशीलाल चौधरी, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री

गुप्तारसिंह, श्री
गंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जरगाम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर, आचार्य
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराज, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री

बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद सुलेमान अंधमी, श्री
मूलचन्द, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामआधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री

रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमीसिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभानाथ, श्री
श्यामनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर

सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीश्चन्द्र श्रष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री, श्री महावीरसिंह, भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, १० अगस्त, १९६०

अल्पसूचित तांराकित प्रश्न

गन्ना विकास सहकारी समितियों को प्रेषित कटौती आदेश का निलम्बन

**१—श्री राघवेन्द्र प्रतापसिंह (जिला गोंडा) श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा) तथा कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—क्या सरकार ने गन्ना विभाग द्वारा प्रदेश में समस्त गन्ना विकास सहकारी सोसाइटीज को कोई ऐसा आदेश दिया है जिसके फलस्वरूप शिक्षा और चिकित्सा-कार्य के लिये सदस्यों की इच्छा और सोसाइटी के प्रस्ताव होते हुये भी सोसाइटी कोई कटौती सदस्यों के प्राप्त मूल्य में से न करे ?

सहकारिता उपमंत्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)—यह आदेश निलंबित कर दिया गया है ।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि यह निलम्बन का आदेश संबंधित अधिकारियों के पास भेज दिया गया है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—जी हां ।

श्री बलदेवसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो आदेश निलम्बन का दिया गया है उस आदेश को जारी किस अधिकारी ने किया था और किस आधार पर ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—वह सरकार की तरफ से ही जारी हुआ था । जब सरकार के पास इस विषय में कुछ शिकायतें आयीं कि इस प्रकार की कटौती का दुरुपयोग हो रहा है तो सरकार ने मुनासिब समझा कि उसको रोक दिया जाय ।

श्री बलदेवसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो सरकार के पास शिकायतें पहुंची थीं कि इसका दुरुपयोग हो रहा है वह शिकायत अब दूर हो गयी है और क्या सरकार ने उसकी जांच कर ली है ?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—इसको हटा देने से फायदा ज्यादा होगा और रहने से नुकसान होने का अन्देशा था ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह आदेश निकाला किस लिये गया था ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—मैं उत्तर दे चुका हूं कि कुछ शिकायतें आयी थीं उनकी जांच के लिये और वे शिकायतें फिर न आयें इसलिये यह आदेश निकाला गया था, लेकिन जनहित में विचार करके उसको फिर निलम्बित कर दिया गया ।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—क्या माननीय मंत्री जी निलम्बन आदेश पढ़ कर सुनाने की कृपा करेंगे ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—आदेश तो यही भेजा है कि जनहित में इसको फिलहाल निलम्बित किया जाता है और आवश्यकता हुई तो फिर इस पर विचार कर लिया जायगा ।

श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई)—क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि इस आदेश में यह भी लिखा गया है कि केवल डेवलपमेंट कार्य के लिये ही कटौती की जा सकती है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—जिस आदेश का माननीय सदस्य ने जिक्र किया है वह पुराना है । उसी को निलम्बित किया गया है ।

श्री अध्यक्ष—वह तो कहते हैं कि उसमें यह है कि केवल विकास काम के लिये ही कटौती काटी जाय ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—उस आदेश में यह था कि केवल सहकारी शुगर मिल के लिये कटौती काटी जाय और जो कोई और विशेष कटौती काटी जाय तो उसके लिये सरकार से स्वीकृति ले ली जाय ।

तारांकित प्रश्न

महेश्वरी देवी जूट मिल, कानपुर में हत्या तथा मजदूरों का बैठकी प्रतिकर

*१—**श्री उमाशंकर शुक्ल** (जिला कानपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कानपुर महेश्वरी देवी जूट मिल में १ अप्रैल, १९५९ से लेकर ३१ अगस्त, १९५९ तक कितने कर्मचारियों को प्लेआफ के कारण काम से लौटाया गया है ? क्या उन्हें प्ले आफ कम्पेन्सेशन कानून के मुताबिक प्लेआफ के दिनों का पैसा दे दिया गया है ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—कथित अवधि में मिल में प्रतिदिन कर्मचारियों को प्ले आफ किये जाने की संख्या परिशिष्ट (क) में उल्लिखित है जिसकी प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

सेवायोजकों के कथनानुसार बैठकी का प्रतिकर पाने के अधिकारी श्रमिकों को उसका भुगतान कर दिया गया है जिसके विरुद्ध श्रमिकों की ओर से कोई शिकायत नहीं की गई है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २८७-२८८ पर ।)

*२—**श्री उमाशंकर शुक्ल**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या महेश्वरी देवी जूट मिल, कानपुर में जुलाई-अगस्त, १९५९ में किसी मजदूर की हत्या कर दी गई है ? यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कहा जाता है कि ८ अगस्त, १९५९ को मिल के अन्दर कुछ मजदूरों ने एक श्रमिक पर आक्रमण किया, श्रमिक को चोट आई और उसका देहान्त हो गया। दो व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया। अतिरिक्त सेशन्स जज ने २३-५-६० को निर्णय दिया, जिसमें दोनों व्यक्तियों को समुचित गवाही न मिलने के कारण छोड़ दिया गया है।

*३—**श्री उमाशंकर शुक्ल**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि महेश्वरी देवी जूट मिल, कानपुर में १ जनवरी, १९५९ से लेकर अगस्त, १९५९ तक कितने मुस्तकिल एवजीदारों को काम न देकर डेढ़ रुपया रोज पर नये मजदूरों को भर्ती किया गया है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—श्रमिकों में मुस्तकिल एवजीदारों की कोई श्रेणी नहीं होती। प्रश्न के दूसरे भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता।

श्री उमाशंकर शुक्ल—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने जो पहले प्रश्न का उत्तर दिया है उसकी सूचना का आधार क्या है, यानी वह उन्हें मिल मालिकों के कथनानुसार प्राप्त हुई, या अपने लेबर डिपार्टमेंट को जांच के आधार पर प्राप्त हुई?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जो सूचना लेबर विभाग मिल मालिकों से जमा करता है और जिसको ठीक समझता है उसको वह हमारे पास भेजता है, उसी के आधार पर उत्तर दिया गया है।

श्री उमाशंकर शुक्ल—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी मेरी प्रार्थना पर इस बात की जांच कराने की कृपा करेंगे कि जिन हजारों मजदूरों की सूची, संलग्न तालिका में दी गयी है, उनको एक पैसा भी कानून के मुताबिक नहीं दिया गया है?

डाक्टर सपूर्णानन्द—मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि अगर ऐसा होता तो कोई मजदूर शिकायत तो करता। आज तक किसी मजदूर ने तो शिकायत की नहीं, इसलिये कोई जांच का प्रश्न नहीं उठता।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि जो वहां पर दुर्घटना हुई है वह वहां पर जो मजदूर संघटन है उसके आपसी स्पर्धा के कारण है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस संबंध में मैं कुछ नहीं जानता, जब अदालत का फैसला हो गया तो मैं क्या कह सकता हूं।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—जिस मजदूर की हत्या कर दी गयी है, क्या माननीय मुख्य मंत्री उसके घर वालों को कुछ मुआवजा देने की कृपा करेंगे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—गालिबन नहीं दे सकते क्योंकि मिल वालों का तो उससे कोई संबंध था नहीं वह तो आपसी झगड़े के कारण हत्या हुई थी। आपसी फौजदारी में अगर कोई मारा जाता है तो उसके लिये कोई मिल वाला दोषी नहीं हो सकता।

चीनी मिल मजदूरों का बकाया बोनस

*४—**श्री मदन पांडेय** (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १९५८-५९ के सीजन के लिये सरकारी गजट द्वारा राज्य की चीनी मिल मजदूरों को बोनस दिये जाने की जो घोषणा की गई है उसे राज्य की किन-किन चीनी मिलों ने कार्यान्वित किया है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—राज्य की सभी मिलों ने कार्यान्वित कर दिया है। कुछ मिलों के पास कुछ रुपया अभी बांटने को रह गया है उसका कारण मुख्यतः सीजनल कर्मचारियों का उपलब्ध न होना है।

*५---श्री मदन पांडेय---जिन चीनी मिलों ने अब तक उसे कार्यान्वित नहीं किया है उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री मदन पांडेय---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी उन मिल मालिकों की सूची बतायेंगे जिनके पास रुपया पड़ा रह गया है और वह बांटा नहीं गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---आसानी होती अगर माननीय सदस्य किसी खास मिल के बारे में पूछते, वैसे किसी के पास १०० है किसी के पास २०० बकी है, किसी के पास हजार है, किसी के पास १,२०० है । तो इस तरह से अलग-अलग बकाया है ।

श्री मदन पांडेय---माननीय मुख्य मंत्री जी जिसके पास सबसे बड़ी रकम हो उसका नाम बता दें ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---सबसे बड़ी रकम जहां तक मैं देख सका हूं वह है--गंगा शुगर मिल कारपोरेशन, देवबन्द, सहारनपुर । उनके पास करीब ११ हजार रुपया बाकी है ।

श्री मदन पांडेय---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब सन् १९५८-५९ के बोनस की घोषणा सीजन शुरू होने के पूर्व ही कर दी गयी थी, तो क्या कारण है कि वह रकम बाकी रह गयी और बांटी नहीं गयी जब कि उन्होंने दोबारा काम भी किया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---यह मजदूर जो वहां पर ठेकेदार की तरफ से काम कर रहे थे उनका हिसाब बनाया जा रहा था । जब वह बन जायेगा तो बोनस उनको मिल जायगा । वे लोग देने को तैयार हैं ।

श्री मदन पांडेय---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब शुगर मिल, हुगली, के पास कितनी रकम बाकी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---एक पैसा भी बाकी नहीं है ।

नैनीताल घाटी में पर्यटकों की सुविधा के लिये कार्य

*६---श्री मदन पांडेय---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि नैनीताल में टूरिस्टों को आकर्षित करने के लिये नैनीताल घाटी को अधिक आकर्षक बनाने की योजना उसके विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या सरकार उस योजना की रूपरेखा सदन के सामने रखेगी ?

नियोजन उपमंत्री (श्री सुल्तान आलम खां)---जी हां ।

अल्प आय वर्ग के पर्यटकों के ठहरने के लिये पांच लौग कैबिन्स (Log Cabins) बनाने की योजना है । रानीखेत, अल्मोड़ा तथा नैनीताल में टूरिस्ट होम (Tourist home) खोले गए हैं । रानीखेत तथा नैनीताल में अतिथि योजना (Hospitality Scheme) लागू की गई है । कौसानी में एक आवास-गृह का निर्माण करने तथा काठगोदाम स्थिति डिस्ट्रिक्ट बोर्ड डाक बंगले की मरम्मत का प्रश्न भी विचाराधीन है । नैनीताल में बस स्टैंड के समीप एक रिसेप्शन सेन्टर (Reception Centre) तथा आफिस खोलने का विचार है ।

श्री मदन पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर में जिस हास्पिटैलिटी स्कीम का जिक्र किया गया है उस स्कीम की क्या मंशा है और उससे जनता को क्या सुविधा प्राप्त होगी ?

श्री सुल्तान आलम खां—हास्पिटैलिटी स्कीम की मंशा यह है कि इन मुकामों पर जहां इसे लागू किया है—नैनीताल के अलावा और भी कई हैं—वहां पर एक लिस्ट ऐसे लोगों की तैयार कर ली गई है जोकि फारेन टूरिस्टों को पेंइग गेस्ट के तौर पर अपने यहां रख सकें या सोशल इण्टरटेनमेंट का बन्दोबस्त कर सकें। पहले यह स्कीम मैसूर गवर्नमेंट ने अपने यहां चलाई थी, फिर उसकी कामियाबी को देख कर गवर्नमेंट आफ इंडिया ने दूसरी स्टेट्स से भी यह ख्वाहिश जाहिर की कि वह अपने-अपने यहां इस स्कीम को लागू करें। चुनांचे हमने नैनीताल में और उसके अलावा कई मुकामात पर इस स्कीम को लागू किया है; मसलन आगरा, कानपुर वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ, मसूरी, अल्मोड़ा और रानीखेत।

श्री मदन पांडेय—इस उत्तर में जिन स्थानों का जिक्र किया गया है उनके अलावा कुछ और भी महत्वपूर्ण स्थान हैं जैसे मुक्तेश्वर, रामगढ़ वगैरह, क्या वहां के लिये भी कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री सुल्तान आलम खां—जहां तक इस हास्पिटैलिटी स्कीम का ताल्लुक है, यह उन मुकामात पर जिनका कि जिक्र अभी किया गया, लागू कर दी गई है। अगर इसमें कामयाबी हुई और फाइनेन्सेज एवेलेबिल हुये तो दूसरी जगहों पर भी इसको लागू किया जा सकता है। वैसे आम तौर पर जहां तक कि डेवलपमेंट का ताल्लुक है पूरी कोशिश की जा रही है कि टूरिस्ट इम्पार्टेन्स के जितने मुकामात हैं उनको हम ज्यादा से ज्यादा डेवलप करें।

श्री मदन पांडेय—अध्यक्ष महोदय, शायद माननीय मंत्री महोदय मेरे प्रश्न को समझ नहीं पाये, मैंने यह पूछा था कि मुक्तेश्वर और रामगढ़ जैसे दूसरे जो महत्वपूर्ण स्थान हैं जहां पर कि एक भी आदमी के ठहरने का कोई स्थान नहीं है क्या वहां के लिये भी कोई योजना है ?

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या हास्पिटैलिटी स्कीम के अलावा भी कोई और योजना है ?

श्री सुल्तान आलम खां—जो स्कीम थी वह बतला दी। अब और भी ऐसे मुकामात हो सकते हैं जहां कि हम ठहरने का प्रबन्ध करें, लेकिन दिक्कतें हैं। पैसा कम होने की वजह से हम रफ्ता-रफ्ता आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—रानीखेत में भी कुछ व्यवस्था की जा रही है इसलिये वहां पर यात्रियों को जो पीने के पानी का बड़ा कष्ट होता है उसके लिये भी कुछ प्रबन्ध किया जा रहा है ?

श्री सुल्तान आलम खां—अभी तक ऐसा कोई सवाल हमारे सामने नहीं आया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या सरकार के पास अनेक लोगों की ओर से ऐसी योजनायें आई हैं कि अगर सरकार उनको सस्ते ऋण के तौर पर कर्जा दे दे तो वह स्वयं यात्रियों की सुविधा के लिये रामगढ़, कौसानी आदि जगहों पर होटल वगैरह खोलें ?

श्री सुल्तान आलम खां—तीसरे प्लान में सोचा जा रहा है कि इस तरह के प्लान पर विचार किया जाय।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो ५ लौग कैबिन्स बनाने का विचार है, यह नैनीताल में बनाने का विचार है या भीमताल या नौकुचिया ताल में या कहां पर ?

श्री सुल्तान आलम खां—अभी ठीक जगह नहीं मिल सकी है। अगर माननीय सदस्य कुछ मदद कर सकें तो मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूंगा। जैसे ही ठीक और मुनासिब जगह मिल जायगी, इनको बनाने का काम शुरू कर दिया जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी——क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रोपवे लगाने की जो योजना केमिल्स बैंक तक थी, जिसके लिये असेम्बली से रुपया मंजूर हो चुका है, उसके अभी तक न लगने का क्या कारण है ?

श्री सुल्तान आलम खां——रोपवे लगाना तो बहुत दिनों से विचाराधीन है, लेकिन उसमें काफी रुपया लगेगा। उसके बारे में अभी फैसला नहीं हो सका है इसलिये कि पैसा नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी——मैं दिखला दूंगा कि बजट में असेम्बली से रुपया मंजूर हो चुका है। नैनीताल में फ्लैट से लेकर चीना पीक के पास केमिल्स बैंक तक रोपवे के लिये।

श्री अध्यक्ष——मैं समझा कि मसूरी के लिये आप कह रहे हैं चूंकि केमिल्स बैंक वहां भी है।

श्री मदन पांडेय——चीना पीक पर ६ पैसे गिलास जो पानी बिकता है उसे बन्द करके क्या टूरिस्ट योजना में अच्छा सस्ता पेय जल देने की बात है ?

श्री सुल्तान आलम खां——टूरिस्ट्स की सुविधा के लिये बहुत सी चीजों की जरूरत है, लेकिन पैसे की कमी के कारण सारी बातें एक साथ होना कठिन हैं।

मास्टर क्राफ्ट्समैन नियुक्ति योजना

*७—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (जिला सीतापुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हस्तशिल्पों के जापानी विशेषज्ञ १९५९ के अक्तूबर माह में जब लखनऊ पधारे थे तो उनके परामर्श के अनुसार क्या राज्य के मुख्य हस्तशिल्पों के लिये शिल्प गुरुओं (मास्टर क्राफ्ट्समैन) की नियुक्ति की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द——जी हां।

*८—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**——यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या उपर्युक्त योजना १९६०-६१ के वित्तीय वर्ष में कार्यान्वित की जायगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द——जी हां।

*९—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**——क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उक्त योजना पर वित्तीय वर्ष १९६०-६१ में कितना धन व्यय होगा और उससे क्या-क्या लाभ होंगे और कितने शिल्प गुरुओं की नियुक्ति की जायगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द——सन् १९६०-६१ में इस योजना पर ६,७०० रुपया व्यय होने का अनुमान है। योजना के अन्तर्गत दो मास्टर क्राफ्ट्समैन नियुक्त होंगे जो १० एप्रैन्टिसों को दो शिल्पों का प्रशिक्षण देंगे।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी——क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस योजना की वे मुख्य बातें बताने की कृपा करेंगे कि जिन पर जापानी विशेषज्ञों से परामर्श हुआ ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द——जापानी विशेषज्ञों ने कहा है कि जापान में भी मास्टर क्राफ्ट्समैन, जिनको यहां कहा है शिल्प गुरु, होते हैं और उनको प्रोत्साहन दिया जाता है। उसके अनुसार हम भी उनको कुछ रुपया देते हैं और उनसे यह शर्त है कि उनकी सब विद्या, जो मास्टर लोग किसी को सिखाते नहीं हैं वह भी, उन्हें सिखानी होगी।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी——जिन्हें प्रशिक्षण प्राप्त होगा क्या उन्हें सरकार द्वारा स्टाइपेंड भी दिया जायगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द——प्रशिक्षण काल में उन्हें २५ रुपये माहवार स्टाइपेंड देते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि कौन से मुख्य हस्तशिल्पों को छांटा गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—खास तौर से मुरादाबाद का पीतल के बर्तनों का रोजगार है और खिलौने बनाने का है।

तृतीय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत सहकारी चीनी मिलें

*१०—**श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ६ सहकारी बड़ी चीनी मिलें नयी स्थापित करने की योजना तृतीय पंचसाला योजना में है ? यदि हां, तो कहां-कहां ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस प्रदेश के ६-७ जिलों में सहकारी चीनी मिलें लगाने का आयोजन है। प्रस्तावित स्थानों का विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २८९ पर)

*११—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या इंदारा जिला आजमगढ़ में सहकारी चीनी मिल खोलने के हेतु जिलाधीश, आजमगढ़ से कोई राय मांगी गई है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं। वास्तविकता यह है कि इस क्षेत्र के कुछ गन्ना उत्पादकों के सुझाव पर इस स्थान पर सहकारी चीनी मिल लगाने के लिये जिलाधीश, आजमगढ़ द्वारा प्राप्त प्रार्थनापत्र केंद्रीय सरकार के पास लाइसेंस देने की सिफारिश के साथ भेज दिया गया है।

*१२—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या २१ जनवरी, १९६० को जिलाधीश, आजमगढ़ ने जिले के सम्मानित व्यक्तियों की बैठक बुलाकर ७।। लाख रुपये का हिस्सा जिले से खरीदने का बचन सरकार को दिया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—२१ जनवरी, १९६० को जिलाधीश, आजमगढ़ ने इंदारा में सहकारी चीनी मिल लगाने के विषय पर विचार करने हेतु जिले के सम्मानित व्यक्तियों की एक बैठक आजमगढ़ में बुलाई थी और इसमें यह निश्चय हुआ कि यदि सहकारी मिल स्वीकृत हो जाय तो इस क्षेत्र से ७।। लाख रुपये के हिस्से क्रय करने का प्रयास किया जायगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लाइसेंस देने के लिये सरकार की ओर से सिफारिश में अभी तक क्या प्रगति हुई है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—प्रगति तो अभी कुछ नहीं हुई है। केंद्रीय सरकार से लाइसेंस आने पर कुछ प्रगति कही जा सकती है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—सहकारी चीनी मिल खोलने के लिये जो धनराशि सरकार के विचाराधीन है वह कितनी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—एक सहकारी चीनी मिल के लिये १४० लाख रुपये की धनराशि का सवाल होता है। इसमें २० लाख रुपया देने की आशा उत्पादकों से की जाती है। २० लाख प्रादेशिक सरकार देती है। २५ लाख की आशा की जाती है केन सोसाइटीज से और दूसरे लोगों से जो विकास में दिलचस्पी रखते हों और बाकी ७५ लाख रुपया इंडियन फाइनेंस कारपोरेशन से मिलता है।

श्री प्रतापसिंह---क्या इन प्रस्तावित मिलो में मंझोला भी है जहां उत्पादकों ने १५ लाख रुपया जमा किया है और जो सेकिंड प्लान में लग जानी चाहिये थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां। पीलीभीत का मंझोला भी है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मुख्य मंत्री वह लिस्ट पढ़ेंगे और यह भी बतलावेंगे कि किस क्रम से ये मिलें लगेंगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---पीलीभीत में मंझोला, फर्रुखाबाद में कायमगंज, वाराणसी में अनुराई, आजमगढ़ या बलिया में इंदारा या रसरा, अलीगढ़ में हरदुआगंज, सहारनपुर में ननौता, बांदा में खुरंड और बुलन्दशहर में दादरी। हमने सबके लिये सिफारिश की है, अब केंद्रीय सरकार जिसके लिये लाइसेंस दे दे।

श्री मदन पांडेय---अंतिम रूप से इन स्थानों में चुनाव कब समाप्त हो जायगा और कब तक ये मिलें लगनी शुरू हो जावेंगी ?

श्री अध्यक्ष---उन्होंने केंद्रीय सरकार पर निर्णय छोड़ा है, वह नहीं बता सकते हैं।

श्री मदन पांडेय---इंदारा या रसरा का कब तक तय हो जायगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---कुछ लोगों का खयाल है कि इंदारा में होनी चाहिये और कुछ का खयाल है कि रसरा में होनी चाहिये। हमने दोनों का नाम भेज दिया है, अब केंद्रीय सरकार जहां भी मंजूर कर दे।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)---क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के मध्य में, कम चीनी मिल होने से वहां भी खोलने का विचार कर रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---सरकार मिल नहीं खोलती है। सहकारी आधार पर जो लोग खोलना चाहते हैं उनकी लिस्ट मैंने पढ़ दी।

श्री नारायणदत्त तिवारी---जैसे सरसावां और रामपुर चीनी मिलों में निश्चित संगठन न होने से बड़ी दिक्कत हुई उसके लिये क्या माननीय मुख्य मंत्री जी विचार कर रहे हैं कि सब सहकारी मिलों के लिये संगठन कौन होगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---हम सोच रहे हैं कि एक अफसर ऐसा कर दें जो सभी सहकारी चीनी मिलों के चार्ज में हो।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---खीरी जिले में पलिया के स्टेशन पर २० लाख रुपया किसानों ने जमा किया, उनकी दिलचस्पी को देखते हुये क्या पलिया में भी मिल खुलेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इस समय मेरे पास पलिया के बारे में कोई सूचना नहीं है। एक बात तो शायद है कि पलिया के आस पास एक या दो शुगर की मिलें हैं, लेकिन पलिया के किसानों ने कोई दिलचस्पी दिखलाई है, इसकी मेरे पास इस समय सूचना नहीं है।

विभूतिनारायण ग्लास फैक्टरी, रामनगर को सरकारी प्रबंध में लेना

*१३---**श्री ऊदल** (जिला वाराणसी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विभूति नारायण ग्लास फैक्टरी, रामनगर, वाराणसी, को सरकार कब से अपने हाथ में लेकर चलाने जा रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---सरकार ने इस कारखाने को घाटे पर लेकर चलाने का निश्चय कर लिया है पर अभी ठीक तारीख नहीं बतलायी जा सकती।

*१४—**श्री ऊदल**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मिल चालू होने पर पहले के सभी मजदूर जो इस फैक्ट्री में काम कर रहे थे, रक्खे जायेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस बात को निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि पट्टे पर इस मिल को कब लिया गया और कितने रुपये में लिया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—पट्टे की शर्तों को तय हुए ३–४ महीने हो गये। ठीक तारीख तो मैं नहीं बता सकता। प्रादेशिक सरकार इस मिल को २० वर्ष के लिये ले रही है और मुख्य शर्त यही है कि २० लाख रुपया फाइनेंस कार्पोरेशन से इस कम्पनी को कर्ज मिलेगा और यह कम्पनी उस पूरे रुपये को सरकार को लौटा देगी।

श्री ऊदल—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस मिल के ऊपर मजदूरों का भी कुछ रुपया बकाया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—प्रादेशिक सरकार ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि जिस तारीख से हम मिल को लेंगे उससे पहले का जो मिल के ऊपर कर्जा है उसकी कानूनी जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे। उस कर्जे को चाहे जैसे दावा करके आदि, वे लोग वसूल कर सकते हैं, लेकिन कानूनी जिम्मेदारी न लेते हुये भी यदि मौका होगा तो हम अपनी तरफ से दे देंगे।

श्री बेचनराम गुप्त (जिला वाराणसी)—क्या मुख्य मंत्री जी यह बतायेंगे कि पट्टे की रजिस्ट्री हो गयी है ? यदि नहीं हुई, तो कब तक हो जायगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अभी रजिस्ट्री नहीं हुई है, लेकिन उन सब बातों की लिखा-पढ़ी हो गयी है।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि आमतौर से जब कोई मिल बन्द होती है और फिर दोबारा चालू की जाती है तो पहले जो लोग काम करते रहे हैं उन्हीं को रखा जाता है ? यह सिद्धांत सभी जगह स्वीकार किया गया है, तो उस मिल में भी जो लोग पहले से काम कर रहे हैं, उनको रखने में क्या कठिनाई है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जिन लोगों की मिल होती है अगर वही लोग मिल को चलाते हैं तब तो उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी (नैतिक और दूसरी तरह की) आ जाती है, लेकिन इस केस में यह बात तो है नहीं। यहां तो दूसरा ही प्रबन्ध होने जा रहा है इसलिये इस बात का जिम्मा नहीं लिया जा सकता, फिर भी इस बात की कोशिश की जायगी कि पहले पुराने लोगों को ही लें, लेकिन प्रत्येक आदमी के लिये यह जिम्मेदारी नहीं ली जा सकती।

श्री ऊदल—जब सरकार ने ९ लाख रुपया उस मिल को चलाने के लिये दिया था तो फिर उस मिल को क्यों ठीक ढंग से नहीं चलाया गया ? तथा उस रुपये के बारे में सरकार ने क्या सोचा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उस मिल के ऊपर सरकार का भी कर्जा है और दूसरे लोगों का भी है जो ३१ लाख के करीब है। उसी के लिये हम कहते हैं कि उसकी जिम्मेदारी सरकार नहीं लेती है। वे लोग दावा वगैरा करके उससे वसूल कर सकते हैं। मिल को चलाने की लियाकत उसमें न थी, इसलिये नहीं चल सकी।

पंचायतों के लिये समाचार-पत्र खरीदने पर कथित प्रतिबंध

*१५—**श्री झारखंडेराय** (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या पंचायतों पर इस प्रकार का कोई प्रतिबन्ध है कि वे केवल पंचायत राज विभाग द्वारा स्वीकृत समाचार-पत्रों को ही अपने यहां मंगा सकती हैं, अन्य पत्रों को नहीं? यदि ऐसा है, तो क्यों?

स्वायत्त-शासन उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—जी नहीं।

श्री भीखालाल—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि उनके स्वयं जिले फैजाबाद से कोई शिकायत इस किस्म की आई है कि वहां पंचायतराज अधिकारियों ने कुछ समाचार-पत्रों के लिये यह रोक लगा दी है कि पंचायतें इस पत्र को न खरीदें क्योंकि पंचायतराज विभाग ने उसको मंजूर नहीं किया है?

श्री जयराम वर्मा—इस तरह की शिकायत तो नहीं आयी बल्कि शिकायत इसके खिलाफ थी। कुछ कर्मचारियों ने जिनको नियमों की जानकारी नहीं थी किसी विशेष अखबार को खरीदने के लिये पंचायतों पर दबाव डाला था। उनको ऐसा कह दिया गया है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या पंचायतराज विभाग ने कुछ समाचार-पत्रों को स्वीकृत कर रखा है? यदि हां, तो वे कौन-कौन हैं? उनकी सूची माननीय मंत्री जी पढ़ देंगे?

श्री जयराम वर्मा—श्रीमन्, ऐक्चुअली किसी समाचार-पत्र के लिये स्वीकृति नहीं दी जाती है। उनके पथ-प्रदर्शन के लिये यहां से पुस्तकों और समाचार-पत्रों की सूची भेजी जाती है और उनको अधिकार है कि उनमें से जिसको चाहे खरीदें या न खरीदें। उसकी सूची मेरे पास इस वक्त मौजूद नहीं है।

श्री भीखालाल—क्या यह सही है कि फैजाबाद जिले से "जनमोर्चा" नामक जो अखबार निकलता है, उसके ऊपर पंचायतराज विभाग ने रोक लगा दी है कि कोई पंचायत इस अखबार को नहीं खरीद सकती?

श्री जयराम वर्मा—इस अखबार पर कोई रोक नहीं लगाई गई है, लेकिन जैसा मैंने बतलाया कि कुछ कर्मचारियों की तरफ से इस बात की कोशिश की जा रही थी कि पंचायतें उस अखबार को जरूर खरीदें, तो उनको बतला दिया गया है कि यह काम गलत है। पंचायतें स्वतंत्र हैं कि किसी अखबार को खरीदें या न खरीदें।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—समाचार-पत्रों की जो सूची विभाग की तरफ से पंचायतों के पास भेजी जाती हैं, वह सूची किस आधार पर बनाई जाती है?

श्री जयराम वर्मा—वह सूची ऐसे समाचार-पत्र या पुस्तकों की होती है जिससे उनका नैतिक स्तर ऊंचा हो सके, जो उनको सामूहिक ढंग से काम करने में प्रोसाहन दे सके, जो उनकी खेती, सहकारिता आदि कामों के लिये उपयोगी हो, जो उनको सफाई आदि के नियमों के बारे में कुछ उनका पथ-प्रदर्शन कर सके।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—तो जो सूची विभाग के तरफ से भेजी जाती है क्या उसमें यह लिखा होता है कि इस सूची में जो समाचार-पत्र सम्मिलित हैं, उनकी ओर विशेष ध्यान रखा जाय?

श्री जयराम वर्मा—नहीं, ऐसा नहीं लिखा जाता है।

यू० पी० हैण्डीक्राफ्ट्स की क्रय समिति के पुनर्गठन की सिफारिश

*१६—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार यू० पी० हैण्डीक्राफ्ट्स की क्रय समिति के पुनर्गठन का विचार कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं ।

*१७—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार उपर्युक्त समिति में दो गैर सरकारी सदस्य नियुक्त करने का इरादा रखती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार को यह मालूम है कि लोक-लेखा समिति या उसकी किसी उपसमिति ने इस बात की सिफारिश की है कि सरकार को इसका पुनर्संगठन करना चाहिये और इसमें दो गैर सरकारी सदस्य रखने चाहिये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, ऐसी सिफारिश हुई है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस सिफारिश को मानने में उसे क्या आपत्ति या कठिनाई थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—हमने हर पहलू से सोचा और यह बात समझ में आयी कि जो लोग जिम्मेदार हैं उनके ऊपर ही संस्था को चलाने की जिम्मेदारी डालनी चाहिये । क्योंकि अगर उनके बीच में कोई नान आफिशियल आ जाता है तो उससे डिवाइड रिस्पांसिबलिटी हो जाती है और वे कह सकते हैं कि हमारी मर्जी के मुताबिक या फलां तरीके से काम नहीं हुआ । इसलिये सरकारी अहलकारों के ऊपर ही जिम्मेदारी डालना अच्छा ही होगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—चूंकि इसमें लोक-समिति का जिक्र आ गया है इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में जो सिफारिश की गयी है उसके आधार पर अपने विभाग को यह सलाह देंगे कि वे समिति के सामने अपना केस रखें ताकि समिति उस पर रिकंसीडर करे या इसके बारे में कोई सुझाव दे ? क्योंकि ऐसी पार्लियामेंटरी पद्धति या परम्परा है कि लोक लेखा-समिति के सुझाव रिजेक्ट नहीं किये जाते हैं, लेकिन रिकंसीडर के लिये विभाग उनको अपना सुझाव भेज सकता है ।

श्री अध्यक्ष—मूल प्रश्न में उसका कोई जिक्र नहीं है, उन्होंने तो पूरक प्रश्न पूछा है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—चूंकि प्रश्न पूछा गया और उसका उत्तर भी मिला, इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि जो परम्परा है कि लोक-लेखा समिति की सिफारिशें हमेशा मंजूर ही होती हैं और यदि कहीं मंजूर नहीं होतीं तो सम्बन्धित विभाग इस पर पुनर्विचार के लिये फिर प्रार्थना करते हैं, तो इस केस में मैं यही चाहता हूं कि विभाग पुनर्विचार के लिये लोक-लेखा समिति को लिखे ।

श्री अध्यक्ष—यह तो आपका सुझाव है । आप कोई प्रश्न करना चाहें तो कीजिये ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी पार्लियामेंटरी पद्धति और परम्परा को देखते हुये अपने उच्च अधिकारियों को यह आदेश देंगे कि इस सम्बन्ध में वे अपने विचार लोक-लेखा समिति के सामने प्रस्तुत करें ताकि वह इस पर पुनर्विचार कर सके या कोई सुझाव दे सके ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं नहीं कह सकता कि इस सम्बन्ध में परम्परा और नियम क्या हैं । जो भी परम्परा और नियम होंगे उनका पालन निश्चय ही होगा ।

गांव सभाओं का सामान्य निर्वाचन

*१८—श्री मोहनलाल वर्मा, श्री राजेन्द्रसिंह यादव (जिला फर्रुखाबाद) तथा श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पंचायतों के साधारण चुनाव कब तक होंगे ?

श्री जयराम वर्मा—गांव सभाओं का आगामी सामान्य निर्वाचन यथासमय करा देने की आशा है ।

श्री मोहनलाल वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस समय जो पंचायतें कार्य कर रही हैं उनकी अवधि कब समाप्त होगी और क्या बीच में चुनाव कराने का निश्चय किया गया है ?

श्री जयराम वर्मा—उनकी अवधि तो जनवरी, १९६१ तक समाप्त होगी और समय पर चुनाव कराने के लिये प्रबन्ध और कार्यवाही हो रही है, लेकिन अगर समय की कमी की वजह से और जनगणना के बीच में आने से कोई कठिनाई हुई तो शायद एक आध मास और लग जाय ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार ने निश्चय कर लिया है कि अगर यह चुनाव जनवरी, १९६१ में न हो तो वे मार्च, १९६१ तक अवश्य करा दिये जायें ?

श्री जयराम वर्मा—जी हां, ऐसा विचार है ।

प्रतापगढ़ जिले में औद्योगिक संस्थान का न होना

*१९—श्री हरकेशबहादुर (जिला प्रतापगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या वह प्रतापगढ़ के जिले में भी कोई इन्डस्ट्रियल इस्टेट कायम करने का विचार कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस समय ऐसी कोई योजना सरकार के समक्ष नहीं है ।

*२०—श्री हरकेशबहादुर—[२४ अगस्त, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

यू० पी० हैण्डीक्राफ्ट्स शो रूम, हजरतगंज की छत गिर जाना

*२१—श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव) तथा श्री ऊदल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ शहर में हजरतगंज स्थित राजकीय हैण्डीक्राफ्ट की छत गिर जाने से कितना आर्थिक नुकसान हुआ ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—गवर्नमेंट यू० पी० हैण्डीक्राफ्ट्स शो रूम हजरतगंज के बड़े कमरे की छत के एक भाग के गिर जाने से जो हानि हुई है वह जांच physical verification पूरी हो जाने के बाद ज्ञात होगी ।

श्री सजीवनलाल—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस जांच में देर होने का कारण यह है कि कुछ क्षतिग्रस्त वस्तुओं का लेखा-जोखा वहां नियमित नहीं है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं नहीं जानता कि प्रश्नकर्ता महोदय का क्या आशय है, लेकिन यदि उनको ऐसा ज्ञात हुआ है तो जहां तक मैं समझता हूं यह १६ आने गलत है ।

श्री भीखालाल—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि छत के गिरने से जो मलबा नीचे जमा हुआ था वह साफ कर के अन्दर की चीजें बाहर निकाल ली गयी हैं या नहीं ? यदि निकाल ली गयी हैं तो फिर उनका लेखाजोखा तैयार करने में क्या दिक्कत है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, वह निकाली गई हैं, लेकिन अगर माननीय सदस्य कष्ट कर के वहां कदम रखे होते तो उनको मालम होता कि वह कितनी चीजें हैं और उनका हिसाब बनाने में कितनी देर लग सकती है ।

श्री ऊदल—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो जांच हो रही है वह किसके द्वारा कराई जा रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जांच का सवाल नहीं है, वही लोग जो उसके चार्ज में हैं दफ्तर से हिसाब लगा रहे हैं कि कितना नुक्सान हुआ है ।

श्री बेचनराम गुप्त—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वहां छत गिरने से कुछ मास पहले बिजली के तार बदले गये थे और वहां नकली छत लगाई गई थी जिसमें कि ७० हजार रुपया सर्फ हुआ था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं नहीं जनता कि वहां ऐसा हुआ, हो सकता है, लेकिन कुछ तारों के बदलने से इसका क्या सम्बन्ध है ?

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि हजरतगंज राजकीय हैण्डीक्राफ्ट की छत अक्सर गिर जाती है इस बात की जांच करायेंगे कि वहां शनि की दृष्टि या दशा कैसे लग जाती है ?

श्री अध्यक्ष—शनि की दशा के पड़ने से क्या हुआ यह चीज वह नहीं बता सकेंगे, आप वह कहीं बाहर ज्योतिषी को पूछिये ।

चुर्क सीमेंट फैक्टरी में मजदूरों के मरने की दुर्घटना

*२२—श्री ऊदल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या ११ मई, १९६० को चुर्क सीमेंट फैक्टरी में एक अन्डर ग्राउन्ड टैंक का निर्माण करते समय टैंक की ऊपरी छत के बैठ जाने से ५ मजदूरों की दब कर मृत्यु हो गई तथा २ घायल हो गये ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—चुर्क सीमेंट फैक्टरी के साफ पानी की टंकी के निर्माण के सम्बन्ध में १० मई, १९६० को सांयकाल ५ बजे उसके गुम्बद के गिर पड़ने के कारण ठेकेदार के ५ मजदूरों की मृत्यु हो गई तथा एक मजदूर को हल्की चोट लगी । दुर्घटना की सूचना मिलते ही, फैक्टरी अधिकारियों ने अन्य स्थानीय अधिकारियों के सहयोग से मलवे में दबे हुये व्यक्तियों को निकालने और घायल व्यक्तियों की तात्कालिक परिचर्या का प्रबन्ध किया । दुर्घटना के कारणों तथा उसके उत्तरदायित्व की विस्तृत जांच और उनके निर्धारण करने के लिये शासन ने एक समिति नियुक्त कर दी है। मृत मजदूरों के कानूनी उत्तराधिकारियों को उचित मुआवजा दिलाने का विषय भी कम्पेन्सेशन कमिश्नर के सुपुर्द कर दिया गया है, जो उनके विचाराधीन है ।

श्री ऊदल—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो ५ मजदूर दब कर मर गये वह कहां के को रहने वाले थे और उनका नाम क्या हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसका ब्योरा मेरे पास नहीं है ।

श्री प्रतापसिंह—क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि अब तक उन मजदूरों के परिवारों को मुआवजा या मदद न दिये जाने का क्या कारण है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैंने जवाब दिया कम्पन्सेशन कमिश्नर के सामने मामला है जब फैसला होगा तभी कानूनी तरीके से अमल होगा ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगी कि उनको मुआवजा या सहायता देने का जो सवाल है वह जल्द ही तय हो जायगा और अगर कोई विलम्ब हो रहा होगा तो सरकार इस प्रकार के आदेश देगी कि विलम्ब न हो और जल्दी ही उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता दी जाय ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह मामला बहुत जल्द तय हो गया होता, लेकिन मुश्किल यह है कि जो ठेकेदार है वह इस मामले में मुकदमा लड़ रहा है और उसकी कल ११ तारीख तय हुई है। अगर मुक्दमा कल तय हो गया तो जल्दी तय हो जायगा।

श्री ऊदल—मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि जांच के लिये जो समिति बनायी है उसके कौन-कौन लोग मेम्बर हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—१—वाराणसी डिवीजन के कमिश्नर, श्री टंडन, २—श्री टी० एल० महेन्द्रा, डाइरेक्टर, चुर्क सीमेंट फैक्टरी, ३—श्री आर० डी० वर्मा, चीफ इंजीनियर, एल० एस० जी०, ई० डी० और ४—श्री पी० एन० श्रीवास्तव, सुपरिन्टेंडिंग, इंजीनियर पी० डब्लू० डी०, ५ वां सर्किल इलाहाबाद।

समथर (झांसी) को पुनः बिजली देने की प्रार्थना

*२३—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार समथर (झांसी) के उत्तर प्रदेश में विलीन होने के समय वहां बिजली की रोशनी से सम्बन्धित तारांकित प्रश्न संख्या १०४, दिनांक २४ मार्च, १९६० के उत्तर के क्रम में यह बताने की कृपा करेगी कि इतने अधिक समय में भी उक्त सत्यापन न हो सकने के क्या कारण थे तथा अब भी सत्यापन हो पाया है या नहीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—२४ मार्च, १९६० का तारांकित प्रश्न संख्या १०४ समथर राज्य के विषय में दस साल पहले की स्थिति से सम्बन्धित था। इस मामले में जिलाधीश, झांसी, प्रधान पुलिस निरीक्षक और सचिवालय के कुछ विभागों से जानकारी प्राप्त की गई थी। इन सूत्रों से प्राप्त सूचनायें कुछ अंशों में एक दूसरे से भिन्न थीं, अतएव सत्यापन करवाना आवश्यक हुआ। इस काम में समय लगना अनिवार्य था।

अब सत्यापन हो गया है। स्थिति यह है कि समथर राज्य के उत्तर प्रदेश में विलीनीकरण के समय महाराजा साहब की ओर से केवल उनके निवास स्थान पर और खास सड़कों पर बिजली की रोशनी का प्रबन्ध था।

*२४—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार समथर के उत्तर प्रदेश में विलीन होते ही वहां की बिजली का इंजन पुलिस द्वारा उठा ले जाने से सम्बन्धित तारांकित प्रश्न संख्या १०५, दिनांक २४ मार्च, १९६० के उत्तर के क्रम में यह बताने की कृपा करेगी कि सूचना एकत्र करने पर वह किस नतीजे पर पहुंची ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—समथर राज्य के उत्तर प्रदेश में विलीनीकरण से पूर्व वहां दो बिजली के इंजन थे जो समथर राज्य की सम्पत्ति थे। अतएव विलीनीकरण के बाद वह उत्तर प्रदेश सरकार की सम्पत्ति हो गये थे। क्योंकि समथर नोटीफाइड एरिया कमेटी इन इंजनों का उपयोग न कर सकी और वह बेकार पड़े थे, उनमें से एक इंजन पुलिस विभाग को वायरलेस विभाग की वर्कशाप में प्रयोग करने के लिए सरकार के आदेशानुसार दे दिया गया था।

समथर नोटीफाइड एरिया कमेटी द्वारा समथर मे बिजली की रोशनी का कोई प्रबन्ध नहीं है क्योंकि कमेटी की आर्थिक स्थिति इससे सम्बन्धित खर्च को बर्दाश्त करने में असमर्थ है।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि दूसरा इंजन भी पुलिस के कब्जे में है? यदि हां, तो उसको नोटीफाइड एरिया को न देकर पुलिस को क्यों दे दिया गया?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यदि कब्जे से मतलब ही जबरदस्ती छीन लिया हो तो सरकार की सम्पत्ति कहीं न कहीं रखनी थी इसलिये पुलिस लाइन में रखी हुई है। समथर म्युनिसिपैलिटी के पास केवल इंजन से बिजली नहीं चल सकती, कम से कम २ लाख रुपया और खर्च करना होगा क्योंकि इंजन बिल्कुल बेकार है, फिर रेकरिंग खर्चा भी उसके लिये होगा जिसके लिये समथर की म्युनिसिपैलिटी तैयार नहीं है।

श्री लक्ष्मणराव कदम—जब विलीनीकरण के समय वहां पर बिजली की रोशनी चालू थी तो क्या माननीय मुख्य मंत्री जी दोनों इंजनों को ठीक दशा में नोटिफाइड एरिया को वापस कराने के साथ-साथ रोशनी की ज्यों की त्यों व्यवस्था कराने अथवा उसके लिये वहां की नोटीफाइड एरिया कमेटी को विशेष अनुदान देने के प्रश्न पर विचार करने की कृपा करेंगे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—माननीय सदस्य को याद होगा कि उत्तर प्रदेश में विलीनीकरण के पहले समथर राज्य मध्य भारत में विलीन हुआ था। तो बीच के बिलीनीकरण के दौरान में दोनों इंजन खराब हो गये और इतने निकम्मे हैं कि मरम्मत कराने के बदले नये इंजन अगर खरीदे जायं तो ज्यादा अच्छा होगा और इसके लिये सरकार कोई अनुदान देने के लिये तैयार नहीं।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—जब इंजन इतने खराब हो गये तो रखने से और ज्यादा खराब होंगे तो माननीय मुख्य मंत्री उनको नीलाम करने या बेचने के प्रश्न पर विचार करेंगे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि कोई उनको खरीद ले, लेकिन कोई ग्राहक मिलता ही नहीं और पुराने लोहे के भाव से भी कोई खरीदने के लिये तैयार नहीं है।

*२५—श्री सजीवनलाल—[हटा दिया गया।]

*२६—श्री गोविन्द सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—[२४ अगस्त, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

समथर (झांसी) नोटीफाइड एरिया कमेटी के अध्यक्ष के विरुद्ध शिकायतें

*२७—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि समथर (झांसी) नोटीफाइड एरिया कमेटी के अधिकांश सदस्यों ने सामूहिक रूप से आवेदन-पत्रों द्वारा सम्बन्धित जिला अधिकारी तथा सरकार का ध्यान उक्त कमेटी के अध्यक्ष द्वारा लगभग एक लाख रुपये की इमारतें व जमीन अवैधानिक रूप से लोगों को ट्रांसफर कर देने तथा अन्य अनेक अनियमित कार्यवाहियां किये जाने के सम्बन्ध में आकर्षित किया है? यदि हां, तो कब?

श्री जयराम वर्मा—जी हां। प्रथम शिकायती-पत्र ३१-१०-५९ तथा दूसरा पत्र ६-४-६० को प्राप्त हुआ है। दूसरे पत्र की एक प्रति माननीय सदस्य के द्वारा १४-४-६० को भी प्राप्त हुई है।

*२८—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार उक्त इमारतों, जमीन व उन लोगों की सूची जिनको वह ट्रांसफर की गई है सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री जयराम वर्मा—केवल ३ दूकानें जिनका खसरा नम्बर १९२२/१९२३, २०८८/२०८७ तथा २१५५/१८१२ है, महाराजा समथर की पुत्री कुमारी मंजुल जू राजा के नाम में कमेटी के कागजों में दर्ज की गई हैं।

*२९—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार को पता है कि उक्त अध्यक्ष द्वारा अभी तक बजट कमेटी में प्रस्तुत न करने के कारण सब काम ठप हैं और उक्त कारणों से सदस्यों द्वारा अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है ?

श्री जयराम वर्मा—जी हां, कमेटी का बजट अभी तक पास नहीं हो सका है। कमेटी के ८ सदस्यों ने कार्यवाहक अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव रखने की सूचना दी थी परन्तु कार्यवाहक अध्यक्ष ने इस प्रस्ताव को मीटिंग में रखने की स्वीकृति नहीं दी क्योंकि यह उनकी राय में नियमानुसार न था।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त शिकायती-पत्र में लिखी गई बातों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई?

श्री जयराम वर्मा—इन शिकायतों के बारे में जांच करायी गई एस० डी० एम० से और वे शिकायतें करीब-करीब सभी सही पाई गईं। अब कमिश्नर को लिख दिया गया है कि उनको सदस्यता से हटाने के लिये वे कार्यवाही कर सकते हैं।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो दूकानें अनियमित रूप से दर्ज कर दी गई हैं उनको रद्द करने के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जयराम वर्मा—इसके सम्बन्ध में कानूनी सलाह ली जा रही है कि क्या करना ठीक होगा।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—जो ३ दूकानें अनियमित रूप से महाराजा समथर की पुत्री के नाम से दर्ज कर दी गई हैं क्या वे लगभग ८० हजार रुपये की हैं और वहां के नोटिफाइड एरिया के कार्यवाहक अध्यक्ष महाराजा साहब के खिदमतगारों में से हैं ?

श्री जयराम वर्मा—उन दूकानों की कीमत के बारे में दो शिकायती-पत्र आये हैं और उनमें दो तरह के दाम दिये हुये हैं। एक में तो ३० हजार रुपये लिखे हैं और दूसरे में ८० हजार रुपये लिखे हैं और जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं वे राजा साहब के कर्मचारी हैं।

श्री प्रतापसिंह—जिस अध्यक्ष के खिलाफ सारी बातें सही पाई गयीं उनको केवल पद से हटाया जायगा या मुकदमा भी चलाया जायगा ?

श्री जयराम वर्मा—उन्होंने जो गलत कार्यवाही की है उसके लिये पद से हटाना ही काफी होगा।

श्री प्रतापसिंह—अपने पद का दुरुपयोग तथा रुपये का गबन यह कानूनी निगाह से गलत है और सरकार ने पहले इस तरह के केस चलाये हैं तो क्या कारण है कि सरकार इस सम्बन्ध में केस नहीं चलाना चाहती ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने कहा था कि कानूनी सलाह वे ले रहे हैं।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह कानूनी सलाह अभी कितने दिन में पूरी होगी और इसकी कब से शुरुआत हुई है ?

श्री जयराम वर्मा—यह कानूनी सलाह जल्दी ही ले ली जायगी।

जौनपुर जिले में उद्योगों के लिये दिया गया ऋण

*३०—श्री राजनारायण (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला जौनपुर में कितना रुपया कितने व्यक्तियों को अलग-अलग किस-किस उद्योग के लिये डायरेक्टर आफ इन्डस्ट्रीज द्वारा १९५८-५९ में कर्ज दिया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—वांछित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ पर २९० पर)

*३१—श्री राजनारायण (अनुपस्थित)—क्या यह सच है कि उपरोक्त उद्योगों में से एक भी उद्योग स्थापित नहीं किया गया ? यदि नहीं, तो कौन-कौन से उद्योग चल रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं। जो उद्योग चल रहे हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २९० पर)

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—जो चार उद्योग पीतल व अल्यू नियम के वर्तन बनाने के, पुराने टायरों की मरम्मत करने, फर्नीचर बनाने और हड्डी की खाद बनाने के अभी तक आरम्भ नहीं हुए हैं उनसे वह रुपया वसूल कर लिया गया है या वसूल किये जाने का कोई प्रयत्न किया जा रहा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—पांच उद्योग अभी तक नहीं चले हैं। एक तो है ग्रास और अल्मूनियम के बर्तन बनाने का, इनको ८ हजार रुपया दिया गया था और यह कहा गया है कि पूरे का पूरा रुपया एक साथ जमा कर दें। दूसरा है टायर की रिट्रीडिंग का, इनको भी ८ हजार रुपया दिया गया है। उन्होंने कहा है कि उनको इस बात की इजाजत दे दी जाय कि वह वूल कार्डिग करें और वूल के कम्बल बनायें इसी रुपये से। यह मामला लोन्स ऐंड ग्रांट कमेटी के सामने जायगा, वह जैसा फैसला करेगी वैसा होगा। एक साहब को २ हजार रुपया लकड़ी का फर्नीचर बनाने के लिये दिया गया है। उनसे पूरा रुपया वसूल करने के लिये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को लिख दिया गया है। एक साहब को चमड़े के जूते और चप्पल बनाने के लिये ४ हजार रुपया दिया गया। उनसे भी यह रुपया ऐज़ एरियर्स आफ लैन्ड रेवेन्यू वसूल करने के लिये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को लिख दिया गया है। एक साहब हड्डी की मिल खोलने वाले थे। उनको १५ हजार रुपया दिया गया था। उनके खिलाफ डिस्ट्रिक्ट जज के यहां मुकदमा दायर कर दिया गया है फिनेन्शल कारपोरेशन की तरफ से।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह रुपया इन संस्थाओं को कब दिया गया था और कितने समय तक उनके पास बेकार पड़ा रहा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कब दिया गया, यह तो सवाल में ही लिखा हुआ है कि १९५८-५९ में दिया गया, लेकिन ठीक तारीख के लिये मुझे सूचना चाहिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो आजकल प्रचलित नियम हैं इनके अनुसार लोन और ग्रांट सेंक्शन होने के कितने समय के अन्दर जौनपुर जिले के इन लोगों को ये उद्योग बना लेने चाहिये थे और क्या नियमानुसार कुछ उनको एक्सटेंशन भी दिया जा सकता है या नहीं ? यदि हां, तो कितना ?

नोट—तारांकित प्रश्न ३०-३१ श्री देवनारायण भारतीय ने पूछे।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मुझे नियम याद नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि साल भर के अन्दर बनाना होता होगा ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि जिन उद्योगों के लिये रुपया दिया गया था उसके लिये कोई जमानत ली गयी थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मेरा खयाल है कि जमानत नहीं ली जाती, लेकिन यह देख लिया जाता है कि इस आदमी से रुपया वसूल हो जायगा ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १५ हजार वाले कौन साहब हैं जिन्होंने मांगने पर भी नहीं दिया और सरकार को जज के यहां नालिश करनी पड़ी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—श्री शमसुद्दीन, प्रोपराइटर, ओरियंटल बोन मिल्स, डिस्ट्रिक्ट जौनपुर ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—माननीय मुख्य मंत्री जी ने कुछ नामों को पढ़ा था उनके अलावा और व्यक्ति हैं जिनको रुपया दिया गया है, उनके नाम क्या हैं और कितना-कितना रुपया दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष—यह तो उत्तर में ही दिया होगा । प्रश्न ३० के उत्तर में दिया हुआ है । यह बहुत बड़ी फेहरिस्त है मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा कि यह पढ़ी जाय ।

प्राविधिक कर्मचारियों का वेतन

*३२—श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या इस राज्य के प्राविधिक संस्थानों (Technical Institutions) के व्याख्याताओं (लेक्चरर्रस) आदि के वेतन-क्रम सरकार द्वारा सिफारिश किये हुये वेतन-क्रम के समान हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—प्रदेश सरकार ने वेतन-क्रम सम्बन्धी कोई सिफारिश नहीं की है ।

*३३—श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उद्योग विभाग के अन्तर्गत प्राविधिक संस्थानों में प्राविधिक कर्मचारियों के कौन-कौन से पद पेंशन युक्त एवं कौन-कौन से पद पेंशन रहित हैं और क्यों ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—पेंशन युक्त तथा पेंशन रहित पदों * की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है । सरकारी आदेशों के अनुसार यह पद पेंशन युक्त तथा पेंशन रहित हैं । इस प्रश्न पर पुनः विचार हो रहा है ।

लखनऊ इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की विकास योजनाएं

*३४—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १९६० में लखनऊ नगरमहापालिका की स्थापना के पूर्व लखनऊ इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने कितनी विकास योजनाओं (इम्प्रूवमेंट स्कीम्स) को स्वीकृत करके विज्ञप्ति किया है ? ये योजनायें कौन-कौन सी हैं ? इनके उद्देश्य और लक्ष्य क्या-क्या हैं ?

---

*सूची छापी नहीं गयी ।

नोट.—तारांकित प्रश्न ३४-३५ श्री देवनारायण भारतीय ने पूछे ।

श्री जयराम वर्मा—लखनऊ इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने निम्नलिखित योजनायें टाउन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ऐक्ट, १९१९ की धारा ३६ के अन्तर्गत महापालिका की स्थापना के पूर्व १९६० में बनाईं तथा विज्ञप्ति कीं—

१—मिलिगंटोनिया एवन्यू स्ट्रीट स्कीम,

२—अशोक मार्ग डेवलपमेंट तथा स्ट्रीट स्कीम,

३—सामान्य विकास तथा रिबिल्डिंग स्कीम नखास ।

उपरोक्त योजनाओं के लक्ष्य तथा उद्देश्य की प्रतिलिपियां सूचनार्थ संलग्न हैं।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २९१ पर)

*३५—श्री उग्रसेन (अनुपस्थित)—क्या सरकार उक्त योजनाओं के एक्जीक्यूशन प्लान तथा ले आउट प्लान सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी और कृपया यह भी बतायेगी कि इन स्कीमों द्वारा कितने व्यक्ति विस्थापित होंगे और उनके पुनर्वासन की क्या-क्या योजनायें हैं ?

श्री जयराम वर्मा—एक्जीक्यूशन तथा ले आउट प्लान्स की प्रतिलिपियां सूचनार्थ संलग्न हैं। जो लोग उपरोक्त योजनाओं से विस्थापित होंगे तथा उनके पुनर्वासन का विवरण निम्नलिखित है—

(१) मिलिगंटोनिया एवन्यू स्ट्रीट स्कीम—

इस स्कीम में केवल एक प्रापर्टी श्री बुद्धिप्रकाश खन्ना की जिसमें कि ३ बिल्डिंग तथा क्वार्टर्स हैं स्कीम में एक्वायर की जायगी तथा उसको डेवलप किया जायगा। विस्थापित व्यक्तियों की महापालिका स्कीम की किसी बिल्डिंग में किराये पर पुनर्वासित किया जायगा जो कि इस आबादी के समीप हो ।

(२) अशोक मार्ग डेवलपमेंट तथा स्ट्रीट स्कीम—

इस स्कीम को एक्वायर करने से लगभग ८०परिवार विस्थापित होंगे जो कि रानी साहबा मलनापुर तथा राजा साहब जहांगीराबाद के किराये पर हैं। इस स्कीम से विस्थापित व्यक्तियों को इसी स्कीम में या महापालिका की अन्य स्कीम में जो कि इस आबादी के समीप होगी पुनर्वासित किया जायगा।

(३) सामान्य विकास तथा रिबिल्डिंग स्कीम नखास—

इस योजना में लगभग २५३ प्रापर्टीज होंगी, परिवारों की ठीक-ठीक संख्या जो कि विस्थापित होंगे मरदुमशुमारी के समय मालूम हो सकेगी। महापालिका ने यह निश्चित किया है कि विस्थापित व्यक्तियों को इसी योजना में बनाने वाले (shops-cum-residential flats) में पुनर्वासित किया जायगा ?

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २९१ पर)

श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार बतायेगी कि इन योजनाओं के कार्य रूप देने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

श्री जयराम वर्मा—अभी इसके सम्बन्ध में कोई खास काम नहीं हुआ है ।

श्री प्रतापसिंह—क्या मंत्री जी इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो लोग विस्थापित किये जा रहे हैं, पहले उनके रहने का प्रबंध किया जाय तब उनको अपनी जगह से हटाया जाय ?

स्वायत्त-शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—श्रीमन्, जो नगर महापालिका का ऐक्ट पास हुआ है उसमें प्राविधान है कि इस किस्म की स्कीम लाने पर विस्थापितों के लिये इंतजाम किया जायगा। यह जिम्मेदारी नगर महापालिका की है और वह इसको कैसे चलाना चाहती है ऐक्ट के अनुसार यह उसी को करना है और गवर्नमेंट का उससे कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री देवनारायण भारतीय—श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट नहीं किया। प्रश्न यह है कि जो विस्थापित होंगे उनको पहले बसा दिया जायगा तब उनसे जमीन ली जायगी अथवा वे पहले निकाल दिये जायेंगे और सड़क के किनारे पटरी पर पड़े रहेंगे, इसके बाद उनको मुआवजा दिया जायगा, चाहे वह कहीं बसें या न बसें, यह प्रबंध होगा ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, यह तो नगर महापालिका को देखना है। दोनों बातें हैं, पहले भी हटा सकती है और हटाने से पहले उनके लिये इंतजाम भी कर सकती है।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—क्या सरकार को ऐसी शिकायतें मिली हैं कि जो नई स्कीमें बन रही हैं उनमें से एक चांदगंज की स्कीम है जिसमें कुछ लोगों ने जो सरकारी अधिकारी हैं, जमीन को आपस में ही बांट लिया है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मैं समझ नहीं सका कि किस खास जगह से उनका मतलब है। मेरे सामने इस समय वह चीज है नहीं।

श्री गौरीशंकर राय—मेरा मतलब चांदगंज हाउसिंग स्कीम से है। उसके प्लाट बांटने के पहले कुछ लोगों ने आपस में ले लिया था। उसके सम्बन्ध में मैंने स्वयं लिखित रूप से शिकायत की और उनसे बात भी की थी।

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न सामने है नहीं।

पश्चिमी जिलों में खाद्यान्नों के बढ़ते हुये मूल्यों के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग

श्री अध्यक्ष—नियम ५२ में जो प्रश्न उठाये गये हैं, ध्यान आकृष्ट करने के लिए उनमें मैंने आज श्री टीकाराम पुजारी जी का स्वीकार किया है और वह है कि "सेवा में निवेदन है कि अप्रैल और मई के महीने में लाल गेहूं का भाव १४ रुपये मन था, जो आज १९-२० रुपये मन बिक रहा है। पश्चिमी जिलों में मोटे अनाज का भाव ९-१०-११ रुपये तक था जो आज १६ और १७ रुपये मन बिक रहा है। वह भी गांवों में आजकल उपलब्ध नहीं है"। इसलिए नियम ५२ के अन्तर्गत गरीब किसानों का ध्यान रखते हुए इस पर विचार करने के लिए मंत्री जी का ध्यान वे आकृष्ट कर रहे हैं।

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—इसके लिए फीगर्स की आवश्यकता होगी। कल मैं दे दूंगा।

तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा पर विचार के लिये प्रार्थना

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—मैं यह जानना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी से जैसा कि महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण में संकेत किया गया था कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के ड्राफ्ट पर कुछ यहां सदन में विचार-विमर्श किया जायगा। तो अब चूंकि

समाचार पत्रों में यदाकदा निकलता रहता है कि इतनी कटौती हो गयी। इस सम्बन्ध में एम० पीज० कनवेंशन का सुझाव आ भी चुका है। तो जितनी जल्दी इस सदन में उस पर विचार हो सके उतना अच्छा होगा। साथ ही साथ मेरा यह भी सुझाव है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों के सम्बन्ध में कितनी सफलता प्राप्त हुई और उससे क्या नतीजे निकले, जिनको तृतीय पंचवर्षीय योजना में अप्लाई कर सकें, इसलिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना के रिजल्ट्स पर भी बहस करें। इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी ने क्या निश्चय किया है, यह जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—यानी कल बहस हो ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—जी हां।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, महामान्य राज्यपाल के सम्बोधन के पहले ही सदन में मैं कह चुका हूं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में सदन में विचार होगा और उस पर बहस होगी। हमारी दिक्कत यह है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना का रूप क्या होगा, हम अभी नहीं जानते हैं। सितम्बर के महीने में प्रान्तीय सरकार और प्लानिंग कमीशन के बीच में बात होने वाली है। हमें आशा है कि उस वक्त हमें कुछ इस बात का अन्दाज लगेगा कि हमारा प्लान कितने रुपये का होगा और उसी के हिसाब से हम प्लान का रूप बना सकेंगे। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि जैसे ही कोई न कोई रूप स्थिर हो जायगा वैसे ही मैं उसको इस सदन के सम्मुख रखूंगा। जब तक उसकी कोई तस्वीर सामने नहीं है तब तक उस पर विचार करना बेकार सा मालूम होता है।

दूसरे जब तृतीय पंचवर्षीय योजना पर विचार हो तो जैसा कि माननीय नारायणदत्त तिवारी ने कहा, उसकी पृष्ठभूमि में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में भी विचार होना चाहिए। इसके लिए जरूर हम दिन निकालेंगे।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—श्रीमन्, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार उन्होंने पार्लियामेंट के सदस्यों की सेवा और सहायता चाही थी और उन्होंने उनको बुलाया तो हम भी समझते हैं कि इस सम्बन्ध में हम भी कुछ चेष्टा कर सकें कि सेंटर हमारा रुपया न काटे और ठीक तादाद में हम को सहायता मिल सके, इसके लिए अगर हम को रूपरेखा मालूम हो जाती तो सम्भव है कि हम भी कुछ कारगर साबित हो सकते। रूपरेखा बिलकुल तैयार हो जाने के बाद शायद ज्यादा सहायता हम नहीं दे सकेंगे। इसलिए मैं सोचता हूं कि इस प्रश्न पर माननीय मुख्य मंत्री जी विचार करें और विचार करके कुछ हमारी कोशिश भी हो सके, इसके लिए उपाय निकालें।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—निश्चय ही, अध्यक्ष महोदय, मुझे इस सदन से पदे-पदे मदद की जरूरत है और मदद की जरूरत इसलिये भी है कि मैंने पार्लियामेंट के सदस्यों के सामने दो छोटी-छोटी पुस्तिकायें रखी थीं, मैं उन पुस्तिकाओं का अनुवाद हिन्दी में करा रहा हूं और जैसे वे तैयार हो जायंगी वह माननीय सदस्यों की सेवा में रख दी जायंगी। उसके बाद हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। माननीय सदस्यों ने अखबारों में देखा होगा कि हमने पार्लियामेंट के सदस्यों के सामने कोई ब्योरा नहीं रखा। उनके सामने मुख्य चीज यही थी कि इसका रूप हमारे सामने क्या हो। ६०० या ६५० की कुछ इस तरह की बात थी। यह हम अभी नहीं कह सकते हैं कि सम्भवतः इसमें से कुछ निकल जाय या कुछ और हो जाय। कुछ बातें हमने उनके सामने रखी थीं। वे पुस्तिकायें माननीय सदस्यों के सामने रखी जायंगी, वे उनको देख लें तब हम बैठकर विचार कर लेंगे।

भावी कार्य-क्रम के बारे में सूचना

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—भावी कार्य-क्रम क्या होगा, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूं। १२ तारीख को हम लोग बैठ कर अलग हो रहे हैं और उसके बाद २२ को फिर इकट्ठा होंगे। उसके बाद यह चर्चा चल रही है कि सदन एक सप्ताह में समाप्त हो जायगा। जो प्रोग्राम हमको दिया गया था वह २३ सितम्बर तक का है। यदि भविष्य में जिला परिषद् विधेयक आयेगा तो तब यह सदन २३ सितम्बर तक चलेगा। तो मैं निश्चित रूप से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का ऐसा भी विचार है कि उस बिल को सदन के सामने लाकर सदन को जल्द समाप्त कर दे ?

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं एक सप्ताह का आप पूछ सकते हैं। वैसे इस सदन में इतना लम्बा जब प्रोग्राम हो तो उसके बाद माननीय मुख्य मंत्री के दफ्तर की तरफ से हमारे यहां सूचना आ जाती है और वह शायद आज या कल में आ जाय तो मैं सायंकाल को उसको बंटवा दूंगा। १६ सितम्बर तक का प्रोग्राम मेरे पास आ चुका है। उसके बाद अगर यह प्रोग्राम बढ़ाने की बात होगी तो उसकी सूचना बाद में दी जायगी।

श्री देवनारायण भारतीय—२२ अगस्त से २३ सितम्बर तक का प्रोग्राम निश्चित हो जाता तो हम भी उसके लिये तैयार होकर आते।

श्री अध्यक्ष—यदि वह आज ही छपकर आ जायेगी तो मैं बटवा दूंगा।

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण विधेयक, १९५९

खंड ४ (क्रमांक १*)

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—श्रीमन्, जो यह खंड ४ पर संशोधन इस सदन में पेश किया गया था उसके सम्बन्ध में मैं जबाव दे रहा था। पहला संशोधन जो इस एजेंडे पर छपा हुआ है वह ब्रजनारायण तिवारी जी का है। उसका मतलब यह है कि ८ के स्थान पर २॥ और २४ के स्थान पर १० रख दिया जाय। हमारे खंड ४ में यह दिया हुआ है कि ५ आदमियों तक के परिवार के लिये ४० एकड़ की सीलिंग होगी और ५ से अधिक ३ तक प्रत्येक के लिये ८ एकड़ बढ़ोत्तरी जमीन दी जायगी। तो अगर हम हिसाब जोड़ते हैं तो जहां तक ४० एकड़ का सम्बन्ध है जितने संशोधन कम करने के आये हैं उनको इस सदन ने अस्वीकार कर दिया है। तो मेरा खयाल है कि हमारी ४० एकड़ की सीलिंग को यह सदन स्वीकार करता है।

४० एकड़ की सीलिंग अगर होती है तो वह ५ आदमियों के लिये है और ५ से अधिक होने पर ३ आदमियों को भी हम ८ के हिसाब से ही रखते हैं जैसे कि ५ के लिये रखा है। परिवार में जो अधिक ३ आदमी थे उनको भी हमने बराबर का हक रखा है। इस संशोधन की रू से अब ५ से अधिक होंगे तो उनको २॥ एकड़ होगी और वह ४ आदमियों तक सीमित रहेगी और उन ५ के अलावा ४ को यह संशोधन प्रोवाइड करता है। हमारी स्कीम यह है कि ५ के अलावा ३ और लोगों को काउन्ट करें और ४ को हम काउन्ट नहीं करते। तो इस तरह से यह हमारी स्कीम के विरुद्ध होगा। और दूसरी बात यह है कि जब हम पांच को आठ एकड़ की आदमी के हिसाब से देते हैं तो बकाया तीन को ढाई एकड़ के हिसाब से देना पंक्ति-भेद करना है जो कि गलत होगा और इसलिए मैं इसको स्वीकार नहीं करता।

भीखालाल जी का यह है कि अधिकतम सीलिंग के बाद जो पांच से अधिक परिवार के लोग हों उनको ढाई एकड़ की कस दिया जाय और मेक्सिमम साढ़े सात रखा जाय। मैं समझता

---

* ९ अगस्त, १९६० की कार्यवाही से।

हूं कि यह तरमीमें जो पेश हो गई हैं अगर यह पेश न हुई होती तो पहले की तरमीमें जब अस्वीकृत हो गई तो यह आउट आफ आर्डर हो जातीं लेकिन अब तो ये पेश हो चुकी हैं। श्रीजालप जी ने पहले रखा था कि ४० एकड़ के बजाय साढ़े बारह एकड़ अधिकतम सीमा होनी चाहिए। उसी हिसाब से कांसीक्वेंशियल उन्होंने रखा था कि पांच के अलावा हर एक अधिक आदमी को जो तीन तक हो सकते हैं, ढाई एकड़ फी आदमी दिया जाय जिसका मैक्सिमम साढ़े सात होगा, यानी तीन ढाई साढ़े सात। लेकिन उनका यह प्रस्ताव अस्वीकृत हो जाने के बाद वह भी बात बैठती नहीं है और जो कि मैंने पहले संशोधन के ऊपर कहा है वह इस पर भी आपद होता है, इसलिए मैं इसका भी विरोध करता हूं।

श्री देवनारायण भारतीय जी की भी तरमीम इसी तरह की है। आठ की जगह पर ४ और २४ की जगह पर १२ वह चाहते हैं। इनका भी एक संशोधन था कि अधिकतम सीमा २० एकड़ की होनी चाहिए। उसी हिसाब से उन्होंने इस तरमीम की नोटिस दी थी कि पांच से ऊपर के आदमियों को ४ एकड़ फी कस देकर के १२ एकड़ तक मैक्सिमम दिया जाय और इस तरह ३२ एकड़ सीलिंग की जाय। लेकिन उनकी भी तरमीम अस्वीकृत हो चुकी है। इसलिए यह भी तरमीम अब हमारे खंड में फिट इन नहीं हो सकती है। इसमें भी वही पंक्ति-भेद हो जायगा।

चौथी तरमीम श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह की है। वह यह कहते हैं कि मैक्सिमम जो २४ एकड़ रखा गया है वह हटा दिया जाय। तो उसका नतीजा यह होगा कि मैक्सिमम जब हम हटा देते हैं तो पांच के अलावा अगर बहुत बड़ा परिवार हो और आठ एकड़ फी व्यक्ति हम दें तो बहुत बड़ी सीलिंग हो जायेगी, छोटी फैमिली हो तो उसको कम पड़ेगी। तो यह एक लातादाद बात रहेगी। अगर एक परिवार में २० आदमी हैं तो २० × ८ = १६० एकड़ उनको मिलेगा। अगर उस परिवार में १० आदमी होते हैं तो १० × ८ = ८० एकड़ मिलेगा। तो हम ऐसा तो करना नहीं चाहते हैं। हम एक उसूल पर तय करना चाहते हैं कि आठ के परिवार तक मैक्सिमम हम रेकगनाइज करते हैं, और उसके अलावा के लिए हम नहीं करते हैं। इस वजह से मैं समझता हूं कि राजा साहब की यह तरमीम भी ठीक नहीं मालूम पड़ती है और मैं इसकी भी मुखालफत करता हूं।

हमारे माननीय मित्र श्री गेंदा सिंह जी ने श्री बजनारायण तिवारी की तरमीम की ताईद करते हुए एक बहुत सुन्दर व्याख्यान दिया और कई बाण उन्होंने चलाये लेकिन मैं समझता हूं कि निशाना चूक गए। एक भी निशाने पर बाण नहीं पहुंचा। आपने यह कहा कि हमको जापान की तरफ नजर करनी चाहिए जहां बहुत छोटी-छोटी होल्डिंग्स हैं और उन होल्डिंग्स में इन्टेंसिव कल्टीवेशन होने की वजह से ज्यादा पैदावार होती है। हम कहते हैं, हम इनकार नहीं कर सकते इससे। हम ४० एकड़ की सीलिंग इस वक्त ला रहे हैं लेकिन जिस रफ्तार से हमारी आपकी आबादी बढ़ रही है, जापान नहीं कहीं और अगर किसी दूसरे देश में उससे भी कम होल्डिंस हों तो उस तरफ भी हम नजर उठाने के लिए तैयार हैं और उठाना हमको पड़ेगा। यह फैमिली नियोजन की जो स्कीम हमने रखी है, माननीय गेंदा सिंह जी और उनके साथी और इधर के भी कुछ साथी हैं, उनको वह भाती नहीं है।

जब तक मैरेज और फैमिली प्लानिंग पर कंट्रोल न होगा तब तक हमको जरूर जापान की तरफ नजर उठाना पड़ेगा। लड़के बढ़ाते जायेंगे, बटवारा होता जायगा तो फिर ढाई एकड़ से भी कम होने की सम्भावना है हम आपसे इत्तफाक करते हैं लेकिन आज जब तक हम ऐसा कर सकते हैं करते हैं। डेवलपिंग कन्ट्री के तमाम पहलू जल्दी जल्दी बदलते हैं और उनके साथ इसीलिये कानून भी बदलते रहते हैं। हमारे बहुत से मित्रों ने कहा कि यह सरकार आज एक कानून बनाती है कल दूसरे बनाती है तो हम कोई मुस्तकिल कानून नहीं बना सकते हैं। हां, अगर हमारे देश की सोसाइटी प्रगतिशील न हो, स्टेटिक हो और यह हो कि अब आगे नहीं बढ़ेंगे तो कानून भी मुस्तकिल बन सकता है लेकिन जब हालात बदलते जाते हैं तो हमारे कानून

[श्री हुकुमसिंह बिसेन]

भी जैसी आवश्यकता आती जाती है वैसे बनते जाते हैं। कानून तो स्थिति के मुताबिक होते हैं। इस वजह से हम यह कहना चाहते हैं कि इसमें कोई ऐसी नयी बात नहीं है। डाई एकड़ से नीचे क्या हो सकता है ?

हमारे मित्र ने एक बात कही थी कि गांधी जी जब राउन्ड टेबिल कान्फ्रेन्स में गये थे तब उस सिल-सिले में उनका यह कहना था कि एक लैंडलेस लेबरर का लड़का प्राइम-मिनिस्टर, की जगह पर हो। इस विचार के सामने में शिर झुकाता हूं। बात शुद्ध विचार हैं और हमको, आपको ऐसा प्रयास करना चाहिये लेकिन इसके माने यह नहीं हो सकते कि खाली खेत हो जाने से ही कोई प्राइम मिनिस्टर हो सकता है। हमारे चीफ मिनिस्टर तो बिल्कुल लैंडलेस हैं, ये भी कोई खेती नहीं करते और न जानते हैं लिहाजा यह सिद्धान्त कोई बिल्कुल उचित ही नहीं है। मैं कहता हूं कि और भी पचासों तरीके हो सकते हैं। हम उनसे खेती लेकर भी उनकी तालीम में इजाफा कर सकते हैं और उनको इस योग्य बना सकते हैं कि वे प्राइम मिनिस्टर की जगह पर जायं।

हमने अपने अछूत भाइयों के लिये क्या किया है वह किसी से छिपा नहीं है। अगर आप बजट की तरफ नजर डालें तो पारसाल २ करोड़ ६ लाख का अगर प्राविजन था तो इस साल २ करोड़ ५४ लाख के करीब का प्राविजन रखा गया है। हम अपने तमाम हरिजन भाइयों के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हम उनको स्कालर्शिप देते हैं, हम फ्रीशिप देते हैं, हम किताबें देते हैं, तरह तरह की सहायतायें देते हैं। सर्विसेज में उनका परसेंटेज फिक्स कर रखा है और १० वर्ष में उम्मीद है कि उनकी हालत बहुत बेहतर हो जायगी दो-चार वर्ष में उन सब को पढ़ाना-लिखाना मुमकिन नहीं होता है। इसमें दस पन्द्रह वर्ष लगते हैं लेकिन फिर भी हमारी इस कोशिशों के कुछ नतीजे बरामद हुए हैं। आज कलेक्टरों में भी हमारे हरिजन भाई है, एस० पी० भी हमारे हरिजन भाई हैं, डिप्टी कलेक्टर भी हमारे हरिजन भाई हैं, हमारे क्लास में भी काफी हरिजन भाई हैं, ए० डी० ओ०, बी० डी० ओ० हैं, हेल्थ विभाग में भी है, डाक्टर भी अब होने लगे हैं, सेनीटरी इंस्पेक्टर्स भी होने लगे हैं। धीरे-धीरे उनको हम इस काबिल बना रहे हैं कि वे अच्छी जगहों पर जायं। तो हमारा प्रयास तो है। आपने याद दिलाया अच्छा किया। मैं आपका बहुत मशकूर हूं और अगर हमारी तवज्जह में थोड़ी बहुत कमी भी रही होगी तो उस तरफ ज्यादा तवज्जह हो जायगी लेकिन अगर यह कह दें कि इस विधेयक के यह माने हैं कि हम सारे लैंडलेस को सीलिंग लगाकर जमीन हासिल करा देंगे और वह उनको दे दी जायगी तो यह हमने नहीं कहा और इस विधेयक में भी नहीं कहा गया है। जिस हद तक मुमकिन होगा हम करने का प्रयास करेंगे।

हमारे बहुत से मित्रों ने कहा कि इससे कोई जमीन मिलेगी नहीं तो मैं इतना पेसिमिस्टिक तो हूं नहीं। मैं तो हमेशा से आपटिमिस्टिक व्यू रखने वाला हूं, मिलेगी जरूर और जो हमारे पास और गांव समाज की जमीन होगी वह मिलाकर जिस हद तक सेवा कर सकते हैं सेवा करने का प्रयास करेंगे।

मैं तो उस के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। ऐसे भाषण और व्याख्यान तो गांवों की चौपालों में और किसान सभाओं में ही हो सकते हैं, इस सदन में वह बिल्कुल नामुनासिब और नाजेबा है। मैं उनके बारे में इसलिये कुछ कहना नहीं चाहता। मैं इतना जरूर अपने तमाम भाइयों से रेक्वेस्ट करूंगा जैसे माननीय गेंदा सिंह जी ने और दूसरे भाइयों ने भाषण दिये और इस विधेयक के बारे में बातें कह कर बहस का स्तर ऊंचा रखा है, वह रहना चाहिये और इसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं और कल भी देने की चेष्टा करूंगा।

जहां तक संशोधन का ताल्लुक है, चूंकि वह इस स्कीम से फिट इन नहीं होते इसलिये मैं उनकी मुखालिफत करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय सदस्य उन्हें वापस लेने की कृपा करेंगे और अगर वे ऐसा नहीं करते तो सदन उनको अस्वीकार करने की कृपा करेगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड २ (ख) की पंक्ति ३ में शब्द "आठ" के स्थान पर "ढाई" और पंक्ति ५ में शब्द "चौबीस" के स्थान पर शब्द "दस" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने के पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ :—

पक्ष में—२४,
विपक्ष में—११६ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (२) के भाग (ख) की तीसरी पंक्ति में प्रयुक्त शब्द "आठ" के स्थान पर "ढाई" और पंक्ति पांच में प्रयुक्त शब्द "चौबीस" के स्थान पर "साढ़े सात" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (२) के मद (ख) की पंक्ति ३ में "आठ" के स्थान पर "चार" और पांचवीं पंक्ति में "चौबीस" के स्थान पर "बारह" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ :—

पक्ष में—२१,
विपक्ष में—१२९ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ (२) (ख) की चौथी पंक्ति में शब्द "होगा" के बाद के शब्द हटा दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—(श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह से) अब आप अपना अगला संशोधन पेश करेंगे ?

श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह (जिला गोंडा)—यह तो उपस्थित हो चुका है ?

श्री अध्यक्ष—उपस्थित नहीं हुआ है, अगर आप नहीं चाहते हों तो रहने दीजिये ।

श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह—मैं उसे उपस्थित करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—मैं आपको यह याद दिलाना चाहता हूं कि खंडों के ऊपर जो संशोधन हैं उन पर बहस केवल ढाई बजे तक होगी । उसके बाद फिर केवल राय ही ली जायेगी । यानी संशोधन पढ़ लिया जायगा और यह पूछा जायगा कि आप उपस्थित करना चाहते हैं या नहीं और उसके ऊपर राय ले ली जायगी । इसलिये अगर आप लोग एक-एक दो-दो मिनट में संक्षेप में अपनी बातें कह दें तो ज्यादा अच्छा होगा ।

श्री बलदेव सिंह (जिला गोंडा)—श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४(२) (ख) के आगे का प्रतिबन्ध निकाल दिया जाय । अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा सरल संशोधन है । प्रतिबन्ध में यह रखा गया है कि यदि परिवार में ५ सदस्य ही रह जायेंगे तो उनको जो २४ एकड़ तक अतिरिक्त भूमि दी गई होगी वह फिर ले ली जायगी । मेरा निवेदन यह है कि इससे फिर वही तरीका हो जायगा जो कि भूतपूर्व जमींदारों का था कि अगर कोई मर गया तो ५ साल तक तो वारिस रहा और बाद में जमीन निकल जाती । मान लिया जाय कि आज एक ८ सदस्यों के परिवार को जमीन दी गई लेकिन दैवी प्रकोप से ऐसा हुआ कि उसके तीन सदस्य मर गये तो उसके हाथ से जमीन निकल जायगी लेकिन ऐसा हो सकता है आगे चलकर फिर उस परिवार में सदस्य पैदा हो जायं तो फिर उनको जमीन

[श्री बलदेवसिंह]

नहीं मिल सकेगी। इसलिये मैं मंत्री जी से नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रतिबन्ध को निकाल दें ताकि वह जमीन कायम रह जाय और दूसरे सदस्य को मिल सके। इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—मैं माननीय बलदेव सिंह जी के संशोधन का विरोध करना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि उनको समझ लेना चाहिये कि माननीय माल मंत्री जी फैमिली प्लानिंग के बड़े समर्थक हैं और उन्होंने अभी दोनों तरफ के सदस्यों से अपील की कि फैमिली प्लानिंग अपनाओ। तीन बच्चों को तो मंत्री जी ने कबूल ही किया है, उन्होंने कहा कि तीन बच्चों को हम जमीन दे देंगे लेकिन बलदेव सिंह जी की इच्छा है कि तीन से भी जितने ज्यादा हों उनको दिये जावो। मैं समझता हूं कि इस संशोधन से सारी फैमिली प्लानिंग गड़बड़ हो जायगी ....

श्री अध्यक्ष—वह संशोधन तो गिर गया है। यह दूसरी चीज है। आप भीखालाल जी को पहले बोल लेने दीजिये।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—अध्यक्ष महोदय, मैं बलदेव सिंह जी के संशोधन का विरोध करना चाहता हूं उसका कारण यह है कि इस प्रतिबन्ध में यह रखा गया है कि ५ सदस्यों वाले परिवार को ४० एकड़ मिलेगी परन्तु ५ से अधिक सदस्यों वाले परिवार को प्रति व्यक्ति ८ एकड़ के हिसाब से २४ एकड़ तक और मिलेगी परन्तु यदि किसी समय उस परिवार के सदस्यों की संख्या ५ या ५ से कम रह जाय तो ४० एकड़ से ऊपर जो जमीन दी गई होगी वह अतिरिक्त भूमि मानी जायगी और सरकार को उसे वापस लेने का अधिकार होगा। मैं समझता हूं कि यह प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक है और जो संशोधन रखा गया है वह गलत है। इसलिये मैं संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री हुकुमसिंह विसेन—अध्यक्ष महोदय, मेरी और भीखा लाल जी की राय मिलती है। आज उन्होंने माकूल बात कही है। जहां तक इस प्रतिबन्ध का संबंध है यह बहुत ही मुलायम और लीनियन्ट है। इसमें अगर हम यह रखते कि एक सदस्य मरता जाय और हम ८ एकड़ वापस लेते जायं तब तो शिकायत की गुंजाइश हो सकती थी लेकिन इसमें यह रखा गया है कि जब तीनों एडीशनल मेम्बर खत्म हो जायेंगे तब हम वह २४ एकड़ वापस लेने की कोशिश करेंगे। खुदा न ख्वास्ता अगर ऐसी हालत आ जाय कि ५ ही सदस्य रह जायं तो हम समझते हैं कि ४० एकड़ काफी है, फिर ६४ की क्या जरूरत है? इसी वजह से हमने इसको रखा है। मैं यह भी समझता हूं कि इसका एप्लीकेशन बड़ा रिमोट होगा क्योंकि शादी होती रहेगी और लड़के होते रहेंगे, उसमें हम रुकावट डाल नहीं सकते। बावजूद हमारी कोशिश के और माननीय गेंदासिंह जी की कोशिश के और सारा सदन कोशिश करे तो भी जितनी सफलता हम चाहते हैं उतनी अभी नहीं मिल सकती, आगे चलकर हो सकती है।

जब लोगों पर एकोनामिक प्रेशर बढ़ेगा और होश हवास दुरुस्त होंगे, तब जाकर फैमिली प्लानिंग कामयाब होगी। इसलिये आज के हालात में इसकी बहुत जरूरत है। हमने ५ के लिये ४० एकड़ रख दिया है और ८ के लिये १.४ एकड़ रख दिया है। जब हम ३,६०० रुपया की गारंटी करते हैं तो ५ आदमियों के लिये ६४ एकड़ रखने की कोई आवश्यकता मालूम नहीं देती। इसलिये बलदेव सिंह जी ने जो तरमीम पेश की है मैं उसकी मुखालफत करता हूं।

*श्री अवधेशप्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)—माननीय बलदेवसिंह जी के समर्थन हेतु खड़ा हुआ हूं। मुझे माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद एक आश्चर्य

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हुआ। यह ठीक है कि माननीय मंत्री जी की जो अवस्था है उसमें वे फेमिली प्लानिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं लेकिन सब आदमी उनके उपदेश को सफलीभूत कर सकें, इसमें थोड़ी कठिनाई होगी। आपने कहा कि प्रत्येक परिवार में जिसमें ८ सदस्य हैं उनको ६४ एकड़ देंगे। अगर एक मर जायगा तो ८, दो मर जायेंगे तो १६ और यदि तीन मर जायेंगे तो २४ एकड़ आप कम कर लेंगे। यह एक बड़ी अजीब बात उन्होंने रखी। मैं माननीय मंत्री जी को बता देना चाहता हूं कि इस कृषि प्रधान देश में आपको अपनी नीति सुदृढ़ रखनी होगी। अगर इस तरह की सीलिंग आप लगाते गये तो क्या आप यह चाहते हैं कि खेती करने वाले के लिये इस उत्तर प्रदेश में कोई स्थान ही नहीं है।

जहां तक औद्योगीकरण का सवाल है कभी सेंटर की ओर से उसका विरोध हो जाता है और कभी आर्थिक संकट आ जाता है। इसलिये इस प्रकार आपका भूमि वितरण और सीमा आरोपण कभी भी उत्तर प्रदेश के लिये कल्याणकारी नहीं हो सकता। इसलिये कृषि नीति को आपको सोच समझ कर बनानी होगी ऐसा नहीं कि देहात में कोई आदमी ही न रह जाय। अगर मैं जीवित रहा तथा और भी माननीय सदस्य जीवित रहे और इसी सदन में फिर बैठने का मौका मिला तो आज जो आप ४० एकड़ कर रहे हैं कल को दूसरे लोग उसको ३०,२५, २० और अगर झारखंडेराय जी सही सलामत रहे तो साढ़े १२ एकड़ होकर रहेगी। फिर भी यह सिलसिला बन्द होने का नहीं, फिर सवा छै एकड़ और साढ़े तीन एकड़ इस प्रकार से होती रहेगी। अगर सही रूप से आप उत्तर प्रदेश के नागरिकों का उत्थान चाहते हैं तो आपको सूबे का औद्योगीकरण करना होगा, इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं है।

आज लैंड पर प्रेशर इस तरह का है कि ८ एकड़ का १६ एकड़ हो सकता है। अगर हमारे राजनारायण जी या डाक्टर लोहिया के समाजवाद में यह हो कि जो दो वक्त खाना खाते हैं उनको एक वक्त ही खाना दिया जाय और समाजवाद के नाम पर गरीबी और निर्धनता का बटवारा हो, अगर इसी उद्देश्य से समाजवाद को अपनाया जाय तो इसका हमारे पास कोई चारा नहीं है। क्योंकि राजनारायण जी मुझसे समझने को तैयार नहीं होंगे। उनको तो उनके गुरू डाक्टर सम्पूर्णानन्द ही समझा सकते हैं। उनकी वह गुरु शिक्षा या गुरु दीक्षा भी बिल्कुल एक मामूली ढंग की है जो अस्थायी नहीं है। वे माननीय मुख्य मंत्री जी की बहुत सी बात मान भी लेते हैं और नहीं भी मानते हैं। मैं पूछता हूं कि अगर किसी परिवार का एक व्यक्ति मर जाय जिसके पास सम्पत्ति हो तो उससे स्टेट ड्यूटी तो ली ही जाती है और जिस प्रकार परिवार में ८ सदस्य हों उसमें से एक मरता रहे तो पहले तो ब्राह्मण ही उसे सही सलामत नहीं रहने देता और सरकार भी वही करे तो फिर उसमें और ब्राह्मण में क्या फर्क रहा। इन शब्दों के साथ मेरा केवल यह कहना है कि सरकार की यह नीति नहीं होनी चाहिये और मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—अध्यक्ष महोदय, माननीय अवधेश प्रताप सिंह ने अभी जैसा कहा कि जमीन पर प्रेशर बहुत है, मैं इस बात से पूर्ण सहमत हूं। इस वक्त जमीन पर दो तरह का प्रेशर है। एक तो जमीन पर आबादी का प्रेशर है और दूसरे प्रदेश में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर जमीन का प्रेशर है। तो हमें इन दोनों प्रेशरों का सामना करना है। अभी कल जो संशोधन का प्रस्ताव श्री राघवेंद्रप्रतापसिंह ने प्रस्तुत किया था उसमें उन्होंने समानता की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर एक परिवार में ८ व्यक्ति तक हो जायं, तो हर व्यक्ति के ऊपर ८ एकड़ उस परिवार को दिया जाय ताकि सब में समानता आ जाय। कल तक तो उनका सिद्धांत समानता का था लेकिन आज उसी तरह से दूसरा संशोधन प्रस्तुत किया गया तो अब वे समानता से दूर होकर असमानता की

[श्री भगवतीसिंह विशारद]

बात करने लगे। कल तक तो वे कहते थे कि ४० एकड़ के बाद हर व्यक्ति पर ८ एकड़ से बढ़ते-बढ़ते एक परिवार में ६४ एकड़ तक मिले और आज कहते हैं कि अगर उस परिवार के व्यक्ति जो ५ से अधिक हैं न रह जायं तो भी उस परिवार के पास ६४ एकड़ जमीन ज्यों की त्यों बनी रहे। तो जो संशोधन श्री बलदेव सिंह जी ने प्रस्तुत किया है, उसका मैं विरोध करता हूं और जो सीमा निर्धारित की गयी है कि अगर ८ व्यक्तियों के परिवार में से तीन व्यक्ति मर जायें तो एक परिवार की जो एवरेज होल्डिंग है वही होल्डिंग निर्धारित रखी जाय।

श्री बलदेवसिंह—अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने भाइयों की बातें सुनीं और मैं इस नतीजे पर बिलकुल पक्का हूं कि माननीय मंत्री जी मेरे सुझाव को जरूर मान लेंगे। यह इतना सरल है कि इसको मान लेने से आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। एक तो यह कहना है कि अगर मान लिया जाय कि ८ व्यक्तियों वाले परिवार को ६४ एकड़ जमीन मिली हुई है और ऐसा भगवान न करे कि उस परिवार के ऊपर कोई आपदा आ जाय, कोई महामारी आ जाय और उसके तीन आदमी मर जायं, तो उसे उस जमीन को छिपाने के लिये अदालत में पहुंचना पड़ेगा और बटवारा दायर करके वह दो परिवार हो जायगा। तो आगे लोगों को तंगी से बचाने के लिये यह जरूरी है कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन को मान लें। वे न्याय मंत्री है और मेरा संशोधन बहुत न्यायसंगत भी है। इसलिये मुझे आशा है कि वे मेरी इस छोटी सी तरमीम को जरूर मान लेंगे।

श्री हुकुमसिंह विसेन—न्याय के दृष्टिकोण से ही हमने इसमें यह प्राविजो रखा है और उसको कायम रखना जरूरी है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह हैकि खंड ४ (२) (११) के आगे का प्रतिबन्ध निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर सदन का विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ :

पक्ष में—७,
विपक्ष में—१०४।)

श्री अवधेशप्रतापसिंह—श्रीमन्, मेरा एक वैधानिक प्रश्न है। इसके सम्बन्ध में जो प्राविजन है, मैं अनुरोध करूंगा कि इस बात को आप देखें कि अगर परिवार घटता है तब तो क्षेत्र कम किया जा रहा है लेकिन फर्ज कीजिये कि ५ प्राणी हैं और उसके बाद कोई और पैदा होता है और ६ हो जाते हैं तो क्या उसमें वह देंगे, वह प्राविजन क्या फिर मिल सकेगा? इस को आप देख लें।

श्री अध्यक्ष—अब यह प्रश्न सामने है ही नहीं। जो विधेयक में नियंत्रण रखा है वह तो सब के लिये लागू है, तीन व्यक्तियों तक के लिये रखा है कि ८-८ एकड़ और मिलेगा।

श्री भोखालाल—अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से अपने संशोधन को कुछ संशोधित रूप में पेश करूंगा ताकि जो धारायें पास हो चुकी हैं उनसे विरोधाभास न हो। वह संशोधन अब इस प्रकार होगा। कि "खंड ४ का स्पष्टीकरण बदल कर निम्न रूप में रखा दिया जाय—

"इस उपधारा के अधीन अच्छे प्रकार की भूमि से भिन्न भूमि के संबंध में अधिकतम क्षेत्र की गणना करने में ऐसी भूमि के सवा एकड़ जिसकी मौरूसी दर दो रुपया प्रति एकड़ से अधिक किन्तु ६ रुपया प्रति एकड़ से अधिक न हो तथा ऐसी भूमि के डेढ़ एकड़ जिस की मौरूसी दर दो रुपया प्रति एकड़ या उससे कम हो, अच्छे प्रकार की भूमि के एक एकड़ के बराबर समझे जायेंगे।"

मान्यवर, जैसा कि इस सदन ने पहले धारा ३ को पास किया है उसमें अच्छे प्रकार की भूमि की परिभाषा की गई है कि अच्छे प्रकार की भूमि वह है जिसकी मौरूसी दर ६ रुपये प्रति एकड़ से अधिक है। इस स्पष्टीकरण को रखने की आवश्यकता यों है कि दूसरी जमीनें जो अच्छे प्रकार की भूमि नहीं कही जा सकती हैं वह कौन सी हैं और कौन सी श्रेणियां हो सकती हैं। इस स्पष्टीकरण के जरिये से जैसा इस विधेयक में दिया हुआ है अच्छे प्रकार की भूमि के बाद दूसरी श्रेणी की भूमि वह होगी जिसका डेढ़ एकड़ बराबर होगा अच्छे प्रकार की भूमि के १ एकड़ के तीसरी प्रकार की भूमि वह होगी जिसका २ एकड़ बराबर होगा अच्छे प्रकार की भूमि के १ एकड़ के। मेरे संशोधन के मुताबिक अच्छे प्रकार की भूमि वह होगी जैसी पास हो चुकी है और दूसरी प्रकार की भूमि वह होगी जिसका सवा एकड़ बराबर होगा अच्छे प्रकार की १ एकड़ के और तृतीय श्रेणी की भूमि वह होगी जिसका डेढ़ एकड़ बराबर होगा १ एकड़ के।

इसके अलावा मेरे संशोधन में एक यह भी अन्तर है जैसा इस विधेयक में दिया हुआ है द्वितीय श्रेणी की भूमि को रखा है सरकार नेजो ४ रुपये से अधिक और ६ पये से अधिक न हो, इसके बजाय मैं चाहता हूं कि द्वितीय श्रेणी की भूमि वह हो जिसका सर्किल रेट २ रुपये से अधिक और ६ रुपये से अधिक न हो। और तीसरी श्रेणी की जमीन विधेयक में वह है जिसका सर्किल रेट ४ रुपये से नीचे हो। उसके बजाय मेरा संशोधन है तृतीय श्रेणी की जमीन वह हो जिसका सर्किल रेट २ रुपये से कम है। इस संशोधन द्वारा सिर्फ एक तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में जो ३ श्रेणियां सरकार ने बनायी हैं उनमें जो अन्तर इस विधेयक के जरिये से रखा गया है वास्तविकता के अनुसार वैसा नहीं है। हमने जो रखा है, सरकार के अनुसार १ और २ का अनुपात पहली और तीसरी श्रेणी में नहीं है और यह वास्तविकता के आधार पर नहीं है, इसलिये हमे घटाकर १ और डेढ़ के अनुपात में रखा है।

मैं समझता हूं मंत्री जी अब जरूर सहमत होंगे। पेश्तर अच्छे प्रकार की भूमि वह मानी गई थी जिसका सर्किल रेट ५ पये से ऊपर था लेकिन सरकार द्वारा संशोधन पेश किया गया कि अच्छे प्रकार की भूमि वह होगी जिसका सर्किल रेट ६ रुपये होगा और वह मंजूर भी किया गया मैं समझता हूं मंत्री जी को एहसास होगा कि जो जमीनें ५ और ६ के दर्मियान में थीं अब वे द्वितीय श्रेणी की हो जायेंगी। इस तरह से उनकी परिभाषा के अनुसार ४० का ड्योढ़ा ६० एकड़ पाने वालों की संख्या बढ़ेगी और जो जमीन मिलने वाली है वह नहीं मिलेगी। इसलिये मंत्री जी एहसास करेंगे जो हमने परिभाषा रखी है, एक, सवा और डेढ़ का अनुपात उचित है। अतः मुझे आशा है मंत्री जी मेरे संशोधन के औचित्य को ध्यान में रखते हुये और समझते हुये उसको मानने की कृपा करेंगे।

श्री भजनलाल (जिला इटावा)--मैं प्रस्ताव करता हूं कि धारा ४ के उपधारा २ के खंड (ख) के स्पष्टीकरण की दूसरी पंक्ति में "डेढ़" के स्थान पर "सवा" और तीसरी पंक्ति में "चार" के स्थान पर "दो" और "छः" के स्थान पर "चार" तथा चौथी पंक्ति में "दो" के स्थान पर "डेढ़" और "चार" के स्थान पर "दो" रख दिया जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन का मतलब है कि इस बिल में ४ रुपये से अधिक और ६ रुपये तक की भूमि ४० की ड्योढ़ी ६० एकड़ तक इस बिल के अन्दर है लेकिन मैं उसके स्थान पर सवा यानी ५० एकड़ तक रखना चाहता हूं। दूसरे ४ रुपये से कम की दर ४० की दूनी ८० एकड़ इस बिल में रखी गयी है उसको मैं ८० के स्थान पर ड्योढ़ी यानी ४० एकड़ रखना चाहता हूं ताकि इस बिल के द्वारा जो जमीन नहीं बच सकेगी वह मेरे संशोधन के द्वारा बच सकेगी जिसे हम भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को बांट सकेंगे। मुझे इतना ही कहना है और मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि मेरे इस संशोधन को स्वीकार कर लें।

*राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड ४ के स्पष्टीकरण के अन्त में शब्द "समझे जायंगे" के बाद यह और जोड़ दिया जावे—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि हर हालत में बुन्देलखंड के चार जिलों में (झांसी, जालौन, हमीरपुर और बांदा) दो एकड़ अन्य स्थान के एक एकड़ के बराबर माना जायगा।"

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने जब यह विधेयक पेश किया उस समय इस बात को स्वीकार किया कि बुन्देलखंड की भूमि जो है वह इतनी पिछड़ी हुई हालत में है जिसको देखते हुए उन्होंने स्वयं माना था कि वहां की २ एकड़ जमीन अन्य स्थान की एक एकड़ के बराबर है। मुझे इसमें यह अर्ज करना है कि वहां जो सिंचाई की हालत है वह यह कि जो नहरें वहां चालू की गयी हैं वे बराबर साल भर नहीं चलती, जब अकाल का समय आता है तभी वे साल भर चलती हैं वर्ना दो पानी दे पाती हैं। दूसरे वहां जमीन पथरीली होने के कारण ट्यूबवेल नहीं लगते।

सिंचाई के साधन वहां इतने उपलब्ध नहीं हैं कि और जगहों के बराबर वहां की भूमि से आय हो सके। फिर आपने जो एग्जेम्पशन दिये हैं बुन्देलखंड के चार जिलों में वे लागू नहीं होते। वहां बाग बहुत कम मिलेंगे क्योंकि पानी कम मिलने से बाग लगाये नहीं जा सकते। उसकी वजह से और जिलों में जो लाखों हजारों एकड़ जमीन बाग की छूट गयी है वहां एक परसेंट के करीब बाग की भूमि होगी जिससे हम लाभ नहीं उठा सकते।

(इस समय १ बजकर १ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठात्री, श्रीमती चन्द्रावती, पीठासीन हुईं)।

पशुपालन तथा दूसरे कामों के लिये घास आदि उगाई जाती है वह भी वहां पैदा नहीं हो सकती और इस सम्बन्ध में जो धारा एग्जेम्पशन की है वह भी लागू नहीं होती। तीसरे गुलाब चमेली, केवड़ा नये-नये वृक्ष लगाने के लिये जमीन छोड़ी गई है वह भी यहां नहीं छूट पायेगी क्योंकि बबूल के अलावा कोई वृक्ष वहां नहीं लगते हैं। वह भी एग्जेम्पशन हमें नहीं मिलेगा। उद्योग धन्धों की बात है वह भी हमारे यहां नहीं है जिनमें जमीन छोड़ दी गई है। इसलिये ये चारों एग्जेम्पशन हमारे यहां लागू नहीं होते।

बुन्देलखंड में भी अगर ४० एकड़ जमीन रखी जाती है और उसमें बहत जोत कर के लिये साढ़े १२ गुना से जोड़ दिया जाय तो ७५ रुपये के हिसाब से एक एकड़ में २४० रुपये का मुनाफा होता है। और वही अगर मेरठ में देखें तो उसी एक एकड़ में ७२० रुपये की आमदनी होती है। तो इतना बड़ा अन्तर है जो माननीय भीखालाल ने संशोधन रखा, वह तो बीच में आपने कम कर दिया, वैसे २० रुपये का सर्किल रेट इस प्रान्त में है और उसमें अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो बुन्देलखंड में हमारे पास कुछ भी जमीन नहीं रह जायगी। आपका मतलब है कि ३,६०० रुपये की आमदनी होनी चाहिये। तो मेरठ में आप ४० एकड़ छोड़ेंगे और साढ़े १२ के हिसाब से अगर हिसाब लगाया जाय तो मेरठ में १८ रुपये सर्किल रेट आता है और उस हिसाब से ४० एकड़ पर ८ हजार रुपये की आमदनी होगी और उसी ४० एकड़ से आप जोड़ लें कि हमारे यहां क्या आमदनी होगी। पश्चिम से अगर आप बुन्देलखंड का मुकाबला करें तो वहां १०६ एकड़ होनी चाहिये। इसलिये हम एक की जगह दो मांगते हैं और विशेष कुछ नहीं मांगते।

बुन्देलखंड में गन्ना और आलू पैदा नहीं हो सकता, इसलिये कैश क्राप्स का हम कोई फायद नहीं उठा सकते। अन्न उत्पादन में चना और गेहूं पैदा करके बुन्देलखंड ने जो सहायता दी है वह सरकार को विदित है। तो उसके एवज में कम से कम हमको यह तो मिलना चाहिये कि जितनी पैदावार और जगह हो उतनी पैदावार हम भी कर सकें और उस हिसाब से हम चाहते हैं कि एक का दो होना चाहिये।

*वक्ता के भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय मंत्रीजी ने भी कल उड़ीसा ऐक्ट को पढ़कर सुनाया । उससे भी साबित होता है कि और प्रान्तों ने भी इसका ख्याल किया है जहां ऐसी जमीने हैं । उड़ीसा ने जो स्टैंडर्ड एकड़ माना है उसमें उन्होंने कहा है कि इतनी सिंचाई हो, फिर जिसमें बिल्कुल सूखा हो, उस सबको मिला कर उन्होंने स्टैंडार्ड एकड़ रखा था । तो आप कोई नई बात नहीं करने जा रहे हैं । हम मंत्रीजी को बाधाई देते हैं कि उन्होंने कम से कम हमारे सुझाव पर गौर तो किया है और बुन्दुलखंड के लिये बहुत सी गुंजायश की है । लेकिन मैं एक चीज की सफाई चाहता हूं कि वृहत् जोत कर के सिलसिले में पिछले माल मंत्री, चौधरी चरणसिंह जी ने वादा किया था कि बुन्देलखंड और जहां जहां ऐसे क्षेत्र हैं वहां ७५ एकड़ से ऊपर ही यह कर लगेगा लेकिन वहां पर रेट बढ़ा दिया गया और मुझे दुखः के साथ कहना पड़ता है कि ३७ एकड़ पर यह टैक्स लग गया । तो उसी डर के मारे हमने यह संशोधन दिया है । वैसे तो आपने यह अधिकार रखा है कि जहां रेट ज्यादा या कम होंगे उसको आप उसी तरह से ऐडजस्ट कर देंगे लेकिन कहीं वैसा न हो जाय जैसा वृहत जोत कर में हुआ । अगर बुन्देलखंड में उतनी जमीन नहीं रहती है तो हमारे पास और कोई साधन नहीं है और न वहां कोई उद्योग-धन्धे ही हैं ।

माताटीला बांध जरूर बन गया है लेकिन अभी वहां बिजली नहीं आयी और पूरा पानी भी नहीं मिल रहा है । इसलिये सरकार इन सब बातों को ध्यान में रखते हुये हमारे इस संशोधन को मान ले । हम इस बिल के सिद्धान्त के विरुद्ध कोई काम नहीं कराना चाहते । मैं आशा करता हूं कि मंत्रीजी हमारे इस सशोधन को स्वीकार करेंगे ।

श्री चित्तरसिंह निरंजन (जिला जालौन)—अधिष्ठात्री महोदया, मैं आपकी आज्ञा से खंड ४ के स्पष्टीकरण के अन्त में निम्नलिखित जोड़ने का प्रस्ताव करता हूं :

"किन्तु प्रतिबंध यह है कि बुन्देलखंड के चारों जिले झांसी, जालौन, बांदा, हमीरपुर तथा ट्रांस जमुना के क्षेत्र एवं मिर्जापुर के कुछ भाग में अधिकतम जोत की गणना करने के समय दो एकड़ भूमि एक एकड़ भूमि के बराबर समझी जायगी ।"

श्री हुकुमसिंह विसेन—अधिष्ठात्री महोदया, १२–ज संशोधन का क्या हुआ ?

श्री अधिष्ठाता—राजा वीरेन्द्रशाह के संशोधन में और इसमें समानता है इसलिये नहीं लिया गया ।

श्री चित्तरसिंह निरंजन—महोदया, बुन्देलखंड की स्थिति एक ऐसी स्थिति है कि दूसरे भूभागों के मुकाबले में हम समझते हैं कि हमारा बुन्देलखंड सबसे पिछड़ा हुआ है । इसमें कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे हम उत्पादन में वृद्धि कर सकें। बुन्देलखंड में चार किस्म की जमीन हैं (१) मार (२) कावर (३) पडुआ और (४) राकड़ । हम राकड़ जमीन में किसी किस्म की पैदावार नहीं कर सकते हैं । तीन किस्म की ही अच्छी जमीन रह जाती है । मार वह जमीन है जहां पर अगर पानी बरस जाता है तो हम खेतों पर पहुंचने के लिये मजबूर हो जाते हैं और ५-६ दिन तक इंतजार करना पड़ता है तब जुताई हो पाती है । फिर से अगर पानी बरस जाता है तो १०-१५ दिन के लिये मामला टल जाता है । यहां तक कि हम एक एक महीने तक अपने खेतों को नहीं देख पाते हैं और खेत खराब पड़े रहते हैं । हम इसको मानने के लिये तैयार हैं कि मार जमीन यद्यपि अच्छी होती है लेकिन जुताई न हो सकने के कारण नतीजा यह होता है कि हम उससे अच्छी पैदावार नहीं ले पाते । हम अपने यहां हर हालत में एक ही फसल ले पाते हैं ।

जब हम दूसरे मुकामों को देखते हैं, दूसरे हिस्सों को देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि वहां दो-दो तीन-तीन फसलें पैदा की जा सकती हैं । लेकिन अपने यहां एक ही फसल हो पाती है । हम यह समझने में असमर्थ हैं कि अपने यहां दो तीन फसलें क्यों नहीं ली जा सकतीं । यद्यपि हमारी सरकार ने हमारी सुविधाओं का खयाल रखते हुये इरीगेशन के लिये कैनाल बना रखी है लेकिन उससे भी हमें ज्यादा फायदा नहीं हो पाता है क्योंकि इसकी जरूरत केवल पडुआ जमीन में ही होती है । मार की जमीन में हमें मिक्सड क्रौप ही पैदा करते हैं जैसे चना गेंहूं । अगर हम आबपाशी कर

[श्री चित्तरसिंह निरंजन]

लेते हैं तो चना खत्म हो जाता है और केवल गेंहू रह जाता है जो लाल होता है और उसको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। हर हालत में हम एक ही फसल पैदा कर पाते हैं और साल भर तक उसी पर निर्भर रहना पड़ता है।

मैं थोड़े समय में भूतपूर्व माल मंत्री जी के कथन को सदन के सामने रखना चाहूंगा। उन्होंने कहा है कि :—"घटिया किस्म की मिट्टी के कारण झांसी कानपुर, मथुरा, आगरा और इटावा जिलों के यमुना पार इलाकों तथा मिर्जापुर जिलों के कुछ भागों मे मूल्यांकन के लिये दो एकड़ सदा एक एकड़ के बराबर माने जाते रहे हैं" "मूल्यांकन" और "सदा" दो शब्दों का प्रयोग हुआ है जिससे बहुत कुछ विश्वास होता है कि हमारे माल मंत्री महोदय इन चीजों पर विचार करते हुये बुन्देलखंड के ऊपर कुछ ध्यान देंगे। हम यह समझते हैं कि हमारी दो एकड़ जमीन की कीमत दूसरे किस्म की जमीन के एक एकड़ के बराबर होती है, इसलिए मूल्यांकन उन्होंने पहले तय कर दिया है। नम्बर दो पर यह कहा गया है सदा रहेगा। मंत्री महोदय ने बुन्देलखंड को घूम कर देखा है कि वहां किस किस्म की जमीन है। पहाड़ी इलाका है। किसी तरह के कोई साधन नहीं है। यातायात के भी साधन नहीं हैं। उस जमीन में हम केवल एक फसल ले कर किसी तरह से अपना और अपने बाल-बच्चों का जीवन निर्वाह करते हैं। यह चीज ऐसी है जिस पर हमारे माननीय सदस्यों को गौर करना है।

हमारा बुन्देलखंड साधन विहीन इसलिये रहा है कि पिछले समय से हमारे बुन्देलखंड के ऊपर ज्यादतियां होती चली आ रही हैं। सम्राट पृथ्वीराज के जमाने में भी हमारे यहां वीर पुरुष हुये हैं। उन्होंने उनका लोहा नहीं माना। इसलिये बुन्देलखंड को जर्जरित कर दिया। उसके बाद हमारे ऊपर मुतवातिर आघात होते रहे कि हमारा बुन्देलखंड जर्जरित हो और दुर्भाग्य की चक्की में पीसा जा सके।

अब हम यह देखें कि हमारे बुन्देलखंड में कितनी पैदावार होती है। हमारे मंत्री महोदय ने यह स्वीकार कर लिया है कि एक व्यक्ति पर ७२० रुपया सालाना आमदनी होनी चाहिये। अगर एक व्यक्ति पर ७२० रुपये मान लिये जायें तो पांच व्यक्तियों पर ३,६०० रुपये हुए। लेकिन मैं सदन से आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि बुन्देलखन्ड में अगर ५० एकड़ भी रख लें तब भी ३,६००क्या ८०० रु० की भी आमदनी नहीं होती। माननीय चौधरी चरणसिंह ने कहा कि "उत्तर प्रदेश में कृषि आय-कर निर्धारित करने के लिये सरकार यह मान लेती है कि औसत दर्जे की प्रति एकड़ भूमि पर प्रायः ७५ रुपया वार्षिक की आमदनी होती है। इसका अर्थ यह है कि तीन कौटुम्बिक जोतों का रकबा ४८ एकड़ या मोटेतौर पर ५० एकड़ होगा।"

इस कमेटी ने यह भी सुझाव दिया है कि "जोतों की अधिकतम सीमा बांधने के लिये पांच सदस्यों के एक औसत कुटुम्ब के लिये तीन कौटुम्बिक जोतें प्रर्याप्त होंगी।" इस तरह से भी मान लिया गया है कि ५० एकड़ भूमि एक कुटुम्ब जिसमें पांच सदस्य हों, के लिये है। अगर हम ५० एकड़ भूमि मान लें और बुन्देलखंड में दो हलों से कम इतनी खेती नहीं हो सकती तो दो हलों का खर्चा जोड़ दें। इस प्रकार ३,२०० रुपये के स्थान पर केवल ६७० रु० आमदनी होती है। वह इस प्रकार है। अगर हम ५० एकड़ भूमि अपनी जोत में रखते हैं तो पांच एकड़ भूमि बैलों के चारे के लिये रख लेते हैं, क्योंकि बुन्देलखन्ड में चारा बहुत कम होता है। अब केवल ४५ एकड़ भूमि बची, जिसपर फसल पैदा हो सकती है अगर हम चार घर के आदमी रखते हैं तो उनका खर्चा जोड़ लें। अगर चार नौकर हम रखते हैं तो ४० रुपये महीना तनख्वाह व खाना खूराक के लिये देना पड़ता है। नतीजा यह होता है कि १,९२० रुपया तो इसी में चला जाता है। फिर हम बीज जो बोते हैं, १२ रुपये मन के हिसाब से २७० रुपये ८ आने उसका हो गया। लगान ६ रुपये फी एकड़ के हिसाब से ३०० रुपये हो गया।

इसी तरह से तरह-तरह के और खर्चे और बैलों की खुराक वगैरह सब मिलाकर कुल खर्चा ३,४५० रुपये आता है। अब पैदावार अगर हम ८ मन फी एकड़ भी मान लें, माननीय

गौरीशंकर राय ने कहा था कि ७ मन फी एकड़ अच्छी पैदावार कही जायगी, लेकिन मैं ८ मन फी एकड़ मानता हूं तो ३६० मन कुल पैदावार हुई ४५ एकड़ में। हमारे यहां मिक्स्ड क्राप होती है, गेहूं चने की पैदावार होती है जिसको हम ज्यादा से ज्यादा १२ रुपये मन पर बेच पाते हैं और इस चीज को पिछले वक्त में माननीय रसद मन्त्री ने भी स्वीकार किया था। तो इस हिसाब से कुल कीमत ४,३२० रुपये हुई। इसमें से ३,४५० रुपये खर्चा निकालने के बाद तथा बैल वगैरह के लिये जो रुपया खर्च होता है उस सब का इन्टरेस्ट निकालने के बाद ६७० रुपये आमदनी बचती है जबकि ७२० रुपये प्रति व्यक्ति गवर्नमेन्ट ने रखा है। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हर हालत में यह बुन्देलखन्ड की जो जमीन है यह उतनी ज्यादा पैदावार नहीं दे पाती क्योंकि मुश्किल से दो या चार दफा जोताई खेतों की हो पाती है कितनी भी कोशिश करें इससे ज्यादा जुताई कर नहीं सकते, एक ही फसल पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिये मैं यह प्रार्थना करूंगा माननीय मन्त्री महोदय से कि वह इस बुन्देलखन्ड की दयनीय दशा पर विचार करके इसको स्वीकार करने की कृपा करें।

*श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)--अधिष्ठात्री महोदया, मैं आपकी इजाजत से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड ४ के वर्तमान स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"इस उपधारा के अधीन अच्छे प्रकार की भूमि से भिन्न भूमि के सम्बन्ध में गणना चकबन्दी नियम के अनुसार नियत रीति से की जायगी।"

अधिष्ठात्री महोदया, मुझे अफसोस है इस बात से कि कल के भाषण से हमारे माल मन्त्री को कफी कष्ट पहुंचा है। मैं इसके लिये अपना दुख प्रकट करता हूं। लेकिन मैं अब भी उसी राय का हूं। एक बात और उन्होंने कही कि इस तरह का भाषण तो बाजार में दिया जा सकता है। अधिष्ठात्री महोदया, मैं आपकी इजाजत से यह जो प्रस्तुत संशोधित विधेयक है इसमें प्रवर समिति के प्रतिवेदन के अन्दर जो व्याख्या है और जो गवाहियां ली गईं हैं उनके कुछ वाक्य पढ़ देना चाहता हूं। वह निम्न प्रकार हैं :

श्री अधिष्ठाता--समय के अनुसार आप बहुत संक्षेप में अपनी बात रखें।

श्री ब्रजनारायण तिवारी--मैं संक्षेप में ही बोलूंगा।

यह जो समिति निर्धारित की गई थी उसने जिन लोगों की गवाही ली कि इस प्रदेश में कितने की सीलिंग की जाय उसका जिक्र श्रीमन् इसमें है। इतने लोगों से गवाही ली गई। तराई कृषक संघ, काशीपुर के प्रतिनिधि, श्री शिवनारायण अग्रवाल, तथा श्री पी० एन०मेहता गवर्नमेंट लेजीज के सब लेजीज, बाजपुर के प्रतिनिधि सरदार बेअन्त सिंह, गवर्नमेंट लेजीज बाजपुर के प्रतिनिधि श्री श्याम सुन्दर लाल तथा इंडियन शुगर मिल्स यूनियन, लखनऊ के प्रतिनिधि श्री रामेश्वर प्रसाद नेवठिया।

इन लोगों ने जो गवाहियां दीं, इसको भी मैं आपकी आज्ञा से उद्धृत कर देना चाहता हूं और इसलिये उद्धृत करना चाहता हूं कि सदन के माननीय सदस्य और श्रोतागण इसको समझ सकें क्योंकि माननीय मन्त्री जी ने कहा कि इस प्रकार का भाषण बाजार में दिया जा सकता है। अधिष्ठात्री महोदया, यह बाजार के लोगों के फैसले से ही यह सब लोग और माननीय मन्त्री जी भी यहां आते हैं, इस सदन के फैसले से कोई यहां एम० एल० ए० होकर नहीं आता है। इसलिये मैं यह सुनाना चाहता हूं ताकि यह निर्णय हो सके कि सरकार की इच्छा इस सीलिंग के विधेयक के द्वारा भूमिहीनों को भूमि देने की है या कुछ और है। मैं सरकार की नियत पर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री व्रजनारायण तिवारी]

शुब्हा नहीं करता लेकिन सदन के सामने वह प्रस्तुत कर देना चाहता हूं—इस विधेयक के सफा ८३ पर नत्थी "ग" साक्ष्य का सारांश—

तराई कृषक संघ, काशीपुर के प्रतिनिधि, श्री शिवनारायण अग्रवाल तथा श्री पी० एन० मेहता ने समिति के समक्ष यह याचना की कि तराई के कृषकों ने जंगल तोड़कर जमीन को नौ-आबाद किया है और जमीन में धन लगाकर उसका कोई लाभ अभी तक नहीं उठा पाये । अतः अतिरिक्त जमीन उनसे ले लेने के मामले में सरकार उनके साथ रियायत करे । श्री पी० एन० मेहता ने कहा कि लिमीटेड कम्पनियों में बहुत से हिस्सेदार होते हैं, अतः लिमिटड कम्पनी के लिये ४० एकड़ की सीमा रखना अनुचित होगा । उन्होंने यह भी प्रार्थना की कि समिति तराई क्षेत्र में जाकर जमीन को स्वयं देख लें, कि किस प्रकार उसकी उन्नति की गई है ।

दूसरा यह कि गवर्नमेन्ट लेजीज के सब लेजीज बजपुर के प्रतिनिधि, सरदार बेअन्त सिंह ने यह प्रार्थना की कि हम लोगों ने गवर्नमेन्ट लेजीज से जमीन सब लीज पर लेकर उसमें परिश्रम किया और रुपया लगाया है, अतः हम से जमीन न छीनी जाय ।

तीसरा यह है कि गवर्नमेन्ट लेजीज, बाजपुर के प्रतिनिधि, श्री श्यामसुन्दर लाल ने निवेदन किया कि हमारे छः घराने हैं जिन्होंने जमीन में धन लगाया और ट्रैक्टर आदि खरीदकर खेती की लेकिन असफल रहे । रुपया डूब गया तो हमने जमीन सब लीज पर दी है । हमसे यह जमीन ले ली जायगी तो हमको उचित मुआवजा मिलना चाहिये ।

चौथा यह है कि इंडियन शुगर मिल्स यूनियन, लखनऊ के प्रतिनिधि श्री रामेश्वर प्रसाद नेवटिया ने समिति से प्रार्थना की कि जिस प्रकार भारत के अन्य राज्यों में शुगर फैक्टरी फर्म्स को अधिकतम जोत सीमा से अपवादित कर दिया गया है उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में अपवादित कर दिया जाय ताकि यहां पर गन्ने की उपज घटने न पावे ।

अधिष्ठात्री महोदया, केवल मैं आपके सामने यह सफाई पेश करना चाहता हूं कि इसी सरकार के द्वारा सरकार मंशा के मुताबिक कृषक मजदूर संघ की स्थापना हुई । उसका मंशा यह था कि खेतिहर मजदूर जितने गांव में काम करते हैं उसका जीवन स्तर ऊंचे उठें । मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपने उस संगठन से गवाही क्यों नहीं ली ? जिसके लिये आपने यह सीमा बन्दी कानूनी बनाने की योजना बनाई है । उन भूमिहीन मजदूरों से गवाही लेना जरूरी था । आपने जो गवाही ली वह मिल-मालिकों से, बड़े जमींदारों से और बड़े-बड़े पट्टेदारों से ली है । उनके हित को प्रतिपादित करने के लिये यह बिल इस सदन में हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है । इसलिये मैं कहता हूं कि इस हाउस के बाहर चलिये । वे लोग निर्णय करेंगे कि आया यह बिल सरकार गरीबों को भूमि देने के लिये ला रही है अथवा बड़े-बड़े लोगों को अधिक जमीन देने के लिये ताकि लोगों को मालूम हो सके कि वास्तव में यह बिल किसके लाभ के लिये लाया गया है । मेरा संशोधन यह कहता है कि चकबंदी अधिनियम में जितनी भूमि आप दे रहे हैं दूसरी जगह किसी आदमी को उतनी ही भूमि इस हदबन्दी कानून में भी मिलनी चाहिये ।

इससे पहले जो माननीय चरणसिंह माल मंत्री थे वह हमारे वर्तमान माल मंत्री से कम अक्ल नहीं रखते थे । वह भी ज्यादा समझदार थे । उन्होंने इस चीज को रखा था और चकबंदी के उस नियम को यहां पर भी लागू किया था कि खराब जमीन किसी को २० फीसदी से अधिक न दी जाय । अगर हमारी जमीन बढ़िया है और दूसरी जगह चकबंदी में हमको जमीन दी जाती है तो हमको कितना खेत मिले ? हमको २० फीसदी से अधिक नहीं मिलना चाहिये । मंत्री जी का विधेयक जो है वह यदि अच्छी भूमि है तो उसको दुगुना और तिगुना कर देता है । मैं जो चार्ज इस सरकार पर लगाता हूं वह यह लगाता हूं कि सरकार यह बिल खेतिहर मजदूर और गरीबों के लिये नहीं ला रही है बल्कि बड़े लोगों के लिये ला रही है जिनकी सीमा को सरकार

ने ४० तो पहले रखा है और बाद को २४ और हो जाती है। उसके बाद १० एकड़ बाग की और २ एकड़ खलिहान की तो इस तरह से ७६ एकड़ बढ़िया जमीन उनके पास हो जाती है और अधिकतम सीमा यह १४० एकड़ तक जाती है। इसलिये कहने को तो यह ४० एकड़ कर रहे हैं लेकिन यह है नहीं। इस स्पष्टीकरण के द्वारा इसको और बढ़ाया जा रहा है। यदि बाग की जमीन को छोड़ भी दिया जाय तब भी इस ऐक्ट के द्वारा एक आदमी को ४० एकड़ से लेकर १४० एकड़ तक की यह सीमा हो जाती है। इस प्रकार की सीमा निर्धारित करने से इस प्रदेश का भला नहीं होने वाला है। इसलिये मैं आपके द्वारा इस सदन से निवेदन करूंगा कि यह संशोधन मान लिया जाय कि जितनी चकबंदी के अनुसार पूसरी भूमि मिलेगी उतनी भूमि हदबन्दी में भी मिले।

श्री भगवतीसिंह विशारद--अधिष्ठात्री महोदया, मैंने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसका सम्बन्ध खंड ४ के २ (क) से है जिसमें मैंने मांग की थी कि सभी प्रकार की भूमि की सीमा २० एकड़ होगी। लेकिन चूंकि वह खंड पास हो गया और मेरा मनोरथ पूरा नहीं हुआ इसलिये मैंने दूसरे स्पष्टीकरण को निकालने के लिये यह संशोधन पेश किया है कि खंड ४ के उपखंड (२) के मद (ख) का स्पष्टीकरण निकाल दिया जाय।

अधिष्ठात्री महोदया, इस प्रस्तुत विधेयक में इस बात की कोशिश की गयी है कि भूमि को कई तरह की बता कर जो अधिकतम सीमा निर्धारित होने जा रही है उसको बढ़ाया जाय। समय कम है और इसमें ज्यादा भाषण देने की आवश्यकता भी नहीं है, इसलिये मैं अपने संशोधन के समर्थन में केवल एक ही तर्क देना चाहता हूं। वह यह है कि अभी कुछ समय पूर्व हमारे माननीय माल मंत्री ने प्रदेश में जिन जगहों पर चकबंदी हो रही है वहां के सम्बन्ध में एक आदेश निकाला है और उसमें कहा है कि ७५ फीसदी जो चक बनाये जायं वह एक ही स्थान पर बनाये जायं। तो चकबंदी करने के समय तो सारी जमीन को एक ही तरह की माना जाय और जब बटवारा करने का सवाल हो तो उस समय जमीन की किस्म निर्धारित की जाय यह दो दृष्टिकोण एक ही सरकार के हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जिस तरह से उन्होंने यह नया आदेश निकाला है कि चकबंदी में जितने भी चक बनाये जायं वह चौकोर और एक ही स्थान पर बनाये जायं वह विचार करें कि यह कैसे संभव है जब कि दूसरी तरफ वह स्वीकार करते हैं कि प्रदेश में कई तरह की जमीन है। तो चकबंदी के समय एक दृष्टिकोट और बटवारे के समय दूसरा, यह न्यायसंगत नहीं है और इसलिये मैं उन से अनुरोध करूंगा कि वे मेरा संशोधन स्वीकार करें।

इसके अतिरिक्त दो संशोधन और पेश किये गये हैं जिनमें कहा गया है कि बुन्देलखंड की दो एकड़ भूमि को यहां की एक एकड़ भूमि के बराबर माना जाय। जिन महाशय ने यह संशोधन प्रस्तुत किया है संभवतः उनको भी पता होगा कि वहां पर भी भूमिहीनों की संख्या सबसे ज्यादा है और अगर इस तरह का संशोधन वहां के लिये स्वीकार कर लिया जाय तो फिर वहां से उन भूमिहीनों के लिये जमीन निकलने वाली नहीं है और इसके अलावा जो यहां ६ या ४ रुपये प्रति एकड़ की दर के हिसाब से भूमि की किस्म निर्धारित की जा रही है, उस से भी ४० एकड़ की सीमा निर्धारित न होगी और हमारा यह विधेयक लाने का उद्देश्य विफल हो जायगा। इसलिये अपना संशोधन पेश करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे और आदरणीय सदन के माननीय सदस्य भी इसको स्वीकार करेंगे।

***श्री बलदेव सिंह**--अधिष्ठात्री महोदया, जो संशोधन वीरेन्द्र शाह जी ने पेश किया है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। उसमें उन्होंने बड़े सरल तरीके से रखा है कि बुन्देलखंड के इलाके की जमीन दो एकड़ अन्य स्थानों के एक एकड़ के बराबर मानी जाय। हमारे माननीय सदस्यों तथा माल मंत्री महोदय को भी यह बात मालम है कि वहां की और यहां की जमीन में बड़ा अन्तर है। लखनऊ शहर के किनारे मड़ियांव में अगर किसी को ५ एकड़ जमीन मिल जाय तो मेरा ऐसा विश्वास है कि बुन्देलखंड की ५० एकड़ जमीन छोड़ कर वह यहां आ कर कृषि करने लगेगा और अच्छी काश्त कर लेगा। और अगर वही जमीन कहीं सौभाग्य से लखनऊ में हो तो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बलदेव सिंह]

शायद २०,२५ हजार और अमीनाबाद या हजरतगंज के नजदीक किसी मुहल्ले में तो २ लाख की हो जाय और वही जमीन बुन्देलखंड में २ सौ रुपये की भी मिल सकती है। तो मैं इसीलिये चित्तरंजनसिंह जी के और राजा वीरेन्द्रशाह के संशोधन को मुनासिब समझता हूं और चाहता हूं कि सदन उसको मान ले। यों तो कई तरीके से तर्क पेश किये जा सकते हैं। हमारे तिवारी जी ने तो यह कह दिया कि यह भूमि २० प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती लेकिन उनको इस बात पर भी नजर डालना चाहिये कि मूल्यों में कितना अन्तर है। जो साधारण सी बात है और प्रदेश के लिये जो हितकर है उसे मानना ही चाहिये। सभी जानते हैं कि वहां ४० एकड़ में ६,७ सौ रुपये से ज्यादा आमदनी नहीं हो सकती। सरकार और माल मंत्री बारबार इस बात की गारन्टी देते हैं कि ३६ सौ रुपये से ज्यादा इनकम रहनी चाहिये। तो फिर इसमें वह गारंटी कहां चली जायगी। तो संकुचित भावना से इसको नहीं देखना चाहिये बल्कि इस बात का भी लिहाज रहना चाहिये कि ऐसी जमीन न हो जिसमें ज्यादा पैदावार नहीं हो सकती और फिर उसका हिसाब मेरठ की जमीन की दर पर लगा दिया जाय वह उचित नहीं है। इसलिये मैं प्रार्थना करता हूं कि इसको स्वीकार करें।

एक भाई ने कहा कि वे लोग बड़े बुद्धिमान हैं, मैं इसमें अधिक नहीं कहना चाहता लेकिन यह चर्चा करना निहायत मुनासिब है कि जिस प्रकार की भूमि है उससे ३६ सौ रुपये की आमदनी तो आ ही नहीं सकती, यह निर्विवाद है। तो मैं माल मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे वीरेन्द्रशाह जी के संशोधन को मान लें वरना एक जबरदस्त विषमता वहां और यहां के बीच में फैल जायगी। इन शब्दों के साथ मैं इन दोनों संशोधनों का समर्थन करता हूं।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—अधिष्ठात्री महोदया, मैं आपकी आज्ञा से राजा वीरेन्द्रशाह द्वारा प्रस्तुत संशोधन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि उरई जिले में त्रिवेणी संगम बनाने का प्रयत्न किया गया है। वीरेन्द्रशाह जी स्वतंत्र पार्टी में हैं, चितरंजन सिंह जी कांग्रेस दल में हैं और तिवारी जी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में हैं। इन तीनों ने एक राय हो कर वहां के गरीबों का ख्याल न करके इस बुन्देलखंड में जिनके पास सैकड़ों एकड़ जमीन है उनकी रक्षा के लिये यह संशोधन पेश किये हैं। वे इस बात को भूल जाते हैं कि बुन्देलखंड में सबसे ज्यादा भूमिहीन हैं। उनको इस बात का खतरा है कि यदि उनके पास जमीन पहुंच जायगी तो फिर नतीजा यह होगा कि आज जो सैकड़ों एकड़ की बात करते हैं तो उनके पास फिर १० और ५ एकड़ जमीन भी रहने वाली नहीं है। आज बुन्देलखंड में हजारों मजदूर ऐसे हैं जो चेतुआ के नाम पर होली जैसे त्योहार पर अपने बच्चों के साथ न मनाकर अपने चूल्हे चक्की को लेकर इधर उधर काम करते फिरते हैं यदि उन्हें जमीन मिल जावेगी तो फिर उन्हें काम करने की मजदूरी नहीं मिलेगी। तो बुन्देलखंड में खराब जमीन है यह साफ बात है इससे हमारे मंत्री महोदय अनभिज्ञ नहीं हैं और उन्होंने इसीलिये वहां के गरीबों का ख्याल रखते हुये इस विधेयक में रखा है कि जमीन के लिहाज को रखते हुये ही लोगों को अपनी जमीन रखने का अधिकार प्राप्त है। बुन्देलखंड के पुराने कानून का ख्याल रखते हुये यह उसमें रखा गया है कि जो ८ आदमियों का परिवार है बुन्देलखंड में उसको १२८ एकड़ तक जमीन मिल सकती है जो हमारे यहां कम कीमत की जमीन है लेकिन हमारे माननीय सदस्य चाहते हैं कि उनके पास तो ढाई ढाई सौ एकड़ जमीन रहे और जो बेचारे गरीब हैं उनके पास दो एकड़ जमीन भी न रहे। मैं तो यह कहता हूं कि राजा साहब को स्वयं अपने हाथ से हल चला कर जितनी भी जमीन रख सकते हैं, रखने दी जाय। दूसरे की मेहनत, खून, पसीने की कमाई पर अब जमीन नहीं रखी जा सकेगी।

मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह ठीक है कि हमारे यहां सिंचाई के साधन बढ़ाये जायं। हमारी सरकार उस ओर प्रयत्नशील भी है। आप जानते हैं कि करीब १२ करोड़ रुपये की लागत का माताटीला बांध बन कर तैयार हो रहा है। इससे वहां की हजारों एकड़ जमीन सरसब्ज हो जायेगी। और भी हमारे प्रयत्न इस ओर हैं जिससे कि हम अन्न की कमी

को पूरा कर सकेंगे। आप अपने लिये ही क्यों सोच रहे हैं ? आप उन हजारों मजदूरों के लिये जो गरीब हैं, जिनके पास एक एकड़ भी जमीन नहीं है, उनके लिये आप क्यों नहीं सोचते ? आपने इसलिये इस संशोधन को रखा है क्योंकि उन लोगों से आपको खतरा है। वे लोग फागुन के महीने में आते हैं और आपकी फसलों को काट कट कर आप के घरों में रख जाते हैं और फिर अपने घरों को वे वापस चले जाते है। आप सोचते हैं कि अगर कहीं उन मजदूरों को जमीन मिल गयी, तो फिर वे मजदूर हमें न मिल सकेंगे और उससे आपको परेशानी होगी। इन लोगों को यही खतरा है, इसीलिये राजा साहब ने इस संशोधन को पेश किया है। वे डरते हैं कि अगर उनका संशोधन पास नहीं होता है तो उनको सही मानों में काश्तकार बनना पड़ेगा जिससे कि वे डरते हैं।

मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि उनको खुद भी परिश्रम करना चाहिये। अगर खुद परिश्रम वे नहीं कर सकते तो उनको दो-दो ढाई-ढाई सौ एकड़ जमीन नहीं रखना चाहिये। और वे सौ पचास आदमियों के ख्याल से इस प्रकार का संशोधन रखते हैं और दूसरे जो हजारों की तादाद में हैं उनका ख्याल नहीं करते। तो यह गलत बात है। जनतंत्रिय सरकार ने जो चीज़ इस विधेयक में रखी है उससे सभी को लाभ होगा। सारे प्रदेश की सुविधा के ख्याल से ही हमारी सरकार ने उसको रखा है। यह सरकार सभी के लिये एक सा कानून बनाना चाहती है। वह किसी विशेष समुदाय को विशेष सुविधा पहुंचाना नहीं चाहती। इसलिये यदि इस संशोधन को मान लिया जाय तो यह बुन्देलखंद के लिये बड़े कलंक की बात होगी और मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि वे इस संशोधन को कभी स्वीकार न करें।

श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)--माननीय अधिष्ठात्री महोदया, मैं श्री ब्रजनारायण तिवारी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करूंगा। माननीया, जो यह स्पष्टीकरण इस मूल बिल की धारा ४ में रखा गया है वह केवल इसीलिये है कि किसी तरह से जो बड़े-बड़े लोग हैं उनकी जमीनों को बचाया जा सके। आपके सामने भी यह जाहिर है और सारे सदस्यों के सामने यह जाहिर है कि जो पुराने जमींदार थे उनके पास सीर और खुदकाश्त थी जिस पर पहले कोई लगान नहीं था लेकिन जब वह भूमिधर हुए तो उनका लगान कम निश्चित हुआ। इसलिये इस स्पष्टीकरण से आज उन्हीं लोगों को फायदा होगा क्योंकि ४ रुपये से कम फी एकड़ लगान वाली जमीन की दो एकड़ अच्छे प्रकार की भूमि का एक एकड़ के बराबर मानी जायगी और ४ रुपये से ६ रुपये लगान के बीच की जमीन की डेढ़ एकड़ एक एकड़ के बराबर मानीजायगी। इस प्रकार से १२८ एकड़ तक जमीन मिल सकेगी और इसके अतिरिक्त खलिहान तथा बाग वगैरह के लिये भी जमीन मिल सकेगी। तो फिर मैं जानना चाहता हूं कि भूमिहीनों को जमीन देने की कौन सी व्यवस्था है ? इस प्रकार से इस बिल का मकसद पूरा नहीं होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार भूमिहीनों को भूमि देना नहीं चाहती बल्कि आज प्रदेश में जो वातावरण फैला हुआ है, जमीन के बटवारे के जो नारे लगाये जाते हैं, उस वातावरण और उस नारे को खत्म और शान्त करने के लिये यह सरकार इस बिल को लाई है। इससे उस बात की पूर्ति नहीं होती है। यह सरकार हमें घपले में डालकर बड़े-बड़े लोगों की जमीनों को बचाना चाहती है और दूसरी ओर से नारे को समाप्त करना चाहती है। यही नहीं इस बिल के द्वारा सरकार की ओर से अपने सम्बन्धियों और दोस्तों की जमीनों को जो कि सरकारी पदों पर मौजूद हैं, बचाने की कोशिश की गई है....

राजस्व उप-मंत्री (श्री महावीरप्रसाद शुक्ल)--अधिष्ठात्री महोदया, माननीय सदस्य ने कहा कि इस बिल के द्वारा सम्बन्धियों और रिश्तेदारों की जमीन बचाने की कोशिश की जा रही है, यह शब्द आपत्तिजनक हैं, इनसे आक्षेप होता है और इस सदन की मर्यादा के अनुरूप नहीं हैं। इसलिये शब्दों को उन्हें वापस लेना चाहिये।

श्री अमरनाथ--मैंने किसी व्यक्ति पर आक्षेप नहीं किया है बल्कि जनरल कहा है।

श्री अधिष्ठाता---माननीय सदस्यों को ऐसे संकेत सदन में नहीं करने चाहिये जिनसे दूसरों पर आक्षेप होता हो।

श्री अमरनाथ---मैं जनरल तरीके पर तो कह ही सकता हूं, मैं किसी का नाम नहीं लेता।

श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह---मेरी एक वैधानिक आपत्ति है। जो संशोधन पेश किया गया है उसका बटवारे या सगे सम्बन्धियों से क्या सम्बन्ध है, संशोधन तो केवल यह है कि बुन्देलखंड में दो एकड़ जमीन एक एकड़ मानी जाय।

श्री अधिष्ठाता---आप इस तरह के आक्षेप नहीं कर सकते, आप केवल संशोधन के ऊपर ही बोल सकते हैं।

श्री अमरनाथ---मैं तो माननीय ब्रजनारायण तिवारी जी ने जो संशोधन पेश किया है उसका समर्थन करता हूं।

श्री अधिष्ठाता---आप उन शब्दों को जिनसे आक्षेप होता है, वापस ले लीजिये।

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---माननीय सदस्य ने कहा कि जो व्यवस्था की जा रही है वह सम्बन्धियों, रिश्तेदारों और दोस्तों की सीमा को बचाने के लिये की जा रही है, इस पर मुझे आपत्ति है, इन शब्दों को वह वापस लें।

श्री अमरनाथ---मेरा मतलब गवर्नमेंट से है, मन्त्री जी से इन शब्दों का कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---ऐसा कहना नियमों के प्रतिकूल है, माननीय सदस्य इन शब्दों को वापस लें।

श्री अमरनाथ---व्यक्तिगत बात न कह कर इस तरह के आक्षेप करने का हमें अधिकार है, माननीय मन्त्री जी अभी पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस पढ़ें।

श्री अवधेशप्रतापसिंह---श्रीमन्, इस तरह का आक्षेप नहीं किया जा सकता। माननीय मन्त्री जी सरकार के एक अंग ही हैं। इन शब्दों को वापस लिया जाय।

श्री अमरनाथ---मैंने तो सरकार के लिये कहा था।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह---सरकार का मतलब है माननीय मन्त्री या उप-मंत्री।

श्री अधिष्ठाता---माननीय अमरनाथ जी, अपने शब्दों को वापिस लीजिये।

श्री अमरनाथ---अगर आप नहीं पसन्द करती हैं तो मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---माननीया अधिष्ठात्री महोदया, भीखालाल जी के संशोधन का मैं समर्थन करता हूं। आप जानती हैं कि जब से सीलिंग का सवाल देश में उपस्थित हुआ है तभी से लोगों ने जमीन का काफी बटवारा कर लिया। एक बात। दूसरी बात यह है कि बड़े-बड़े जमींदारों और जिनके पास जमीन है उनका लगान इतना कम है कि वह मुश्किल से ३ या ४ रुपये प्रति एकड़ आता है पूरी जमीन का। मैं अपने जिले की बात कह रहा हूं, अपने गांव की बात कह रहा हूं। हमारी जमीन का लगान ६ रुपये प्रति एकड़ है और उसी के बगल में बड़े-बड़े भू-स्वामियों का लगान ३ पये या ४ रुपये प्रति एकड़ है। यही नकशा पूर्वी ११, १२ जिलों में सबमें है। अगर यह सरकार ५ और ६ रुपये के बीच की जमीन को ड्योढ़ा करती है और ५ रुपये से नीचे वाली को दुगुना करती है तो विधेयक का मकसद पूरा नहीं हो पाता है। मैं मानता हूं कि मंत्री जी गरीबों को जमीन देना चाहती हैं, उनकी नीयत है और इच्छा भी है

लेकिन हो सकता है कि कोई दिक्कत उनके सामने हो। इस संशोधन को स्वीकार करने से वह दिक्कत दूर हो जायगी ।

हमारे चित्तरंसिह निरंजन और राजा साहब ने बुन्देलखंड के बारे में कहा, कि बैल हम २ जोड़ी रखेंगे, ४ मजदूर रखेंगे और २० रुपया मजदूरी देंगे, इसलिये हमें क्या बच पावेगा। राजा साहब के इलाके मे कितने ऐसे लोग हैं जो इस संशोधन से फायदा उठाने वाले हैं? कितने ऐसे लोग हैं जो बेजमीन और बेघरबार है और दूसरों के यहां खेती करके, हम जोतकर, सिंचाई व गुड़ाई करके अपनी जीविका चलाते हैं? अगर ऐसे लोग बहुत है तो मैं उनके नाम पर राजा साहब से निवेदन करूंगा कि वह अपने संशोधन को वापस ले लें। ताकि गरीबों को भी जमीन मिले जिनके पास छप्पर तक भी अपने नहीं है। एक घूर भी जमीन उनके पास नहीं है। आज के युग में ऐसा संशोधन उचित नहीं है। हमारे सुदामा प्रसाद जी ने जो कि वहीं के रहने वाले है, बहुत साफ-साफ इस बात को कहा है। हम राजा जी से अपील करेंगे कि वह बेघरबार वालों को भी खाने पीने और जीवित रहने का हक दें। पहले उन गरीब लोगों को भाग्य के नाम पर, परमात्मा के नाम पर, यह कह कर कि तुमको परमात्मा ने ही गुलाम पैदा किया है, गुलाम बनाये रखा है। राजा लोग तो पहले बड़े उदार समझे जाते थे यद्यपि होते नहीं थे। सरकार उनकी मदद कर रही है, कहीं ४० एकड़ और कहीं १२८ एकड़ इस विधेयक में रखा है।इन शब्दों के साथ मैं राजा जी से निवेदन करता हूं कि वह अपने संशोधन को वापिस लें अगर वापस नहीं लेते हैं तो मैं उसका विरोध करता हूं और भीखालाल जी के संशोधन का समर्थन करता हूं ।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)---सभापति जी, मैं ब्रजनारायण जी के संशोधन का समर्थन करते हुये सरकार से अनुरोध करूंगा कि यह बिल लाकर वह जनता को धोखा दे रही है। उसे वह छोड़ दे क्योंकि यह पाप की बात है। इससे सरकार राष्ट्र, समुदाय और पूरे समाज को धोखा दे रही है। सरकार का यह सीधा सा मतलब है कि किसी की जमीन न ली जाय और न गरीबों को दी जाय। बिल में एक भी तो धारा ऐसी नहीं है। आज जिनके पास १ एकड़ या २ बिस्वा भी जमीन नहीं है उनके लिये सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं !

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---माननीय सदस्य किस संशोधन पर बोल रहे हैं ?

श्री अधिष्ठाता---ब्रजनारायण जी तिवारी के संशोधन पर बोल रहे हैं ।

श्री बंशीधर शुक्ल---जब तक पूरी जमीन की बात नहीं कही जायगी तब तक कोई प्रस्ताव सही हो ही नहीं सकता है । अगर कोई कहे कि हम सीधे इक्कें के घोड़े की तरह चलें तो वह जानवर का काम है । कोई आदमी बोलने के लिये खड़ा होगा तो जरूर १० बातें इधर उधर की कहेगा ।

हमारे जिले में सरकार ने सबसे बड़ी मूर्खता यह की है कि एक सम्पूर्णानन्द नगर बनाया गया, उसमें कमलापतिपुरी, चन्द्रभानपुरी विसेनपुर, विचित्र नगर बसाया। किसानों की जबरदस्ती जमीन लेकर यह खेल बनाया गया और उन्हें कोई मुआवजा भी नहीं दिया गया । किसानों के पास पट्टे मौजूद हैं, पटवारी के काग़जों में इन्दराज है । सरकार ने उनकी जमीन छीन कर बड़े बड़े सरकारी नौकरों को दे दी । सबसे बड़ी दुर्दशा वहां यह है कि जो सड़क सरकार ने बनाई उस पर किसान गाड़ी नहीं चला सकते । यह घोर अन्याय है ? जो मैट्रिक पास हैं उसे २० एकड़ जमीन वहां दी गई और जिसे मूर्ख समझा जाता है, बिना पढ़ा, उसे १० एकड़ दी गई । परिवार का कोई खयाल नहीं रखा गया । अगर किसी के परिवार में ५ आदमी हैं तो वे ५० एकड़ पा गये । यह सरकार की नेकनीयती है । तो मैं श्रीमती सरकार आलिया से कहूँगा कि वह अगर सचमुच गरीबों को जमीन देना चाहती होती तो कोई कहीं तो ढंग दिखाई देता जिसके पास एक बिस्वा भी जमीन नहीं है और वह जमीन जोतकर अपनी गुजर करना चाहता है, तो उसे जमीन नहीं मिलेंगी क्योंकि परती जमीन जोतने वाले बेदखल कर दिये जाते हैं और सही संशोधन नहीं मानती गरीबों को जमीन तभी मिलना संभव हो सकता है जब कि वह ब्रजनारायण जी तिवारी के संशोधन को स्वीकार करने का कष्ट करें । अगर सरकार उसे नहीं

[श्री बंशीधर शुक्ल]

स्वीकार करती है तो वह फ़ेल हो जायगी, सरकार की इच्छा भी जन-जन को मालूम हो गई है कि वह भूमिहीनों को जमीन नहीं देना चाहती है ।

एक सदस्य--कविता कहिये ।

श्री बंशीधर शुक्ल--हम देखते रहे हैं कि गरीबों का जिम्मेदार कौन है । गरीब किसके दरवाजे अर्जी देने जाय ? अच्छा लीजिये, कविता सुनिये ।

देश का को है जुम्मेदार ।
चौराहे पर ठाढ़ किसनऊं ताकैं चारिउ वार ।

कहूं न जोति दिया ना बाती, कोई हितू न सखा संघाती,
चलै विकट बोझारा पछ्हिया, उड़ै रथी जस तिनका पाती,
उडि लै अन्धकार चौगिर्दा सूझि न पैर अगार । देश० ।

नौकर कहें कि हम चाकर हैं, अफसर कहें कि हम नौकर हैं,
मंत्री कहें कि हम रहबर हैं, मेम्बर कहें कि खिदमतगार हैं,
कहें गवर्नर पद जरूर है मुला न कुछ अधिकार । देश० ।

जिलाधीश परगनाधीश, कोई न्याय धीश कोई प्रान्तपति है,
राज्यपाल कोई नगरपाल कोई लेखपाल कोई राष्ट्रपति है,
मुल देखित तौ रांड़ लगि रही भारत की सरकार । देश० ।

लंका गोआ ब्रह्म छिनगा असम भोट नैपालौ कटिगा,
पाकिस्तान सदा का बटिगा, रहा सहा काश्मीरौ बटिगा,
मैक मोहन लद्दाखो लुटिगा कोई न रोवनि हार । देश० ।

मैं यह कहता हूं कि इससे तो अच्छा यह होता कि सम्पूर्णानन्द प्रांत के बादशाह बना दिये जाते और उनकी बिरादरी सब सरकार होती तो कल को कोई किला चला जाता तो उनके बंश वाले कहते तो सही कि हाय यह हमारे बुजुर्गों का किला था सो चला गया । जैसे आज छत्तर-मंजिल गिर गयी है तो नवाब लोग कहते हैं कि हमारे बुजुर्गों की यह एक निशानी थी सो चली गयी आज तो कोई रोने वाला नहीं है । क्या यह सरकार है ? कहीं विद्यार्थी प्रदर्शन करते हैं और कहीं भूमिहीन रो रहे हैं ।

कहा जाता है कि गरीब किसानों को जमीन दी जायगी । यह स्वप्न है, कवि कल्पना से कई गुनी यह कल्पना उनकी है । किसी भी रूप में भूमिहीनों को जमीन मिलने वाली ही नहीं है ।

हमारे यहां रामेश्वर नेवटिया के पास ३ हजार एकड़ के फारम हैं । १० गुना देकर वह १२ आना एकड़ में लगान पर जमीन है जिसमें १२ सौ रुपया फी एकड़ पैदावार है । उसी के पड़ोस में १२ रुपया १५ रुपया फी एकड़ जमीन किसानों की है जिसमें भी वह ईख के अलावा धान बोता है, गेहूं बोता है, चना बोता है तब जाकर कहीं १०० रुपया एकड़ पैदा कर पाता है । इसलिये यह लगान के अनुसार जमीन की नाप लगाना आपका गलत है । पहलें आप सर्किल रेट ठीक कीजिये, इसके बाद कागज दुरुस्त कीजिये तब सीलिंग कीजिये । लगान के अनुसार जमीन की कीमत कहीं नहीं होती । कोई भी यह साबित कर दें कि जमीन की कीमत लगान के अनुसार होती है तो मैं असेम्बली की मेम्बरी से इस्तीफा देने के लिये तैयार हूं । इसलिये यह आपका बटवारा करने का तरीका गलत है । इसलिये मैं सरकार आलिया से कहूंगा कि इस प्रकार के कानून बनाना ढकोसला है । पहलें जमीन की किस्म दर्ज कीजिये । राजा साहब का यह कहना ठीक है कि जहां एक फसल होती है वहां एक फसल का लगान होना चाहिये । लेकिन गांजर में २ आना बीघा जमीन है और पैदावार २०० से कम नहीं होती । और तराई में ? कहावत है "धन होय नदी के काछा" । वहां पहले नक्शी लगान था । वहां किसी का पट्टा नहीं है ।

एक-एक जमीन पर ५-५ आदमियों के नाम लिखे हैं । वही जमीन हमारे नाम है, वही उनके नाम है, वही किसी और के नाम है । तो अगर आप यह हाल करेंगे तो यह कागज पर के करने के समान सरकार का काम होगा । इस प्रकार मैं श्री ब्रज नारायण जी के प्रस्ताव का समर्थन करते हुये सरकार से कहता हूं कि यह जो ढकोसला उसने बनाया है, उसको छोड़ दे ।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---अधिष्ठात्री महोदया, मैं इस समय राजा वीरेन्द्र शाह के संशोधन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मैंने उस संशोधन को पढ़ा और उधर के बैठने वाले मित्र बलदेव सिह जी के भाषण को भी मैंने सुना । उन्होंने जो तर्क किया उस तर्क को सुन कर मुझे आश्चर्य हुआ । आपने यह बात बतलायी कि लखनऊ के पास अगर किसी को ५ एकड़ जमीन मिलें तो वह बुन्देलखंड की ५० एकड़ भूमि से ज्यादा कीमत की है, अगर अमीनाबाद में उसे भूमि मिल जाय जो वह हजारों रुपये की सम्पत्ति होगी और अगर हजरतगंज में मिल जाय तो लाखों रुपये की सम्पत्ति होगी । मैं आपके द्वारा उनसे नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि यहां कोई भूमि की कीमत की बात नहीं है । आपका जो यह तर्क था वह भूमि की कीमत के बारे में था । यहां कीमत का प्रश्न नहीं है । असल में यह देखना चाहिये कि बुन्देलखंड की भूमि और पूर्वी या पश्चिमी जिले की भूमि में पैदावार कितनी होती है और यदि आप यह साबित कर दें तो इसमें कोई शंका न रहे कि बुन्देलखंड की भूमि में औसत पैदावार कम होती है और पूर्वी जिलों में पैदावार ज्यादा होती है । और बुन्देलखंड की जन-संख्या जितनी है उसके हिसाब से औसत वहां भूमि क्या मिलती है तब भी आपकी दलील ठीक हो सकती है । कीमत से आपका कोई प्रश्न हल नहीं होता है ।

मेरा यह कहना है कि पूर्वी जिलों में या पश्चिमी जिलों में जन-संख्या बहुत अधिक है और भूमि कम है, जब कि बुन्देलखंड में जन-संख्या कम है । वहां के जिले जितने हैं वे डेफिसिट डिस्ट्रिक्ट नहीं है बल्कि सरप्लस डिस्ट्रिक्ट हैं । उन जिलों में जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा अन्न की पैदावार होती है । इसलिये पूर्वी जिलों की एक एकड़ भूमि वहां की २ एकड़ भूमि के बराबर माना जाय, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है । उसके और भी कारण हैं । मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि राजा साहब ने इधर की एक एकड़ भूमि को वहां की दो एकड़ भूमि के बराबर कैसे समझ लिया । मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि बुन्देलखंड के राजा साहब खड़े हो जायं और पूर्वी जिले के गोंडा के राजा साहब जो उनके बगल में ही बैठे हुए हैं वे भी खड़े हो जायं तो भोजन दोनों का बराबर ही होता है और वजन भी शायद बराबर ही होगा, इसमें कोई फर्क नहीं होगा । आवश्यकता भी शायद जितनी उनकी होगी उतनी ही उनकी भी होगी । तो यह जो दलील उन्होंने दी है वह दलील नहीं मानी जा सकती ।

दूसरी बात मैं यह और जानना चाहता हूं कि अब राजा लोगों को जमीन से मोह क्यों है ? अब तो जमीन उसी के पास रहने वाली है जो उसमें खपेगा, उसमें मशक्कत करेगा, जो अपने हाथ से हल चला कर उसमें अन्न पैदा करेगा । अब वह बात भूल जाइये जब कि राजा लोग एक गांव में रहते हुए पचीसों गांव के मालिक बने रहते थे और अपने जिलेदार, सरबराकार या सीरदारों के जरिये अपनी जमीन में सीर कराते थे ।

राजा वीरेन्द्रशाह---मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं ।

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल---बाद में पूछ लीजियेगा, मुझे समाप्त कर लेने दें । अब वे भूमि से प्रेम छोड़ें । आज हम देख रहे हैं कि जो बड़े बड़े जमींदार थे, बड़े बड़े ताल्लुकेदार थे, और बड़ी सम्पत्ति वाले थे उन्होंने अपना दूसरा रोजगार अख्तियार कर लिया है । कुछ लोगों ने तो मिलें खोल ली हैं, कुछ लोगों नें दूकानें बना ली है, कुछ लोगों ने शहरों मे बड़े बड़े होटल खोल लिये हैं और इस तरह से अपनी आमदनी का कोई न कोई जरिया अख्तियार कर लिया है । जमीन धीरे-धीरे उनके हाथ से जा रही है और यह स्वाभाविक है कि वह अब उनके हाथ से जायगी । इतने साल तक उन्होंने उसको अपने नाम से रखा और उन गांवों में उन्होंने सैकड़ों

[श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल]

बीघे जमीन रखो लेकिन वहां उनके २ बैल भी अपने नहीं थे और हरी बेगारी से वह अपनी जमीनों को किसानों से जुतवाते थे और वह गल्ला अपने यहां मंगाते रहे ।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करूंगा कि जो संशोधन पेश हुआ है, वह किस भावना से आया है । उस पर अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाय, तो भावना उसके पीछे यह है कि जितने बड़े बड़े लोग वहां पर हैं वे वह आशा करते हैं कि अगर इस तरह ४० एकड़ का दुगना हो जायगा तो इस तरह से ८० एकड़ की सीलिंग हो जायगी । इससे यह होगा कि जो भूमिहीन लोग हैं, जिनको हम जमीन देना चाहते हैं, वह कुछ न पा सकें, यह भावना इसके पीछे है । मैं निवेदन करूंगा कि यह संशोधन किसी के लाभ का नहीं है । इससे न उन्हीं का लाभ होगा और न भूमिहीनों का ही लाभ होगा ।

जमींदारी अबालिशन के समय से आज तक हुआ यह है कि इससे पहले बड़े बड़े तालुकेदारों ने अपने संबंधियों के नाम, अपने नौकरों के नाम, अपने जिलेदारों और सरबरकारों के नाम सैकड़ों फर्जी पट्टे खेतों के कर दिये और जिस खेत का ६-६ रुपये का लगान था उसका एक एक पए पर कर दिया । आज भी वह मौजूद हैं या उन्होंने उन जमीनों को बेचकर हजारों और लाखों रुपया पैदा किया है । इसलिये अब उनको जरूरत क्या है ? मैं बताना चाहता हूं कि किसी को जब लालच होने लगती है तो चारों तरफ से यही भावना होती है कि गलत सही किसी तरह से पास में धन आता जाय । मैं नम्र निवेदन करूंगा कि हमारे सूबे के बड़े बड़े राजा और जमींदार लोग अब यह भावना छोड़ दें और अब वह यह भावना रखें कि जो गरीब हैं भूमिहीन हैं और जिनके पास खाने को नहीं है उनके लिये भी कुछ प्रबन्ध हो । इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं और आशा है कि सदन इसको स्वीकार नहीं करेगा ।

श्री भजनलाल--माननीय अधिष्ठात्री महोदया इसी खंड के अन्तर्गत मेरा भी संशोधन था और फिर उसके बाद खंड ५ होता है । मेरा संशोधन यह है कि खंड ४ के उपखंड (३) को निकाल दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता--वह बाद में आयेगा ।

श्री हुकुमसिंह विसेन--अधिष्ठात्री महोदया, मैंने अपने मित्रों की बातें सुनीं और सबके संशोधन भी मैंने पढ़े । इसमें मुझे एक दिक्कत मालूम होती है और वह यह है कि हमारे मित्रों ने जिन्होंने कि इन संशोधनों को उपस्थित किया है वे इस पृष्ठभूमि को भूल गये कि इस बिल में जो ३ तरह की जमीन की क्लासिफिकेशन की गई है उसका उद्देश्य केवल यह है कि हम ३,६०० पया सालाना की आय की गारन्टी करते हैं । अगर यह सब संशोधन मान लिये जाते हैं तो यह उसूल जिसके अनुसार कि ४० एकड़ रखा जा रहा है और उसके लिये ६०-८० रखा गया है वह सब चीज डिस्टर्ब हो जाती है । इससे वह गारन्टी आफ इनकम जो तो रहती है । इसलिये ज्यादा न कह कर मैं अपने मित्रों का केवल इस तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं । इसके अलावा एक बात और है । हमारे सूबे में हमेशा से यह उसूल माना गया है कि प्लेन्स की १ एकड़ जमीन बुन्देलखंड की २ एकड़ के बराबर है । उस सिद्धान्त को भी मद्देनजर रख कर इनकम का तखमीना किया गया है और उसी के सम्बन्ध में सारे प्रावीजन्स इसमें रखे हैं । इन तारमीमों से वह वसूल भी डिस्टर्ब होता है । जो हमारी इनकम की आधारशिला है वह गड़बड़ हो जाती है इसीलिये संशोधन मानने लायक नहीं है । राजा वीरेन्द्रशाह जी ने जो तरमीम पेश की है मैं समझता हूं वह रिडन्डेंट है । जो श्रेणी हमने कायम कर दी थी सर्किल रेट के आधार पर उससे सारे उद्देश्य पूरे हो जाते हैं और राजा साहब का तनहा संशोधन अगर मान लिया जाता है तो बुन्देलखंड को फायदा हो जाय, फ़ायदा तो वैसे हो रहा है बाहर कहने के लिये काफ़ी है, लेकिन ट्रांस जमुना में और इलाके भी आते हैं । माननीय चित्तरसिंह जी ने व्यापक ढंग से संशोधन रखा है लेकिन माननीय वीरेन्द्रशाह जी ने बड़े संकुचित ढंग से संशोधन रखने की कोशिश की । चित्तरसिंह जी का जो संशोधन इसमें रखा गया है उससे वह भी रिडन्डेंट हुआ जाता है । कोई जरूरत इसकी है नहीं ।

लेकिन राजा साहब का संशोधन एक किस्म से डिसक्रीमिनेशन पैदा करता है कि बुन्देलखंड के लिये ऐसा कर दीजिये और उसी किस्म से दूसरे ट्रैक्स के लिये न कीजिये । ट्रांस जमुना में आगरा, इटावा, मथुरा और इलाहाबाद आता है । हमने तो सारे सूबे लिये ऐसा रखा है कि जहा कहीं ऐसी जमीन हो बेकार या खराबतम, उस जमीन को हम उस श्रेणी में लावें और इस तरह से जो हमारी सालाना आमदनी का उसूल है वह किसी तरह से डिस्टर्ब न हो । हम चाहते हैं कि बिलकुल इमपार्शल रहें ।

बहुत से मित्रों ने कहा है कि पहले ३० एकड़ थी, साढ़े १२ एकड़ थी अब ४० एकड़ कर दी । तो ४० एकड़ हम किसी को देते थोड़े हैं । दो तरह के आदमी होते हैं, एक चाहता है कि किस के घर में घुसें तो सारी गृहस्थी उठा ले जायं और उसको नंगा और बेकार कर दें । और एक ऐसे होते हैं जो उतना ले जाना चाहते हैं जो उसकी जरूरत से ज्यादा है । उसकी जरूरत-भर को छोड़ दीजिये, अगर कम हो तो उसी में गुजर-बसर करे और बाकी ले ले । तो हम दूसरी श्रेणी के आदमियों में आते हैं । हम किसी को बेकार करने के लिये यहां नहीं बैठे हैं, सबकी तरफ़ निगाह रख कर काम करना है । किसी को द्वेष भाव की वजह से नुकसान पहुचाना हमारे लिये नामुनासिब है । हम ऐसा नहीं कर सकते । हम जो करते हैं वह सद्भावना से करते हैं ताकि किसी को जरूरत से ज्यादा दुख न पहुँचे और जो मुस्तहक हैं उनकी जहां तक हो सके सहायता करके उनके दुख का हम निवारण कर सकें । इस भावना से प्रेरित हो कर इस शक्ल में हमने यह विधेयक रखा है । मैंने जैसा शुरू में कहा इन संशोधनों को हम मंजूर नहीं कर सकते । मुझे आशा है कि कम से कम वीरेन्द्रशाह जी अपना संशोधन वापस ले लेंगे और चितरसिंह भी कदाचित् अपना संशोधन वापस ले लेंगे और बाकी जो साहबान हैं वे जैसा चाहें करें । इन शब्दों के साथ में इन सब संशोधनों का विरोध करता हूं ।

राजा वीरेन्दशाह---जैसा मंत्री जी ने अभी कहा मैंने जब इस संशोधन को पेश किया था बुन्देलखंड में भी ३,६०० की आमदनी का लिहाज रखा था । वह सफाई माननीय मंत्री नहीं जी ने कर दी । लिहाजा मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं ।

(इस समय २ बज कर १५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुए ।)

श्री बंशीधर शुक्ल---जब ४० एकड़ की सीलिंग लग रही है तो गांव सभाओं को क्यों नहीं हिदायत कर देते कि ४० एकड़ के अन्दर पट्टे कर दिये जांय ।

श्री उपाध्यक्ष---सुन लिया । जवाब दे देंगे ।

***श्री ब्रजनारायण तिवारी**---जिन साथियों ने मेरे संशोधन के संबंध में अपने विचार प्रकट किये हैं मैं उनका आभारी हूं । मंत्री जी से मैं कहूंगा कि वें कोई इस तरह का शक व शुबहा न करें लेकिन मैं इस निश्चित मत का हूं कि सरकार की दो निगाहें हैं । एक भूमिहीनों के लिये और दूसरी भूमिपतियों के लिये । इसका सबूत इसी ऐक्ट में है । यह जो मेरा संशोधन है केवल इसलिये कि इसमें दूसरे प्रकार की जमीन दूनी मानी गयी है । चकबन्दी ऐक्ट के मुताबिक अच्छी से अच्छी और खराब से खराब जमीन केवल २० प्रतिशत अधिक मानी गयी है । इतना जरूर कहना है कि जो विभुक्तियां की हैं एवरेंज बढ़ाने की उसके लिये धारा ६ की उपधारा २ में जमींदारी अबोलीशन ऐक्ट की धारा १४३ का जिक्र किया गया है और उसमें उन्हीं को छूट मिलेगी जो भूमिधर होंगे । सीरदार को कोई डिस्क्रीशन इस्तेमाल करने का हक नहीं दिया गया है तो १४३ के अनुसार सारी विभुक्तियां भूमिधर के लिये हैं न कि दूसरे किसानों के लिये ।

मैं कहता हूं कि इस प्रकार की भूमि जितनी होगी वह सब धारा ९ के मुताबिक जो भूमिपति होगा वह चुन लेगा और उसके बाद जो सब से खराब जमीन होगी वह गरीबों के लिये

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री भजनारायण तिवारी]

रह जायगी, जिनके बटवारे के लिये सरकार यह बिल ला रही है। उनको सबसे खराब जमीन साढ़े ३ एकड़ सरकार देना चाहती है उस पर क्या एक परिवार या एक व्यक्ति का गुजारा हो सकता है ? यदि नहीं हो सकता तो अपनी इस सीलिंग के मुताबिक इतनी अधिक मात्रा में जमीन उनको छोड़ने के लिये क्यों आप कोशिश कर रहे हैं। एक बात और बता दूं। इसी में धारा ८ है। इसमें भी भूमिपतियों को यह सुविधा प्रदान की गयी है कि जिस समय अधिकतम जोत की सीमा का निर्धारण होगा उस समय वह शिकमीदार चाहे सरकारी पट्टेदार का शिकमीदार हो या किसी भूमिधर का शिकमीदार हो उसको उतनी ही भूमि तक बेदखल करेंगे जितने में उसकी अधिकतम सीमा पूरी हो जाय। अगर आप एक ही आंख से सब को देखते हैं तो फिर यह दो तरह का नियम क्यों बनाते हैं ? इस पर सरकार को सोचना चाहिये।

अन्त में मैं एक चीज और कह देना चाहता हूं। मंत्री जी ने कहा कि हम तो न्यायपूर्वक बटवारा करना चाहते हैं और इस सीलिंग का आधार उन्होंने ३,६०० रुपया सालाना आमदनी रखा। तो ६ रुपये औ १ नया पैसा जिस जमीन की दर होगी उसको तो आप ४० एकड़ देंगे और जिसकी ६ रुपये दर होगी उसको आप ६० एकड़ देंगे। तो ऐसी हालत में आप कैसे समानता ला पायेंगे। इससे तो अच्छा यही होता कि आप इस धारा को निकाल देते और उसमें यह जोड़ते कि जिस प्रकार की भूमि होगी, चाहे उसका सर्किल रेट कुछ भी हो, लेकिन अगर ३,६०० रुपये सालाना की आमदनी उससे नहीं होगी तो हम उसको नहीं मानेंगे। लेकिन ड्योढ़ा कर के भूमिपतियों को अधिक भूमि देने की योजना सरकार की है। इन शब्दों के साथ में आशा करता हूं कि सरकार मेरे संशोधन को मान लेगी।

श्री भीखालाल---मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, केवल यही कहूंगा कि माल मंत्री जी ने जैसा अभी कहा था कि मेरी और भीखालाल की राय अब मिलने लगी है, तो मुझे उम्मीद है कि इस संबंध भी में मेरी और उनकी राय मिल जायगी।

श्री भजनलाल---उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यही निवेदन करूंगा कि इस विधेयक के अनुसार ६ रुपये से ऊपर जितनी जमीन है वह ४० एकड़ रख सकते हैं। इसमें जो मेरा संशोधन है वह डेढ़ के स्थान पर सवा और दो के स्थान पर डेढ़ करने का है। इसका मतलब यह हुआ कि इस संशोधन को अगर आप स्वीकार कर लेंगे तो आपके बिल में चार चांद लग जायंगे। अगर एक लाख एकड़ जमीन इससे बचने वाली है तो २, ३, ४ लाख एकड़ तक बच सकती है। इसलिये मैं उनसे कहूंगा कि वे मेरे इस संशोधन को मान लें ताकि अधिक भूमि भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को मिल सके।

श्री हुकुमसिंह बिसेन---मुझे और कुछ नहीं कहना है क्योंकि जो कुछ मैंने कहा उसका कोई जवाब नहीं दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ४ का स्पष्टीकरण बदल कर इस प्रकार रख दिया जाय---

"इस उपधारा के अधीन अच्छे प्रकार की भूमि से भिन्न भूमि के संबंध में अधिकतम क्षेत्र की गणना करने में ऐसी भूमि के सवा एकड़ जिसकी मौरूसी दर दो रुपया प्रति एकड़ से अधिक किन्तु ६ रुपया प्रति एकड़ से अधिक न हो तथा ऐसी भूमि के डेढ़ एकड़ जिसकी मौरूसी दर दो रुपया प्रति एकड़ या उससे कम हो, अच्छे प्रकार की भूमि के एक एकड़ के बराबर समझे जायंगे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि धारा ४ की उपधारा २ के खन्ड (ख) के स्पष्टीकरण की दूसरी पंक्ति में "डेढ़" के स्थान पर "सवा" और तीसरी पंक्ति में "चार" के स्थान पर

"दो" और "६" के स्थान पर "चार" तथा चौथी पंक्ति में "दो " के स्थान पर "डेढ़" और 'चार' के स्थान पर "दो" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि निम्नलिखित संमोधन वापस लेने की अनुमति दी जाय—

खन्ड ४ के स्पष्टीकरण के अन्त में शब्द "समझे जायेंगे" के बाद यह और जोड़ दिया जावें :

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि हर हालत में बुन्देलखन्ड के चार जिलों में (झांसी, जालौन, हमीरपुर और बांदा) दो एकड़ अन्य स्थान के एक एकड़ के बराबर माना जायगा ।"

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खन्ड ४ के स्पष्टीकरण में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि बुन्देलखन्ड के चारों जिले, झांसी, जालौन, बांदा, हमीरपुर तथा ट्रांस जमुना के क्षेत्र एवं मिर्जापुर के कुछ भाग में अधिकतम जोत की गणना करने के समय दो एकड़ भूमि एक एकड़ भूमि के बराबर समझी जायगी ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खन्ड ४ के वर्तमान स्पष्टीकरण के स्थान पर नम्न-लिखित रख दिया जाय—

"इस उपधारा के अधीन अच्छे प्रकार की भूमि से भिन्न भूमि के सम्बन्ध में गणना चकबन्दी अधिनियम के अनुसार नियत रीति से की जायगी ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सदन के हाथ उठाकर विभाजन होने के पश्चात निम्न-मतानुसार अस्वीकृत हुआ—

पक्ष में —२७,

विपक्ष में— ८४ ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खन्ड ४ के उपखन्ड (२) के मद (ख) का स्पष्टी-करण निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—अब संशोधनों पर मत बिना विवाद के लिया जायगा । जो माननीय सदस्य अपने संशोधनों में दिलचस्पी लेना चाहें, वह थोड़ा-सा उठ कर बतला देंगे कि वे पेश करना चाहते हैं । मैं मान लूंगा कि वह पेश हो गया ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—एक व्यवस्था का प्रश्न है । इस पर १५२ की संख्या तक संशोधन है । तो मैं आपसे व्यवस्था चाहूंगा कि जो लोग संशोधन देने वाले हैं, उनको आप राय व्यक्त करने के लिये कुछ समय देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—यह आप को मालूम है कि यह निश्चय हुआ था कि ढाई बजे तक खण्डों पर विवाद समाप्त हो जायगा । उसके बाद केवल मत लिया जायगा । जो माननीय सदस्य किसी संशोधन को पेश करना चाहते हैं वह जब मैं नाम पुकारूं तो वह अपनी सीट पर थोड़ा सा खड़े हो जायं और मैं जान लूंगा कि यह इसमें इंटरेस्टेड हैं । उसके बाद उस पर मत ले लिया जायगा ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—आपने जैसा अभी फरमाया कि जो लोग संशोधन पेश करना चाहें वे खड़े हो जायेंगे । उसके लिये कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि एक आधा शब्द समर्थन में कह दें ?

श्री उपाध्यक्ष---मेरा ख्याल है कि माननीय सदस्य काफी पुराने मेम्बर हैं। नये नये व्यवस्था के प्रश्न क्यों उठा रहे हैं?

श्री ब्रजनारायण तिवारी---मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसके लिये समय निश्चित हो गया है कि उतने समय के अन्दर विधेयक पास कर दिया जाय। अगर हो गया है, तो वह समय क्या है?

श्री उपाध्यक्ष---परामर्शदात्री समिति का प्रस्ताव सदन स्वीकार कर चुका है। उसके अनुसार खन्डों पर गिलोटिन होने के बाद जो समय बचेगा उसमें तृतीय वाचन में माननीय सदस्य भाग ले सकेंगे।

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)---श्रीमन्, वह तो तीन बजे था।

श्री उपाध्यक्ष---श्रीमन् आपसे ज्यादा जानते हैं।

प्रश्न यह है कि खण्ड ४ का उपखण्ड (३) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्न मतानुसार अस्वीकृत हुआ ---

पक्ष में ---२४,
विपक्ष में---७६।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खन्ड ४ इस विधेयक का अंग बन जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ५

वर्तमान जोतों पर अधिकतम सीमा का आरोपण।

५---(१) इस अधिनियम के प्रवर्तन के दिनांक से कोई खातेदार, इस अधिनियम द्वारा की गयी अन्य व्यवस्था से अन्यथा, अपने संबंध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र से अधिक क्षेत्र अपने पास रखने का हकदार न होगा, भले ही उस समय प्रचलित किसी अन्य विधि, रूढ़ि अथवा प्रथा में या अनुबन्ध में कोई प्रतिकूल बात हो।

(२) इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय किसी खातेदार के सम्बन्ध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र का अवधारण करने में २० अगस्त, १९५९ ई० के बाद किये गये ऐसी भूमि के हस्तान्तरण या विभाजन की, जो उस हस्तान्तरण या विभाजन के अभाव में इस अधिनियम के अधीन अतिरिक्त भूमि घोषित की जाती, उपेक्षा की जायगी और उस पर विचार नहीं किया जायगा।

(३) उपधारा (२) के उपबन्ध के निम्नलिखित पर प्रवृत न होंगे:

(क) राज्य सरकार के पक्ष में किया गया हस्तान्तरण,

(ख) उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ के अधीन विभाजन, या

(ग) २० अगस्त, १९५९ को विचाराधीन बाद या कार्यवाही द्वारा संयुक्त हिन्दू परिवार की जोत का विभाजन।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड ५ के उपखण्ड (२) की दूसरी पंक्ति में "२० अगस्त, १९५९ ई०" के स्थान पर "१ जनवरी, १९५९" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नमतानुसार अस्वीकृत हुआ —

पक्ष में—२७,

विपक्ष में—८० ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड ५ के उपखण्ड (२) में शब्द "२० अगस्त" के स्थान पर "इस अधिनियम के प्रवर्त्तन के दिनांक" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड ५ के उपखण्ड (२) की दूसरी पंक्ति में "२० अगस्त, १९५९" के स्थान पर "१ फरवरी, १९५९" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खन्ड ५ के उपखन्ड (२) की पंक्ति २ में "२० अगस्त" के स्थान पर "१० फरवरी" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ—

पक्ष में—२६,

विपक्ष में—८२ ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड ५ के उपखण्ड (२) के अन्त में "जायगा" के आगे निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय —

"तथा अतिरिक्त भूमि का अवधारण करते समय पहले हस्तान्तरण कर्त्ता की कृषि भूमि को ही लिया जायगा"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ—

पक्ष में—२८,

विपक्ष में—८४ ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड ५ के उपखण्ड (३) के मद (क) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"राज्य सरकार द्वारा अर्जित भूमि"।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ—

पक्ष में—२१,

विपक्ष में—८६ ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड ५ के उपखण्ड (३) के मद (क) के शब्द "राज्य सरकार" और शब्द "के" के बीच में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय—

"या किसी शिक्षा संस्था या स्थानीय प्राधिकारी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ :—

पक्ष में—२१,

विपक्ष में—८३ ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड ५ के उपखण्ड ३ के मद (ख) को निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ —

पक्ष में—२४,

विपक्ष में —८७।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि—खण्ड ५ के उपखण्ड (३) का भाग (ग) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ :—

पक्ष में—२१,

विपक्ष में—८८।)

श्री ब्रजनारायण तिवारी—उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक केवल १५ तक ही संशोधन लिये जा सके हैं और इसमें करीब १५२ संशोधन हैं। इसलिये मैं सदन की आज्ञा चाहूंगा कि वह आपको बैठे-बैठे ही संशोधन पेश करने की आज्ञा दे।

श्री उपाध्यक्ष—धन्यवाद।

प्रश्न यह है कि खंड ५ के अन्त में निम्न प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाय—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उक्त खंड का प्रभाव उन लोगों पर नहीं होगा जो भूमिहीन हों, या हस्तान्तरण द्वारा ली गई भूमि के सहित ३ १/२ एकड़ के खातेदार हों यानी, भूमिहीन तथा अनार्थिक खातेदार के पक्ष में किया गया हस्तान्तरण।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ—

पक्ष में—२५,

विपक्ष में—८३।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५ में नये खंड (घ) और (ङ) इस प्रकार जोड़ दिये जायं—

(घ) "वह भूमि जो किसी धर्मोत्तर या दानोत्तर वक्फ, न्यास या निबन्ध के नाम किया गया हो।"

(ङ) "किसी शिक्षा संस्था के प्रयोजनों के लिये वह भूमि जो किसी सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १८६० के अधीन निबन्धित किसी समिति या निगमित निकाय के नाम किया गया हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गई।)

समाज कल्याण मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—श्रीमन्, मैं यह प्रस्ताव करना चाहता हूं कि तीन मिनट तक घंटी बजने का जो नियम है....

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है। विभाजन के लिये जब घंटी बज रही हो तब कोई प्रस्ताव नहीं हो सकता।

श्री उपाध्यक्ष——जब तक कि मत न गिन लिये जायं तब तक कोई प्रस्ताव करना वैध नहीं होगा।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया तथा हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ——

पक्ष में——६,
विपक्ष में——९३)

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य——श्रीमन्, मैं प्रस्ताव कर रहा था कि यह जो तीन मिनट तक घंटी बजाने का नियम है इसको निलंबित करके इसके स्थान पर यदि आधे मिनट तक घंटी बजाने की व्यवस्था कर दी जाय तो उचित होगा।

श्री उग्रसेन——मैं इसका विरोध करना चाहता हूं। जब नियम में पहले से है तो उसको क्यों निलंबित कर दिया जाय ?

श्री उपाध्यक्ष——इस सम्बन्ध में प्रस्ताव पास करने की आवश्यकता नहीं है। चेयर को यह अधिकार है कि अगर वह समझें कि समय बिताने के लिये विभाजन की मांग की जा रही है तो वह स्वयं इस व्यवस्था को लागू कर देंगे। अभी वह इस राय पर नहीं पहुंचे हैं।

श्री ब्रजनारायण तिवारी——उपाध्यक्ष महोदय, क्या चेयर को यह भी अधिकार है कि जब तक चाहे घंटी बजाते रहें जैसा कि आपने अभी व्यवस्था दी कि अगर चेयर को इत्मीनान हो जाय कि समय बिताने के लिये विभाजन मांगा जा रहा है तो आप घंटी बजाने के समय को कम कर सकते हैं तो मैं आप से यह भी व्यवस्था चाहता हूं कि क्या चेयर को यह भी अधिकार है कि वह जब तक चाहे तब तक घंटी बजाते रहें।

श्री उपाध्यक्ष——आपका मतलब मैं नहीं समझा। पहले विभाजन पर ३ मिनट तक घंटी बजती है फिर बाद में दो-दो मिनट बजती है, इसमें समय बढ़ाने का कोई सवाल नहीं है। मैं यह भी बतला दूं कि अभी तीसरी रीडिंग भी बाकी है जिस पर माननीय सदस्यों को बोलना है। इसलिये अगर आप बार बार विभाजन कराते रहेंगे तो वह समय आपका कट जायगा। इसमें चेयर को कोई परेशानी नहीं है। तीसरी रीडिंग में माननीय सदस्यों को बोलने का मौका नहीं मिलेगा। जहां तक विभाजन का प्रश्न है अगर आप विभाजन की मांग करेंगे तो चेयर को उसे स्वीकार करना ही होगा।

प्रश्न यह है कि खंड ५ में जहां कहीं भी शब्द "१९५९" आये हों वहां "१९६०" कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष——प्रश्न यह है कि खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ६

अधिकतम सीमा के आरोपण से कुछ भूमि की विमुक्ति

६——इस अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी, किसी खातेदार के सम्बन्ध में, प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र और उसकी अतिरिक्त भूमि के अवधारण के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित वर्गों में से किसी के अन्तर्गत आने वाली भूमि का विचार नहीं किया जायगा :

(१) वह बाग-भूमि जो इस रूप में पहली मई, १९५९ के पूर्व विद्यमान रही हो;

१९५१ ई० का उ० प्र० अधिनियम संख्या १

(२) वह भूमि जो "१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम" की धारा १४३ के अर्थ में उद्योग के काम में लायी जाती हो;

(३) वह भूमि, जिसका क्षेत्रफल दो एकड़ से अधिक न होगा, जो पशुशाला, खाद के गड्ढों, खलिहान या ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिये जो नियत किये जायं, उपयोग में लायी जाती हो;

(४) वह भूमि जिस पर निवास-गृह हो तथा उससे अनुबद्ध क्षेत्र;

(५) वह भूमि जिस पर कब्रें हों या जो श्मशान-भूमि के रूप में प्रयुक्त होती हों;

(६) वह भूमि जो चाय, काफी या रबड़ की रोपस्थलियों के प्रयुक्त होती हों;

(७) वह भूमि जो भेषज्य तथा ऐसी जड़ी-बूटी की तथा अन्य रोपस्थलियों के रूप में प्रयुक्त होती हों, जिन्हें राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा विमुक्त करे;

(८) वह भूमि जो १ मई, १९५९ के पहले से किसी धर्मोत्तर या दानोत्तर वक्फ, न्यास या निबन्ध (Endoument) के पास या अधीन हो;

१९५१ ई० का उ० प्र० अधिनियम संख्या १

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिये किसी धर्मोत्तर या दानोत्तर वक्फ, न्यास या निबन्ध का वही अर्थ होगा जो "१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम" की धारा ७६ में दिया गया है :

ऐक्ट संख्या २१, १८६०

(९) वह भूमि जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १८६० के अधीन निबन्धित किसी समिति या निगमित निकाय के पास किसी शिक्षा-संस्था के प्रयोजनों के लिये हो;

(१०) वह भूमि जो नियत रीति से राज्य सरकार द्वारा अभिज्ञात गोसदनों तथा गोशालाओं के पास हो;

१९५१ ई० का उ० प्र० अधिनियम संख्या १

(११) वह भूमि जो संघ सरकार की सम्पत्ति हो तथा वह भूमि जो राज्य सरकार में अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी में, जिसके अन्तर्गत गांव सभा भी हैं, निहित हो या उसके कब्जे में हो, किन्तु वह भूमि नहीं जो "१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम" की धारा ३ के खंड (१४) में उल्लिखित किसी प्रयोजन के लिये उठा दी गयी हो;

१९५१ ई० का उ० प्र० अधिनियम संख्या १

(१२) वह भूमि जो "१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम" की धारा ११७ या ११७-क के अधीन किसी गांव समाज या स्थानीय प्राधिकारी (स्थानिक आधिकारिकी) में निहित हो, किन्तु वह भूमि नहीं जो उक्त अधिनियम के अधीन उठा दी गई हो;

उ० प्र० अधिनियम संख्या १०, १९५३ ई०

(१३) वह भूमि जो उत्तर प्रदेश भूदान यज्ञ अधिनियम, १९५२ के उपबन्धों के अनुसार वितरण के लिये किसी भूदान यज्ञ समिति के पास हो, किन्तु वह भूमि नहीं जिसके सम्बन्ध में उक्त अधिनियम के अधीन कोई अनुदान कर दिया गया हो;

(१४) वह भूमि जो किसी भूतपूर्व विलीन राज्य क शासक के पास हो और जो उसके तथा भारत सरकार के बीच विलयन-सम्बन्धी अनुबन्ध की शर्तों या उससे संलग्न सांपार्श्विक पत्रों (collatral letters) के कारण

राज्य सरकार द्वारा बिना उस शासक के सहमति के अर्जित न की जा सकती हो;

(१५) वह भूमि जो किसी सहकारी बैंक (Co-operative Bank) द्वारा किसी खातेदार से बन्धक-ऋण के बदले में क्रय द्वारा अर्जित की गयी हो;

(१६) केवल कृषि प्रयोजनों के लिये प्रयोग की जाने वाली भूमि से भिन्न वह भूमि जो विशेषित (specialized) फार्मों में सम्मलित हो और जो अनन्य रूप से कुक्कुट-पालन या दुग्धशाला कार्य (dairying) अथवा अन्य ऐसे प्रयोजनों के लिये, जो नियत किये जायं, प्रयुक्त होती हो;

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिये भूमि के अन्तर्गत वह भूमि भी होगी जो खातेदार द्वारा अनन्य रूप से अपनी दुग्धशाला के प्रयोजनों के लिये चारा उगाने के लिये प्रयुक्त होती हो।

(१७) वह भूमि जो इस अधिनियम के प्रवर्त्तन के पश्चात् किसी सरकारी पट्टेदार को पुनरुद्धारण तथा कृषि के लिये या नियत विशेषित फसलों की कृषि के लिये अथवा ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिये, जो नियत किये जायं पट्टे पर दी गयी हो, तथा

(१८) वह भूमि जिस पर ऐसी फार्म की सड़कें (Farm Roads) हों जो पूरे वर्ष गाड़ियों के यातायात के लिये प्रयुक्त होती हों।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (१) में शब्द "बाग भूमि" के पहले शब्द "वह" तथा बाद के सब शब्द निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (१) के नीचे निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ दिया जाय—

"किन्तु धारा २९ के अनुसार भावी अर्जन के प्रयोग के लिये प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र और अतिरिक्त भूमि के अवधरण के प्रयोजनार्थ किसी बागभूमि को उपरोक्त तिथि के पूर्व बिद्यमान होने का प्रतिबन्ध न होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ—

पक्ष में—७,

विपक्ष में—७३।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (१) को निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ—

पक्ष में—२५,

विपक्ष में—८२।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ उपखंड (१) बदल कर इस प्रकार रख दिया जाय "वह बाग-भूमि जो इस रूप में पहली जनवरी, १९५९ के पूर्व विद्यमान रही हो और जिसका कुल क्षेत्रफल ढाई एकड़ से अधिक न हो।

[श्री उपाध्यक्ष]

स्पष्टीकरण—यदि किसी व्यक्ति की कुल जोत बाग-भूमि है तो उसका अधिकतम क्षेत्रफल अच्छी प्रकार की भूमि के लिये प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र से ढाई एकड़ अधिक हो सकता है। यदि जोत की भूमि का केवल एक भाग बाग है तब बाकी बची हुई जोत की भूमि के लिये प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र से ढाई एकड़ अधिक उसके लिये प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र माना जायगा और अर्जित की जाने वाली अतिरिक्त भूमि पहले जोत के कुल क्षेत्र के उस भाग से ली जावेगी जिस पर बाग नहीं है और फिर आवश्यकता पड़ने पर बाग-भूमि से।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ --

पक्ष में—१८,
विपक्ष में—८७।)

श्री ब्रजनारायण तिवारी—मैं निवेदन करूंगा कि आप २ बार न पढ़ कर एक बार ही पढ़ें और जब डिवीजन काल किया जाय तो दोबारा न पढ़ें, उसी एक बार से काम चल सकता है।

श्री उपाध्यक्ष—नहीं, वह तो पढ़ना ही पड़ेगा।

प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड २ के अन्त में निम्न प्रतिबन्ध बढ़ा दिया जाय—

"परन्तु किसी उद्योग के प्रयोग में आने वाले कच्चे माल को उत्पन्न करने वाली भूमि से इसका तात्पर्य नहीं है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ --

पक्ष में—२०,
विपक्ष में—६६।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (२) को निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (४) में शब्द "तथा उससे अनुबद्ध क्षेत्र" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ --

पक्ष में—१७,
विपक्ष में—७१।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (४) में शब्द "अनुबद्ध" और शब्द "क्षेत्र" के बीच में शब्द "आधा एकड़" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ --

पक्ष में—२०,
विपक्ष में—७२।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (४) के शब्द "निवास गृह" और शब्द "हो" के बीच में शब्द "तथा धार्मिक स्थान" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुनुसार अस्वीकृत हुआ--

पक्ष में—११,
विपक्ष में—७३।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (४) के अन्त में "जो एक एकड़ से अधिक न हो", जोड़ दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६-की वर्तमान मद (६) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(६) वह भूमि जो चाय, काफी या रबड़ की रोपस्थलियों के रूप में प्रयुक्त होती हो, तथा नियत मात्रा तक वह भूमि जो ऐसी रोपस्थलियों के सहायक प्रयोजनों के लिये अथवा उन (रोपस्थलियों) के विकास के लिये अपेक्षित हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ —

पक्ष में—७३,

विपक्ष में—२२।)

श्री हुकुमसिंह विसेन—अतीकुर्रहमान साहब का जो संशोधन है, उनका नाम पुकारने पर वे खड़े हुए थे।

श्री उपाध्यक्ष—मेरी नजर नहीं पड़ी। मैं उसे भी ले लूंगा।

प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (५) के स्थान पर निम्नलिखित रक्खा जावे—

"वह भूमि जो श्मशान या कब्रिस्तान के रूप में प्रयुक्त होती हो किन्तु उस भूमि को छोड़कर जिस पर कृषि होती हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ में जहां जहां भी "१९५९" आया हो वहां "१९६०" कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड ६ की उपमद (६) निकाल दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड ६ की उपमद (७) निकाल दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड ६ के उपखण्ड (८) की पहली पंक्ति में शब्द "पहली मई, १९५९" के स्थान पर "पहली जनवरी, १९५९" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड ६ के उपखण्ड (८) में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय —

"या बाद में किसी शिक्षण संस्था के निमित्त न्यास या निबन्ध के अधीन किया जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर सदन का विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ :—

पक्ष में — २७,

विपक्ष में — ८१।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड ६ का उपखण्ड (८) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर सदन का विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ —

पक्ष में—१३,
विपक्ष में—९१।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड ६ के उपखण्ड (९) के अन्त में निम्न प्रकार से बड़ा दिया जाय —

"या दी जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड ६ के उपखण्ड (१०) के अन्त में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय—

"अथवा दी जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सदन के हाथ उठा कर विभाजन होने के पश्चात् निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ—

पक्ष में—२४,
विपक्ष में—८२।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड ६ का उपखण्ड (१०) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने के पश्चात् निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ:—

पक्ष में—१६,
विपक्ष में—९१।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड ६ का उपखण्ड (११) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ :—

पक्ष में—१६,
विपक्ष में—८५।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड ६ का उपखण्ड (१३) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ :—

पक्ष में—१९,
विपक्ष में—८७।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड ६ के उपखण्ड (१४) की पंक्ति १ के शब्द "हो" के बाद सब शब्द निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि—

"(१) खण्ड ६ के उपखण्ड (१४) के बाद निम्नलिखित नया खण्ड (१५) के रूप में जोड़ दिया जाय और वर्तमान उपखण्ड (१५) से (१८) तक की संख्या बदल कर (१६) से (१९) कर दी जाय।

(१५) वह भूमि जो किसी सहकारी समिति के पास अपने नाम में हो और जिसमें कृषि, बागबानी या पशु-पालन, जिसमें मत्स्य सम्वर्द्धन और कुक्कुट पालन भी सम्मिलित है, सम्बन्धी कृत्य प्रायः उसके सदस्यों द्वारा किये जाते हों।

(२) वर्तमान उपखण्ड (१५) में जो पुनर्संख्यांकित हो कर उपखण्ड (१६) हो जायगा में शब्द "सहकारी बैंक" के स्थान पर "सहकारी समिति" रख दिया जाय।"

श्री ब्रजनारायण तिवारी—प्वाइंट आफ़ आर्डर। माननीय उपाध्यक्ष महोदय. . . . . .

श्री उपाध्यक्ष—विभाजन के समय कोई प्वाइंट आफ़ आर्डर नहीं उठाया जा सकता।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआः—

पक्ष में—८९,

विपक्ष में—२१।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड ६ का उपखण्ड (१४) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ—

पक्ष में—३४,

विपक्ष में—९१।)

श्री उपाध्यक्ष—मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जब मत गिने जाते हों उस समय आपस में बात न करें, इससे जो गणना करने वाले हैं उनको परेशानी होती है और उसमें गलती होने की सम्भावना है।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि खंड ६ का उपखंड (१५) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ—

पक्ष में—१८,

विपक्ष में—९४।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (१६) की पंक्ति ३ के शब्द "अन्य रूप से" के बाद शब्द "मत्स्य-पालन, पशु-पालन का कार्य" जोड़ दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (१६) की तृतीय पंक्ति में शब्द "कुक्कुट-पालन" निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ—

पक्ष में — १२,

विपक्ष में — ९२।)

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—मान्यवर, मैं एक प्रस्ताव करना चाहता हूं। यह कुल १५२ संशोधन हैं जिनमें से केवल ४४ हुये हैं और हम अभी ६वें खंड पर हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि समय के अन्तर्गत मतदान नहीं हो सकेगा। इसलिये मेरा प्रस्ताव है कि सदन का समय उस समय तक के लिए बढ़ा दिया जाय जब तक समस्त खंडों पर मतदान समाप्त हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष---आप को जानकारी होगी कि इसमें कुछ घंटे नियत हुये थे। तीसरी रीडिंग के लिये समय निर्धारित है। समय के अन्दर पारित नहीं हो सकेगा वह समय इसमें इस्तेमाल कर लिया जायगा।

श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह---तीसरी रीडिंग के लिये जो डेढ़ घंटा निर्धारित है क्या वह इसमें शामिल कर लिया जायगा?

श्री उपाध्यक्ष---जी हां, अगर आप नहीं चाहते तो मैं मजबूर हूं।

श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह---चाहते क्यों नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष---तो यह तो आप लोगों की जिम्मेदारी है जो माननीय सदस्य विभाजन करवा रहे हैं। जो समय ओरिजनल रिजोल्यूशन में इस विधेयक के लिये है मैं उसमें १ मिनट भी समय नहीं बढ़ा सकता।

श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह---पांच बजे के बाद तो समय बढ़ सकता है?

श्री उपाध्यक्ष---मैं सदन की आज्ञा के विपरीत समय बढ़ाने की इजाजत नहीं दे सकता।

प्रश्न यह है कि खंड ६ की उपधारा १६ के अन्तर्गत स्पष्टीकरण की दूसरी पंक्ति में शब्द "दुग्धशाला" तथा "प्रयोजन" के बीच के शब्द में "या पशुशाला" बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (१६) को निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ---

पक्ष में---१९,

विपक्ष में---९९।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (१७) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध लगा दिया जाय---

"परन्तु ऐसे पट्टे ३० एकड़ से अधिक भूमि के एक व्यक्ति को न हो सकेंगे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (१७) को निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (१८) की दूसरी पंक्ति में शब्द "पूरे वर्ष" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (१८) के अन्त में "होती हो" के आगे निम्नांकित बढ़ा दिया जाय---

"और जिनका क्षेत्र फल कुल कृषि फार्म के क्षेत्रफल का पांच प्रतिशत से अधिक न हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ में उपधारा (१८) के बाद निम्नलिखित नये खण्ड बढ़ा दिये जावें और उनका क्रम आवश्यकतानुसार कर दिया जावे—

"(क) सुसंचालित कृषि फार्म।"

"(ख) उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा ३ के खंड २ के स्पष्टीकरण २ से ५ में उल्लिखित भूमि।"

"(ग) नौतोड़ जमीन जो १ जनवरी सन् १९५० के बाद तोड़ी गई है।"

"(घ) वह भूमि जिस पर हाट, बाजार या मेला लगता है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड संशोधित ६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—श्रीमन्, यह बहुत महत्वपूर्ण खंड है, इस पर लिखित विभाजन होना चाहिये और यदि इस पर आप लिखित विभाजन दे देते हैं तो हम शेष संशोधनों पर विभाजन की मांग नहीं करेंगे।

श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह—मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री हुकुमसिंह विसेन—विभाजन हाथ उठा कर ही हो।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ—

पक्ष में—१०३,

विपक्ष में—२६।)

खंड ७

पान, केवड़ा, बेला आदि की कृषि वाली भूमि को विमुक्त करना

७—इस अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी किसी खातेदार की वह भूमि, जिस पर पान, केवड़ा, बेला, चमेली या गुलाब की खेती की जाती हो, अधिकतम जोत-सीमा-आरोपण से विमुक्त होगी, यदि:

(क) उस व्यक्ति के कब्जे में ऐसी भूमि न हो जो अन्य किसी प्रकार की खेती के लिये प्रयुक्त होती हो, या

(ख) वह ऐसी समस्त भूमि को, जो अन्य प्रकार की खेती के लिये प्रयुक्त होती हो धारा ९ या १० के अधीन अतिरिक्त भूमि घोषित करे।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ७ की पंक्ति ३ में शब्द "यदि" निकाल दिया जावे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ७ का उपखंड (क) निकाल दिया जावे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ७ का उपखंड (ख) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ८

१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा ११ में उल्लिखित असामी की भूमि तथा धारा ३ के खण्ड (घ) में उल्लिखित सरकारी पट्टेदार के शिकमी पट्टेदार की भूमि को विमुक्त करना

८—(१) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी, भूमिधर की उस भूमि का, जो उसके असामी की जोत में सम्मिलित हो, और सरकारी पट्टेदार की उस भूमि का, जो उसके शिकमी पट्टेदार की जोत में सम्मिलित हो, ऐसे असामी या शिकमी पट्टेदार के सम्बन्ध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र की सीमा तक, भूमिधर या सरकारी पट्टेदार का, जैसी भी दशा हो, अधिकतम क्षेत्र अवधारित करने पर विचार नहीं किया जायगा।

(२) किसी भूमिधर या सरकारी पट्टेदार की ऐसी भूमि का, जो असामी या शिकमी पट्टेदार की जोत में सम्मिलित हो और जो उस असामी या शिकमी पट्टेदार की अतिरिक्त भूमि घोषित कर दी गयी हो, भूमिधर या सरकारी पट्टेदार की प्रार्थना पर, भूमिधर या सरकारी पट्टेदार के सम्बन्ध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र की सीमा तक, उस भूमिधर या सरकारी पट्टेदार के साथ बन्दोबस्त, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन यथास्थिति असामी या शिकमी पट्टेदार को देय प्रतिकर उसके द्वारा दिये जाने पर, किया जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि कि खण्ड ८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ९

उन खातेदारों को जिनके पास अधिकतम क्षेत्र से अधिक भूमि हो, उसके सम्बन्ध में विवरण प्रस्तुत करने के लिये सामान्य नोटिस

९—इस अधिनियम के प्रवर्तन के दिनांक के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र नियत प्राधिकारी सरकारी गजट में सामान्य नोटिस प्रकाशित कर के ऐसे प्रत्येक खातेदार से, जिसके पास इस अधिनियम के प्रवर्तन के दिनांक को उसके सम्बन्ध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र से अधिक भूमि हो, यह अपेक्षा करेगा कि वह उसे (प्राधिकारी को) उक्त नोटिस के प्रकाशन से तीस दिन के भीतर ऐसे आकार में तथा ऐसे ब्योरों सहित, जो नियत किये जायं, अपनी समस्त जोतों के सम्बन्ध में एक विवरण प्रस्तुत करे। विवरण में वह गाटा या वे गाटे भी दिखाये जायेंगे जिसके या जिनके लिये वह विमुक्ति का दावा करे और वे गाटे भी दिखाये जायेंगे जिन्हें कि इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अपने सम्बन्ध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र के, भाग के रूप में रखना चाहें।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ९ की पांचवीं पंक्ति में शब्द "तीस" के स्थान पर "साठ" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ९ की पंक्ति पांच में शब्द "तीस" के स्थान पर शब्द "पैंतालीस दिन" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १०

१०—(१) यदि कोई खातेदार धारा ९ के अधीन प्रस्तुत किये जाने के लिये अपेक्षित कोई विवरण प्रस्तुत न करे या अपूर्ण अथवा गलत विवरण प्रस्तुत करे तो ऐसी प्रत्येक दशा में नियत प्राधिकारी या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ किसी व्यक्ति के माध्यम से ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, एक विवरण तैयार करवायेगा जिसमें ऐसे ब्योरे दिये होंगे जो नियत किये जायें। इस विवरण में विशेष रूप से धारा ६ या ७ के अधीन विमुक्ति भूमि, यदि कोई हो, दिखाई जायगी तथा वह गाटा या वे गोटे भी दिखाये जायंगे जिसे या जिन्हें अतिरिक्त भूमि घोषित करने का विचार हो।

विवरण प्रस्तुत न करने वाले या अपूर्ण अथवा गलत विवरण प्रस्तुत करने वाले खातेदारों को नोटिस।

(२) तत्पश्चात् नियत प्राधिकारी उपधारा (१) के अधीन तैयार किये गये विवरण की एक प्रति के सहित एक नोटिस, ऐसी रीति से जो नियत की जाय, प्रत्येक ऐसे खातेदार पर तामील करायेगा, जिसमें उससे कहा जायगा कि वह उस नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर कारण प्रकट करें कि विवरण क्यों ठीक न मान लिया जाय। निर्दिष्ट अवधि नोटिस की तामील के दिनांक से दस दिन से कम की न होगी।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है खंड १० के उपखंड (१) की पंक्ति ६ में से "या ७" को निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १० के उपखंड (२) की पंक्ति ३ में शब्द "खातेदार" के आगे शब्द "तथा सभापति ग्राम सभा" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ —

पक्ष में—१८,
विपक्ष में—१०९।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १० के उपखंड (२) की पंक्ति पांच में शब्द "दस दिन" के स्थान पर शब्द "पच्चीस दिन" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १० के उपखंड (२) की पांचवीं पंक्ति में शब्द "दस" के स्थान पर "२०" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १० इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ११

आपत्ति प्रस्तुत न किये जाने पर अतिरिक्त भूमि का अवधारण ।

११—(१) यदि धारा ९ के अधीन प्रकाशित नोटिस के अनुसरण में किसी खातेदार द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई विवरण नियत प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया जाय अथवा यदि धारा १० के अधीन नियत प्राधिकारी द्वारा तैयार किये गये विवरण पर निर्दिष्ट अवधि के भीतर आपत्ति न की जाय तो नियत प्राधिकारी खातेदार की अतिरिक्त भूमि तदनुसार अवधारित करेगा ।

(२) नियत प्राधिकारी ऐसे खातेदार द्वारा जो अपनी अनुपस्थिति में दिये गये आदेश से क्षुब्ध हो, उपधारा (१) के अधीन आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर, प्रार्थना दिये जाने पर और उसकी अनुपस्थिति का पर्याप्त कारण प्रकट किये जाने पर, उस आदेश को रद्द कर देगा और उस खातेदार को धारा १० के अधीन तैयार किये गये विवरण के विरुद्ध आपत्ति प्रस्तुत करने की अनुमति देगा और धारा १२ के उपबन्धों के अनुसार उसका निर्णय करने के लिये कार्यवाही करेगा ।

(३) उपधारा (२) और धारा १३ के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, नियत प्राधिकारी का आदेश अन्तिम तथा निश्चायक होगा और उस पर किसी विधि न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायगी ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ११ के उपखंड (१) की पंक्ति २ में शब्द "खातेदार" के आगे शब्द "तथा सभापति ग्राम सभा" भी बढ़ा दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ११ के उपखंड (३) को निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ११ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १२

आपत्ति प्रस्तुत की जाने पर नियत प्राधिकारी द्वारा अतिरिक्त भूमि का अवधारण ।

१२—(१) यदि धारा १० की उपधारा (२) के अधीन या धारा ११ की उपधारा (२) के अधीन अथवा धारा १३ के अधीन अपील में दिये गये किसी आदेश के परिणाम-स्वरूप कोई आपत्ति प्रस्तुत की गई हो तो नियत प्राधिकारी पक्षों की सुनवाई का और साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देने के पश्चात्, अपने कारणों को अभिलिखित करके आपत्तियों का निर्णय करेगा तथा अतिरिक्त भूमि अवधारित करेगा ।

(२) धारा १३ के अधीन अपील में दिये गये किसी आदेश के अधीन रहते हुये, उपधारा (१) के अधीन नियत प्राधिकारी का आदेश अंतिम तथा निश्चायक होगा और उस पर किसी विधि-न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायगी ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १२ के उपखंड (२) को निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १२ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १३

अपील

१३—(१) धारा ११ की उपधारा (२) या धारा १२ के अधीन दिये गये किसी आदेश से क्षुब्ध कोई पक्ष उक्त आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर उस जिला न्यायाधीश (डिस्ट्रिक्ट जज) के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है जिसके अधिक्षेत्र में वह भूमि या उसका कोई भाग स्थित हो ।

(२) जिला न्यायाधीश अपील को यथाशक्य शीघ्र निस्तारित करेगा तथा उस पर उसका निर्णय अन्तिम और निश्चायक होगा और किसी विधि न्यायालय में उस पर आपत्ति नहीं की जायगी ।

(३) यदि इस धारा के अधीन अपील की जाय तो जिला न्यायाधीश उस आदेश के प्रवर्तन को, जिसके विरुद्ध अपील की गई हो, ऐसे समय के लिये और ऐसी शर्तों पर स्थगित कर सकता है जो ठीक और उचित समझी जायं ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १३ के उपखंड (२) की पहली पंक्ति में शब्द "निस्तारित करेगा" के बाद के शब्द निकाल दिये जावें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १३ में एक नया उपखंड (४) इस प्रकार जोड़ दिया जावे :—

"(४) जिला न्यायाधीश के निर्णय से क्षुब्ध कोई पक्ष उक्त निर्णय के दिनांक से ९० दिन के भीतर हाई कोर्ट के समक्ष अपील कर सकता है ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १३ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १४

अतिरिक्त भूमि का अर्जन

१४—(१) नियत प्राधिकारी :

(१) उस दशा में जब धारा ११ की उपधारा (१) के अधीन दिया गया आदेश अन्तिम हो गया हो; अथवा

(२) यदि धारा १३ के अधीन कोई अपील प्रस्तुत न की गई हो, तो उसके लिये निर्धारित अवधि की समाप्ति के पश्चात्; अथवा

(३) यदि धारा १३ के अधीन कोई अपील प्रस्तुत की गई हो, तो उसके निर्णय के पश्चात्;

धारा ११, १२ या १३ के अधीन, जैसी भी दशा हो, अवधारित अतिरिक्त भूमि सरकारी गजट में विज्ञापित करेगा ।

(२) आगे की गई व्यवस्था के अधीन रहते हुये उपधारा (१) के अधीन विज्ञप्ति प्रकाशित होने के दिनांक के प्रारम्भ से ऐसी समस्त अतिरिक्त भूमि समस्त भारों से मुक्त होकर राज्य को हस्तान्तरित तथा उसमें निहित हो जायगी और उस दिनांक से उस भूमि में समस्त व्यक्तियों के अधिकार, आगम तथा स्वत्व समाप्त हो जायेंगे ।

(३) उपधारा (१) के अधीन विज्ञप्ति के प्रकाशन पर कोई व्यक्ति, जो खातेदार या खातेदार से प्राप्त भूमि पर काबिज पट्टेदार के रूप में उस अति-

रिक्त भूमि में, जिसके सम्बन्ध में विज्ञप्ति प्रकाशित की गई ही, स्वत्व का दावा करता हो, उस विज्ञप्ति के तीस दिन के भीतर, नियत प्राधिकारी के समक्ष ऐसे भूमि में अपने स्वत्व की मात्रा बताते हुये आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है ।

(४) नियत प्राधिकारी आपत्तिकर्त्ता, सम्बद्ध खातेदार तथा राज्य सरकार को सुनवाई का तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देने के पश्चात् कारणों को अभिलिखित करते हुये आपत्तियां निस्तारित करेगा ।

(५) उपधारा (४) के अधीन दिये गये आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर, उस जिला न्यायाधीश को अपील प्रस्तुत कर सकता है जिसके अधिक्षेत्र में उक्त भूमि या उसका कोई भाग स्थित हो । जिला न्यायाधीश का आदेश अंतिम तथा निश्चायक होगा तथा किसी विधि न्यायालय में उस पर आपत्ति नहीं की जायगी ।

(६) इस धारा के अधीन आपत्ति या अपील का निस्तारण करने में नियत प्राधिकारी या जिला न्यायाधीश, जैसी भी दशा हो, पक्षों के अधिकारों के सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय के किसी भी निर्णय को स्वीकार करेगा ।

(७) ऐसे खातेदार या खातेदार के पट्टेदार से जिसका अतिरिक्त भूमि में अधिकार, आगम या स्वत्व यहां पहले दिये गये उपबन्धों के अधीन स्वीकार किया गया हो, भिन्न किसी व्यक्ति के विषय में इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये यह नहीं समझा जायगा कि उक्त अतिरिक्त भूमि में उसका कोई अधिकार, आगम या स्वत्व है ।

(८) कलेक्टर, उपधारा (१) के अधीन विज्ञप्ति के प्रकाशन के पश्चात् किसी भी समय तथा उपधारा (४) और (५) के अन्तर्गत दिये गये किसी आदेश के अधीन रहते हुये, अतिरिक्त भूमि पर कब्जा कर सकता है तथा तदर्थ ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है, जो आवश्यक हो ।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १४ के उपखंड (३) की दूसरी पंक्ति में "उसके" और "निर्णय" के बीच "अन्तिम" बढ़ाया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १४ के उपखंड (८) को निम्न प्रकार से रख दिया जाय :---

"कलेक्टर उपधारा (१) के अधीन विज्ञप्ति के प्रकाशन के पश्चात् अतिरिक्त भूमि पर शीघ्र ही कब्जा कर लेगा । अथवा फसल खड़ी होने की सूरत में कटने या कीमत तय होने पर कब्जा कर लेगा, यदि आवश्यक हो तो बल प्रयोग कर सकता है ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १४ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १५

अतिरिक्त भूमि पर छोड़ी गई सम्पत्ति का निस्तरण ।

१५---(१) यदि धारा १४ की उपधारा (८) के उपबन्धों के अधीन कलेक्टर द्वारा अतिरिक्त भूमि पर कब्जा किया जाय तो कलेक्टर उस व्यक्ति को जिसके कब्जे में भूमि हो, इस बात की अनुज्ञा देगा कि वह :

(१) ऐसी अवधि के भीतर जो आवश्यक हो, उक्त भूमि पर विद्यमान असंगृहीत फसल या वृक्षों के फलों की देखभाल करे या उन्हें संगृहीत करे या हटाये ;

(२) ऐसी अवधि के भीतर जो आदेश के दिनांक से इक्कीस दिन से कम की न हो और जो कलेक्टर तदर्थ निश्चित करे, उक्त भूमि पर विद्यमान अपनी किसी अन्य सम्पत्ति को हटाये ।

(२) यदि सम्बद्ध व्यक्ति उपधारा (१) के अधीन तदर्थ निश्चित अवधि के भीतर अतिरिक्त भूमि पर विद्यमान फसल या वृक्षों के फलों या किसी अन्य संपत्ति को संगृहीत न करें या न हटाये तो कलेक्टर किसी ऐसी फसल या वृक्षों के फलों अथवा सम्पत्ति को ऐसी रीति से, जो नियत की जाय, हटा सकता है या हटवा सकता है और सार्वजनिक नीलाम द्वारा बिकवा सकता है ।

(३) जब किसी फसल, फलों या सम्पत्ति का उपधारा (२) के अधीन विक्रय किया जाय तो उसके विक्रय से होने वाली आय का भुगतान, विक्रय का व्यय काटने के पश्चात् विक्रय के दिनांक से तीस दिन की समाप्ति के पश्चात, उस व्यक्ति को किया जायगा, जिसके कब्जे में वह (फसल, फल या सम्पत्ति) थी :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि विक्रय के दिनांक से तीस दिन के भीतर ऐसी विक्रय से होने वाली आय का दावा कलेक्टर के समक्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाय तो कलेक्टर उस दावे का निर्णय करेगा और यदि आवश्यक हो तो उसका विभाजन करेगा और तदनुसार भुगतान का आदेश देगा । यदि प्रस्तुत सामग्री के आधार पर, कलेक्टर ऐसे दावे का निर्णय करने में अथवा विभाजन करने का आदेश देने में असमर्थ हो तो वह सम्बद्ध पक्षों को यह निदेश देगा कि वे विवादग्रस्त मामले का निर्णय किसी सक्षम न्यायालय द्वारा करवा लें । तत्पश्चात् विक्रय से होने वाली आय के अवशेष का भुगतान या विभाजन जैसी भी दशा हो, उस न्यायालय के निर्णयानुसार किया जायगा ।

श्री उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि खंड १५ में जहां-जहां शब्द "सम्पत्ति" आया हो वहां शब्द "सम्पत्ति" से पहले "चल" जोड़ दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि खंड १५ के उपखंड (१) के मद (१) में पहली लाइन में "आवश्यक" के बाद "जो किसी भी दशा में ६ माह से अधिक न हो" जोड़ा जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि खंड १५ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १६

बाग लगाने के लिये अतिरिक्त भूमि के भाग का बन्दोबस्त

१६––(१) धारा ५ में किसी बात के होते हुये भी तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जो नियत की जायं, किसी खातेदार को अतिरिक्त भूमि की दस प्रतिशत भूमि का जो, अधिक से अधिक दस एकड़ होगी, उसके साथ बन्दोबस्त, उसके उस भूमि पर ऐसी अवधि के भीतर जो नियत की जाय बाग लगाने का वचन लिखित रूप में देने पर, किया जा सकता है ।

(२) यदि उपधारा (१) के अधीन बन्दोबस्त की हुई भूमि पर नियत अवधि के भीतर बाग न लगाया जाय, तो वह भूमि नियत अधिकारी द्वारा राज्य सरकार के लिये तथा उसकी ओर से ऐसी रीति जो नियत की जायं, वापस ली जा सकती है ।

(३) उपधारा (२) के अधीन दिये गये आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर, उसके विरुद्ध कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर

सकता है, जो उस व्यक्ति को सुनवाई का तथा साक्ष्य (यदि कोई हो) प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देने के पश्चात् उसका निर्णय करेगा ।

(४) उपधारा (३) के अधीन कलेक्टर का निर्णय अन्तिम तथा निश्चायक होगा और उस पर किसी विधि-न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायगी !

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १६ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :---

"इस अधिनियम के अधीन किसी खातेदार के बाग लगाने के लिये अतिरिक्त भूमि में से प्रति व्यक्ति एक एकड़ जमीन दी जायगी ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ :---

पक्ष में---१४,

विपक्ष में---१०४ ।)

कुंवर श्रीपालसिंह---चूंकि समय कम रह गया है, इसलिये आगे का पास हुआ मान लिया जाय । (हंसी)

श्री उपाध्यक्ष--- प्रश्न यह है कि खंड १६ के उपखंड (१) की दूसरी पंक्ति में शब्द "किसी खातेदार" के स्थान पर शब्द "किसी ऐसे खातेदार की जिसके पास कोई बाग न हो" रख दिये जावें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १६ के उपखंड (१) की तीसरी पंक्ति के शब्द "दश्" के स्थान पर शब्द "ढाई" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १६ के उपखंड (१) की पंक्ति ३ में शब्द "जो" से लेकर शब्द "होगी" तक निकाल दिये जावें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १६ के उपखंड (२) के अन्त में शब्द "और वह हर्जे (क्षतिपूर्ति) का भी देनदार होगा जो नियत किया जाय" बढ़ा दिये जावें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १६ का उपखंड (४) निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १६ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १७

प्रतिकर की गणना की रीति

१७---"(१) उपधारा (२) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, प्रत्येक खादतेदार, जिसकी अतिरिक्त भूमि पर अधिनियम के उपबन्धों के अधीन राज्य में निहित हो गई है, अनुसूची में निर्धारित तथा आगे व्यवस्थित रीति से अवधारित प्रतिकर पाने का हकदार होगा और उसे वह प्रतिकर दिया जायगा ।

(२) खातेदार का शिकमी काश्तकार या आसामी, "जो १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम" की धारा ११ में उल्लिखित असामी न हो, खातेदार के प्रतिकर में से प्रतिकर पाने का हकदार होगा और उसे वह प्रतिकर दिया जायगा । शिकमी काश्तकार या असामी को देय प्रतिकर उसके अधीनवर्ती स्वत्व की अव्यतीत अवधि की मौरूसी दरों पर आकलित मालगुजारी की पूरी राशि के बराबर होगी, परन्तु शिकमी काश्तकार या असामी, किसी भी दशा में , खातेदार को देय प्रतिकर के एक-चौथाई भाग से अधिक पाने का हकदार न होगा । प्रतिकर खातेदार तथा शिकमी काश्तकार या असामी के बीच प्रतिकर अधिकारी द्वारा विभाजित किया जायगा । १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १

(३) इस अधिनियम की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को, जो उपधारा (१) तथा (२) में उल्लिखित व्यक्ति न हो, और जिसका अतिरिक्त भूमि में कोई अधिकार, आगम या स्वत्व हो, या किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसका उस व्यक्ति के विरुद्ध प्रतिकर का दावा हो जो इस अधिनियम, के उपबन्धों के अधीन उसका हकदार हो, सक्षम न्यायालय में, उस प्रतिकर में किसी अधिकार, आगम या स्वत्व का दावा करने से न रोकेगी ।"

श्री उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि खंड १७ के उपखंड (१) की तीसरी पंक्ति में प्रयुक्त "अनुसूची में निर्धारित तथा आगे व्यवस्थित" के स्थान पर "उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५०, में मध्यवर्तियों के लिये निर्धारित" रख दिये जायें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि खंड १७ के उपखंड (१) की पंक्ति ३ में शब्द 'अनुसूची' से लेकर शब्द "अवधारित" तक निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि खंड १७ के उपखंड (१) की अंतिम पंक्ति के शब्द "दिया जायगा" के आगे निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय :––

"किसी भी दशा में सार्वजनिक कार्यों के लिये सरकार द्वारा अर्जित भूमि के सम्बन्ध में दिये जाने वाले वर्तमान मुआविजे से अधिक नहीं होगा ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि खंड १७ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १८

१८––"धारा १७ के अधीन देय प्रतिकर के निर्धारण तथा भुगतान से सम्बद्ध समस्त कार्यवाहियां राज्य सरकार द्वारा तदर्थ नियुक्त प्रतिकर अधिकारी के समक्ष होंगी ।" प्रतिकार अधिकारी

श्री उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि खंड १८ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १९

१९––"(१) प्रतिकर अधिकारी, प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में जो धारा १७ के अधीन प्रतिकर का हकदार हो, प्रस्तावित प्रतिकर-निर्धारण-तालिका ऐसे आकार में तथा ऐसी रीति से तैयार करायेगा, जो नियत की जाय । प्रस्तावित प्रतिकर निर्धारण-तालिका का प्रारम्भिक प्रकाशन

(२) उपधारा (१) के अधीन तैयार की गई प्रस्तावित प्रतिकर निर्धारण-तालिका, एक ऐसे नोटिस के साथ जिसमें उक्त उपधारा में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति

से यह अपेक्षा की जायगी कि वह उस (नोटिस) के तामील किये जाने के दिनांक से इक्कीस दिन के भीतर कारण प्रकट करें कि प्रस्तावित प्रतिकर-निर्धारण-तालिका को क्यों न अंतिम मान लिया जाय, प्रत्येक ऐसे व्यक्ति पर ऐसी रीति से तामील की जायगी जो नियत की जाय ।"

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १९ के उपखंड (२) की चौथी पंक्ति में 'इक्कीस' के स्थान पर 'बीस' रखा जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १९ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड २०

मामले जिनमें कोई आपत्तियां प्रस्तुत न की गयी हों ।

२०—(१) यदि धारा १९ के अधीन प्रस्तावित प्रतिकर-निर्धारिण-तालिका की शुद्धता पर कोई आपत्ति प्रस्तुत न की गई हो, तो प्रतिकर अधिकारी उसे प्रतिकर निर्धारण तालिका घोषित करेगा ।

(२) प्रतिकर अधिकारी उपधारा (१) के अधीन आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर, ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो अपनी अनुपस्थिति में दिये गये आदेश से क्षुब्ध हो, प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर और उक्त अनुपस्थित का पर्याप्त कारण प्रकट किये जाने पर, उस आदेश को रद्द कर देगा और उक्त व्यक्ति को कारण प्रकट करने की अनुमति देगा कि प्रस्तावित प्रतिकर-निर्धारण-तालिका को क्यों न अंतिम मान लिया जाय ।

(३) उपधारा (२) के अधीन दिये गये किसी आदेश के विरुद्ध अपील, उक्त आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर उस जिला न्यायाधीश (डिस्ट्रिक्ट जज) को की जा सकेगी जिसके अधिक्षेत्र में वह भूमि या उसका कोई भाग स्थित हो ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २० इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड २१

आपत्तियों का निस्तारण ।

२१—(१) प्रतिकर अधिकारी, किसी व्यक्ति को, जो धारा १९ की उपधारा (२) के अधीन या धारा २० की उपधारा (२) अथवा (३) के अधीन दिये गये किसी आदेश के अनुसरण में कारण प्रकट करें, सुनेगा तथा उक्त व्यक्ति को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देने के पश्चात् कारणों को अभिलिखित करते हुये अपना निर्णय देगा । प्रतिकर अधिकारी उक्त निर्णयानुसार प्रतिकर-निर्धारण-तालिका तैयार करेगा और उसे घोषित करेगा ।

(२) उपधारा (१) के अधीन दिये गये आदेश के विरुद्ध अपील, उक्त आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर, उस जिला न्यायाधीश को की जा सकेगी जिसके अधिक्षेत्र में वह भूमि या उसका कोई भाग स्थित हो ।

(३) जिला न्यायाधीश यथासम्भव शीघ्र अपील को सुनेगा और उस पर निर्णय देगा तथा, जहां आवश्यक हो, प्रतिकर-निर्धारण-तालिका उस निर्णय के अनुसार संशोधित की जायगी ।

(४) प्रतिकर अधिकारी अथवा जिला न्यायाधीश द्वारा किये जाने वाले किसी लिपिक या गणित सम्बन्धी भूल सुधार के अधीन रहते हुये धारा २० के अधीन

घोषित अथवा इस धारा के अधीन घोषित या संशोधित प्रतिकर-निर्धारण-तालिका अन्तिम तथा निश्चायक होगी और किसी विधि-न्यायालय में उस पर आपति नहीं की जायगी ।

श्री उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि खंड २१ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड २२

प्रतिकर के भुगतान की रीति

"२२––(१) धारा २३ के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, प्रतिकर, निर्धारण तालिका में दर्ज की गई प्रतिकर की धनराशि का भुगतान नकदी में या बन्धों के रूप में अथवा अंशत: नकदी में और अशं त: बन्धों के रूप में जैसा भी नियत किया जाय, उस व्यक्ति को किया जायगा जो उस तालिका में इसका हकदार दर्ज हो या उसके विधिक प्रतिनिधि को दिया जायगा ।

(२) इस अधिनियम के अधीन प्रतिकर, प्रतिकर पाने के हकदार व्यक्ति के बेदखल किये जाने के दिनांक से दातव्य होगा और वह अवधारित हो जाने पर देय होगा ।

(३) इस अधिनियम के अधीन अवधारित प्रतिकर की धनराशि पर, राज्य सरकार द्वारा प्रतिकर दातव्य होने के दिनांक से, अवधारण के दिनांक तक यदि धनराशि नकदी में देय हो और बंधों के मोचन के दिनांक तक यदि धनराशि बंधों में देय हो, साढ़े तीन प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दिया जायगा ।

(४) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार किया गया प्रतिकर का भुगतान राज्य सरकार को अतिरिक्त भूमि के संबंध में प्रतिकर के भुगतान के संपूर्ण दायित्व से पूर्णत: उन्मुक्त करेगा, किन्तु ऐसे प्रतिकर के भुगतान से किसी अन्य व्यक्ति के, उक्त प्रतिकर के संबंध में, किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध किसी अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा जिसे ऐसा भुगतान किया गया हो ।"

श्री उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि खंड २२ के उपखंड (१) की पंक्ति ३ के शब्द "या" से लेकर शब्द "किया जाय" तक के शब्द निकाल दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि खंड २२ की उपधारा (३) की चौथी पंक्ति में शब्द "तीन" के स्थान पर "पांच" कर दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि खंड २२ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड २३

प्रतिकर की धनराशि का न्यायालय या प्राधिकारी के अधिकार में रक्खा जाना ।

"२३––यदि किसी न्यायालय या प्राधिकारी के सामने कोई ऐसा वाद या कार्यवाही विचाराधीन हो जिसका किसी व्यक्ति के इस अधिनियम के अधीन देय संपूर्ण प्रतिकर या उसका कोई भाग पाने के अधिकार पर कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता हो, या पड़ने की संभावना हो, तो वह न्यायालय या प्राधिकारी प्रतिकर अधिकारी से अपेक्षा कर सकता है कि वह इस प्रकार देय धनराशि को उसके अधिकार में रख दे या उसका निस्तारण उसके आदेश के अनुसार करे । प्रतिकर अधिकारी न्यायालय अथवा प्राधिकारी के ऐसे किसी भी आदेश का पालन करेगा ।"

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इस समय ४ बज कर २९ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

खण्ड २४

यंत्रकृत फार्म की अतिरिक्त भूमि।

२४--(१) राज्य सरकार ऐसी अवधि के लिये जो सार्वजनिक हित में आवश्यक हो, किसी यंत्रकृत फार्म की अतिरिक्त भूमि का बन्दोबस्त करने के बजाय उसे राजकीय फार्म के रूप में चला सकती है और वह उस प्रयोजन के लिये किसी उपयुक्त व्यक्ति को ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो नियत की जायं, प्रबन्ध के रूप में नियुक्त कर सकती है। यदि यंत्रकृत फार्म का धारक व्यक्ति (holder) उक्त प्रयोजन के लिये नियत अर्हताएं रखता हो तो राज्य सरकार प्रबन्धक नियुक्त करते समय उसे अधिमान देगी।

(२) राज्य सरकार, सार्वजनिक हित में, पूर्व उल्लिखित अवधि को समय-समय पर बढ़ा सकती है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २४ के उपखंड (१) व (२) निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"राज्य सरकार भूमिहीनों को भूमि दिलाने तथा अधिक अन्न उपजाने के लिये यंत्रीकृत भूमि की अतिरिक्त भूमि का बन्दोबस्त भूमिहीनों के साथ, प्रति व्यक्ति तीन एकड़ के हिसाब से बांटेगी और उनको भूमि का स्वामित्व भी दिया जायगा"।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ --

पक्ष में ... १९,

विपक्ष में ... १०१।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २४ के उपखंड (२) को निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २५

अतिरिक्त भूमि का अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये उपयोग।

२५--राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार किसी अतिरिक्त भूमि का बन्दोबस्त करने के बजाय, ऐसी संपूर्ण भूमि या उसके किसी भाग का, किसी ऐसे प्रयोजन के लिये अस्थायी या स्थायी रूप से प्रयोजनों के उपयोग कर सकती है या उपयोग करने की अनुमति दे सकती है, जिसके लिये प्रयोग लिये ऐसी भूमि लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट, १८९४ के अधीन अर्जित ऐक्ट संख्या की जा सकती थी।
१,१८९४।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २५ की पंक्ति चार में शब्द "उपयोग कर सकती है" के आगे का अंश निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २६

२६--(१) राज्य में निहित अतिरिक्त भूमि का समस्त बन्दोबस्त राज्य सरकार की ओर से कलेक्टर द्वारा धारा २७ के उपबन्धों के अनुसार किया जायगा । कलेक्टर द्वारा अतिरिक्त भूमि का बन्दोबस्त

(२) कलेक्टर, किसी अतिरिक्त भूमि का कब्जा लेने तथा धारा २७ के अधीन उसका बन्दोबस्त के बीच की अन्तरिम अवधि के लिये उसे किसी व्यक्ति को ऐसी शर्तों पर जो नियत की जायं कृषि के लिये पट्टे पर दे सकता है। या उसका पट्टे पर दिया जाना ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २६ के उपखंड (२) की पंक्ति ३ में शब्द "किसी" और "व्यक्ति" के बीच शब्द "भूतपूर्व भू-स्वामी से अतिरिक्त उपयुक्त" शब्द रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २६ के उपखंड (२) के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय--

"जिसकी अवधि १ साल से अधिक न हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २६ के उपखंड (२) के अन्त में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय--

"परन्तु प्रतिबन्ध यह रहेगा कि ऐसी अवधि एक वर्ष से अधिक किसी प्रकार नहीं हो सकेगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २६ के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाय--

"किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि उक्त उपधारा (२) के अनुसार भूमि उन्हीं को पट्टे पर दी जायेगी जो भूमिहीन तथा हरिजन हों।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा २६ के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय--

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी अतिरिक्त भूमि का पट्टेदार किसी भी सूरत में ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसकी अतिरिक्त भूमि घोषित की गयी हो और अन्तरिम अवधि १ वर्ष से अधिक नहीं होगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २६ के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय--

"और उसके लिये भूमिहीनों को प्राथमिकता दी जावेगी और प्रति व्यक्ति को अच्छे प्रकार की भूमि का १० एकड़ तक दिया जावेगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ :--

पक्ष में--३१,
विपक्ष में--९३।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २६ इस विधयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।).

खंड २७

अतिरिक्त भूमि का बन्दोबस्त।

२७--(१) राज्य सरकार, सार्वजनिक हित में, और निम्नलिखित उपधाराओं पर ध्यान दिये बिना, ऐसी संपूर्ण अतिरिक्त भूमि या उसके किसी भी भाग का, जो राज्य में निहित होने के दिनांक से ठीक पूर्व किसी ऐसी सहकारी समिति की जोत का भाग रही हो, जो २० अगस्त, १९५९ के पूर्व निबंधित (रजिस्ट्रीकृत) हो चुकी हो, उस समिति के साथ बन्दोबस्त कर सकता है। सहकारी समिति, उस बन्दोबस्त के बदले में, राज्य सरकार को ऐसा प्रतिफल और ऐसी रीति से देगा जो नियत की जाय। प्रतिफल, किसी भी दशा में, उस प्रतिकर से अधिक न होगा जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उसके लिये राज्य सरकार द्वारा दिया गया हो।

(२) राज्य सरकार ऐसे गांव में, जिसमें सामुदायिक प्रयोजनों के लिये कोई भूमि उपलब्ध न हो या जिसमें ऐसी उपलभ्य भूमि १५ एकड़ से कम हो, अतिरिक्त भूमि का उस गांव के गांव समाज के साथ इस प्रकार बन्दोबस्त करेगी कि ऐसे बन्दोबस्त के बाद गांव में सामुदायिक प्रयोजनों के लिये कुल उपलब्ध भूमि १५ एकड़ से अधिक न हो, इस प्रकार गांव समाज के साथ बन्दोबस्त की गयी भूमि का उपयोग पेड़ लगाने, चारा उत्पन्न करने या ऐसे अन्य सामुदायिक प्रयोजनों के लिये किया जायगा जो नियत किये जायं।

(३) उपधारा (२) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, जब कोई अतिरिक्त भूमि इस अधिनियम के अधीन राज्य में निहित होने के दिनांक से ठीक पूर्व किसी निबन्धित सहकारी समिति के किसी सदस्य के पास रही हो और उक्त समिति उस पर खेती कर रही हो, तो उस भूमि का बन्दोबस्त राज्य सरकार द्वारा उस समिति के किसी अन्य सदस्य के साथ इस प्रकार किया जा सकता है कि जिस सदस्य के साथ उस भूमि का बन्दोबस्त किया जाय उसकी कुल जोत उस बन्दोबस्त के बाद साढ़े बारह एकड़ से अधिक न हो।

(४) किसी ऐसी अतिरिक्त भूमि का, जिसका पूर्व उपधाराओं के उपबन्धों के अधीन बन्दोबस्त न किया गया हो, बन्दोबस्त राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है:

(क) यदि ऐसी भूमि गांव में १५ एकड़ से कम हो तो ऐसे खातेदारों की निबन्धित सहकारी समिति के साथ जिनके कम से कम तीन-चौथाई ऐसे हों जिनमें से प्रत्येक के पास ३, १/८ एकड़ से कम भूमि हो।

(ख) यदि ऐसी भूमि गांव में १५ एकड़ से अधिक हो तो भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की निबन्धित सहकारी समिति के साथ इस प्रकार की यदि इस खंड के अधीन उक्त समिति को प्रदिष्ट कुल भूमि सभी सदस्यों में बराबर-बराबर बांटी जाय तो किसी को ३, १/८ एकड़ से अधिक भूमि न मिले;

(५) किसी ऐसी अतिरिक्त भूमि का बन्दोबस्त जो उपधारा (४) के खंड (ख) के अधीन बन्दोबस्त के पश्चात् शेष रहे, राज्य सरकार द्वारा किसी ऐसी निबन्धित सहकारी समिति के साथ किया जा सकता है जिसके किसी सदस्य के पास, ऐसे बन्दोबस्त के पूर्व अपने ही अधिकार से ३, १/८ एकड़ से अधिक भूमि न हो।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २७ निकाल दिया जावे और उसके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जावे--

"किसी गांव में जितनी अतिरिक्त भूमि प्राप्त है वह सर्वप्रथम उसी गांव के अलाभकर जोत वाले किसानों को उनकी जोत को लाभकर बनाने के लिये दी जावे और इस प्रकार देने के बाद जो भूमि शेष रहे वह गांव के अन्य भूमिहीन मजदूरों को ३, १/८ एकड़ प्रति परिवार के हिसाब से दी जावे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ :--

पक्ष में--२३,

विपक्ष में--९२।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २७ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"राज्य सरकार सम्पूर्ण भूमि का बन्दोबस्त निम्नलिखित अधिमान के आधार पर (अ) (नई प्रस्तावित धारा) के अन्तर्गत निर्मित उस समिति की सलाह से करेगी तथा जिन व्यक्तियों के साथ इस प्रकार से बन्दोबस्त किया जायेगा उन्हें बन्दोबस्त की हुई भूमि पर वे ही अधिकार प्राप्त होंगे, जो जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५० के अधीन सीरदारों को प्राप्त हैं।

(क) भूमिहीन खेत मजदूर,

(ख) अलाभ कर खातेदार,

(ग) भूमिहीन खेत मजदूरों की निबन्धित कृषि सहकारी समिति,

(घ) अलाभकर खातेदारों की निबन्धित कृषि समिति।

स्पष्टीकरण--अलाभकर खातेदार का तात्पर्य ऐसे खातेदार से है जिसके पास ३, १/८ एकड़ या उससे कम भूमि हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २७ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"(१) भूमिहीन खेतिहर मजदूर,

(२) अलाभकर जोत वाले किसान,

(३) भूमिहीन खेत मजदूरों की निबन्धित सहकारी कृषि समितियां,

(४) अन्य भूमिहीन मजदूर।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २७ के स्थान पर निम्न रख दिया जाय--

"(१) सम्पूर्ण अतिरिक्त भूमि बिना किसी प्रतिबन्ध के भूमिहीन हरिजनों को बराबर-बराबर बन्दोबस्त समझी जायेगी और राज्य में निहित होने के दिनांक से सरकार द्वारा कब्जा दिलाया जायेगा।

(२) वे अपनी जमीन के मालिक होंगे।

(३) ऐच्छिक सहकारी खेती करने में सहायता दी जायेगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है खंड २७ के उपखंड (१) को निकाल दिया जाय तथा खंड २७ के पुनर्संख्यांकित उपखंड (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"(२) उपधारा (१) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए जब कोई अतिरिक्त भूमि इस अधिनियम के अधीन राज्य में निहित होने के दिनांक से ठीक पूर्व किसी सहकारी समिति के किसी सदस्य के पास रही हो तो यदि वह समिति चाहे तो ऐसी भूमि का बन्दोबस्त राज्य सरकार द्वारा उस समिति के साथ कर दिया जायगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है खंड २७ के उपखंड...

श्री रामलखन मिश्र--अध्यक्ष महोदय, यह मेरा संशोधन पृथक है, लेकिन इतने सारे नाम मेरे नीचे कैसे लिखे हुए हैं?

श्री अध्यक्ष--यह पहले ही आपका स्वीकार हो चुका है इसलिये इसके पेश करने की जरूरत नहीं है।

प्रश्न यह है कि खंड २७ के उपखंड (२) की पंक्ति ६ में शब्द "चारा उत्पन्न करने" के आगे शब्द "भूमिहीनों के मकान बनाने" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २७ के उपखंड (४) में शब्द "निबन्धित" जहां कहीं भी शब्द "सहकारी समिति" के पूर्व आया हो, निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है खंड २७ के उपखंड (५) की पहली और दूसरी पंक्ति में शब्द और अंक "उपधारा (४)" निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर "उपधारा (३)" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २७ के उपखंड (५) की तीसरी पंक्ति में शब्द "सहकारी समिति" के पूर्व प्रयुक्त शब्द "निबन्धित" निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २७ के उपखंडों में जहां कहीं "३, १/८ एकड़" आया है उसके स्थान पर "५ एकड़ अच्छे प्रकार की भूमि' रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २८

२८--(१) धारा २७ के अधीन भूमि का समस्त बन्दोबस्त ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए किया जायगा जो नियत की जायं। बन्दोबस्त की शर्तें।

(२) धारा ५ के उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, अधिकतम क्षेत्र की कोई सीमा ऐसी किसी भी निबन्धित सहकारी समिति पर प्रवृत्त न होगी जिसके साथ धारा २७ के उपबन्धों के अनुसार किसी भूमि का बन्दोबस्त किया गया हो।

(३) तत्समय प्रचलित किसी विधि के उपबन्धों के होते हुए भी, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ धारा २७ के अधीन किसी भूमि का बन्दोबस्त किया गया हो या जिसे धारा २६ की उपधारा २ के अधीन भूमि पट्टे पर दी गयी हो ऐसी भूमि में कोई ऐसा अधिकार अर्जित नहीं करेगा, जो उन शर्तों का अल्पीकरण (Derogation) करे जिनके अधीन भूमि का बन्दोबस्त किया गया हो या वह पट्टे पर दी गई हो।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २८ के उपखंड (२) में शब्द "सहकारी समिति" के पूर्व प्रयुक्त शब्द "निबन्धित" निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २८ का उपखंड (३) निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"खंड २७ के अधीन किया गया बन्दोबस्त स्थायी होगा"।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २९

२९--यदि इस अधिनियम के अधीन अधिकतम जोत सीमा के आरोपण भावी अर्जन के पश्चात् :

(क) किसी न्यायालय की डिग्री या आदेश के अधीन या उत्तराधिकार के या दान तथा विक्रय से भिन्न हस्तान्तरण के फलस्वरूप कोई भूमि किसी खातेदार के कब्जे में आ जाय और वह भूमि उस भूमि को मिला कर जो उसके पास पहले से हो, उसके सम्बन्ध में, प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र से अधिक हो : या

(ख) किसी खातेदार की धारा ६ या धारा ७ के अधीन विमुक्त की गयी संपूर्ण भूमि या उसका कोई भाग स्वरूप बदल जाने से ऐसा हो जाय कि वह उनमें उल्लिखित वर्गों में से किसी वर्ग के अन्तर्गत न रहे या यदि वह भूमि जिस पर धारा १६ के अधीन बाग लगाया गया हो बाग भूमि (groveland) न रह जाय, तो ऐसी भूमि अतिरिक्त भूमि के रूप में व्यवहरित की जाने योग्य होगी।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २९ के उपखंड (क) की पंक्ति दो के शब्द "से" और "भिन्न" के बीच शब्द "या किसी अन्य प्रकार के" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २९ के उपखंड (क) की दूसरी पंक्ति में शब्द "से भिन्न" निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर शब्द "या अन्य किसी" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २९ की उपधारा (ख) के अन्त में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय—

"मैं प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र से अधिक भूमि किसी भी अंग से आ जावे उसे एक साल का अवसर दिया जावेगा कि वह अतिरिक्त भूमि पर बाग लगा ले, दुग्धशाला खोल ले, या पशुपालन का कार्य करे अथवा उसे बेच दे और यदि वह एक साल के अन्दर ऐसा कुछ न करे तो वह अतिरिक्त भूमि के रूप में व्यवहरित की जावे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३०

भावी अर्जनों के सम्बन्ध में अतिरिक्त भूमि का अवधारण

३०—(१) जब कोई भूमि धारा ४ की उपधारा (२) के खंड (ख) के अधीन या धारा २९ के अधीन अतिरिक्त भूमि के रूप में व्यवहरित की जाने योग्य हो जाय, तो खातेदार ऐसी अवधि के भीतर जो नियत की जाय, नियत प्राधिकारी को धारा ९ के अधीन निर्धारित आकार में और रीति से एक विवरण प्रस्तुत करेगा जिसमें वह उस गाटे या उन गाटों का उल्लेख करेगा जिन्हें वह अपने अधिकतम क्षेत्र के भाग के रूप में रखना चाहता हो।

(२) (क) जब उपधारा (१) के अधीन प्रस्तुत विवरण नियत प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया जाय तो वह तदनुसार अतिरिक्त भूमि का अवधारण करने की कार्यवाही करेगा।

(ख) यदि खातेदार उपधारा (१) के अधीन प्रस्तुत किये जाने के लिये अपेक्षित विवरण प्रस्तुत न करे अथवा अपूर्ण या गलत विवरण प्रस्तुत करे तो नियत प्राधिकारी धारा १० के अधीन निर्धारित रीति से कार्यवाही करेगा।

(ग) अतिरिक्त भूमि की घोषणा, अर्जन, निस्तारण और बन्दोबस्त के सम्बन्ध में इस अधिनियम के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों के साथ, इस धारा के अन्तर्गत आने वाली अतिरिक्त भूमि पर प्रवृत्त होंगे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३० के उपखंड (१) तथा (२) को निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"जब खंड २९ के अधीन अतिरिक्त भूमि व्यवहरित करने योग्य हो जाय तो खंड ९ व १० के अधीन अर्जित की जायगी और क्षतिपूर्ति की जायगी तथा उसका बन्दोबस्त भूमिहीनों के साथ केवल किया जावेगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३० इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ३१

३१—जब इस अधिनियम के अधीन अधिकतम सीमा के आरोपण के पश्चात् कोई भूमि, किसी नदी के हट जाने से किसी विधि या रूढ़ि के अनुसार, किसी जोत में बढ़ जाय और इस प्रकार बढ़ाई गई भूमि का क्षेत्र खातेदार की अन्य वर्तमान भूमि के क्षेत्र को मिलाकर उसके सम्बन्ध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र से अधिक हो जाय तो : नदी के हट जाने से भूमि को प्राप्ति

(१) उस भूमि का, उस सीमा तक जो उसके सम्बन्ध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र को पूरा करने के लिये आवश्यक हो और जो उसकी वर्तमान जोत से मिली हुई हो, बन्दोबस्त खातेदार के साथ उसी अनुपात से अतिरिक्त मालगुजारी दिये जाने की शर्त के अधीन रहते हुये और उन्हीं शर्तों के अधीन जिनके अधीन उसकी वर्तमान जोत हो, किया गया समझा जायगा,

(२) खातेदार के सम्बन्ध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र से अधिक क्षेत्र बंगाल एलूवियन एन्ड डिलूवियन रेगुलेशन, १८२५ (Bengal Alluvion and Diluvian Regulation, 1925) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य रूढ़ि या प्रथा में किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी राज्य सरकार में निहित हो जायगा : बंगाल रेगुलेशन १११,१८२५

(३) खंड (२) के उपबन्धों के अधीन राज्य सरकार में निहित होने वाली भूमि अतिरिक्त भूमि होगी और उसके सम्बन्ध में इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उसी प्रकार कार्यवाही की जायगी ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३१ को निकाल कर उसके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"जब इस अधिनियम के अधीन, अधिक सीमा आरोपण के बाद भूमि किसी नदी के हट जाने से बढ़ जाय तो उसका बन्दोबस्त पूर्वधारक के साथ नहीं बल्कि भूमिहीनों तथा हरिजनों के साथ किया जावेगा और वह उसके मालिक होंगे ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ :—

पक्ष में—२२,
विपक्ष में—९५ ।)

श्री अमरनाथ—श्रीमन्, खंड २७ के बारे में यह कहना है कि माननीय रामलखन जी का संशोधन जिस रूप में पेश किया गया है उसका नम्बर ही गलत हो गया है । जब उपखंड (१) निकाल दिया गया तो उपखंड (२) कैसे रह जाता है ? इसलिये उपखंड (२) के रूप में उपखंड (१) स्वीकार हो गया है । उसको दूसरे रूप में होना चाहिये था ।

श्री अध्यक्ष—अब इस वक्त आप कुछ नहीं कह सकते । जो हो गया सो हो गया । प्रश्न यह है कि खंड ३१ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ३२

इस अधिनियम के अधीन सभी कार्यवाहियों में राज्य सरकार एक पक्ष होगी

३२--(१) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन प्रत्येक कार्यवाही में एक पक्ष होगी ।

(२) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी, राज्य सरकार द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने की अवधि उस आदेश से जिसके विरुद्ध अपील की जाय, नब्बे दिन की होगी।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३२ (२) की पंक्ति ३ में "नब्बे" के स्थान पर "तीस" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३२ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ३३

मौरूसी दरों के अवधारण या परिष्कार का अधिकार

३३--(१) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये :

(एक) नियत प्राधिकारी ऐसे क्षेत्रों में जहां कोई मौरूसी दरें स्वीकृत न की गई हों, मौरूसी दरें ऐसे सिद्धांतों के अनुसार जो नियत किये जायं निश्चित कर सकता है ;

(दो) राज्य सरकार ऐसे क्षेत्रों में जहां पिछले बन्दोबस्त के समय में कृषि भूमि के विस्तार या सिंचाई के विस्तार तथा उसकी रीति-संचार के साधनों, आबादी की सघनता अथवा कृषि की पद्धति में लक्षित परिवर्तन हुआ हो, सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके वर्तमान स्वीकृत मौरूसी दरों को नियत रीति से परिष्कृत कर सकती है ।

(२) उपधारा (१) के खंड (एक) के अधीन मौरूसी दरों का निश्चय या उसी उपधारा के खण्ड (दो) के अधीन उनका परिष्कार इस प्रकार किया जायगा कि दरों का निश्चय या परिष्कार जैसी भी दशा हो, एक क्षेत्र में एक ही वर्ग की भूमि (soil) के लिये यथासम्भव समान हो, और निश्चित की गई दरें, किसी भी दशा में, भूमि के उत्पाद मूल्य (produce value) के पन्चमाँश से अधिक न होगी ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३३ के उपखंड (१) के मद (२) की प्रथम पंक्ति में "राज्य सरकार" और "जहां" के बीच में प्रयुक्त शब्द "ऐसे क्षेत्रों में" निकाल दिये जायें और उनके स्थान पर शब्द "का ध्यान इस ओर आकर्षित किये जाने पर कि राज्य के किन्हीं क्षेत्रों में" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा ३३ की उपधारा (२) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध बढ़ा दिया जावे--

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि बुन्देलखण्ड के चारों जिलों में हर हालत में पिछले बन्दोबस्त में निर्धारित मौरूसी दरें ही मानी जावेंगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा ३३ का उपखंड (२) निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३३ के उपखंड (२) के नीचे इस प्रकार एक स्पष्टीकरण जोड़ दिया जाय—

"स्पष्टीकरण—किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार वर्तमान स्वीकृत लागू दरों को २५ प्रतिशत से अधिक बढ़ा कर निश्चित नहीं करेगी ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३३ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ३४

यंत्रकृत फार्म के धारक व्यक्ति के संबंध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र का उसके द्वारा प्रार्थना पर अर्जन

३४—(१) यन्त्रकृत फार्म के धारक व्यक्ति द्वारा अपने सम्बन्ध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र का अध्यर्पण करने के लिये दिया गया प्रार्थना-पत्र नियत प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किये जाने पर, ऐसे धारक व्यक्ति की भूमि अतिरिक्त भूमि हो जायगी और नियत प्राधिकारी द्वारा इस आशय की घोषणा सरकारी गजट में विज्ञापित की जायगी ।

(२) उपधारा (१) में उल्लिखित विज्ञप्ति जारी होने पर इस अधिनियम के अतिरिक्त भूमि से सम्बद्ध सभी उपबन्ध जिनके अन्तर्गत प्रतिकर के भुगतान से सम्बद्ध उपबन्ध भी है, आवश्यक परिवर्तनों के साथ प्रवृत्त होंगे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न है कि खंड ३४ (१) की पहली पंक्ति में शब्द "व्यक्ति" और "द्वारा" के बीच में शब्द "या किसी भी अन्य खातेदार" जोड़ दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३४ के उपखंड (१) की पंक्ति १ में शब्द "द्वारा" तथा शब्द "अपने" के बीच शब्द "उपलिखित विधियों के अनुसार" बढ़ा दिया जांय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३४ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न प्रस्तुत किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ३५

३५—जो व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दिये गये किसी आदेश का उल्लंघन करेगा, या इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा किसी भूमि का कब्जा लिये जाने में बाधा डालेगा, या धारा ३० की उपधारा (१) के अधीन प्रस्तुत किये जाने के लिये अपेक्षित विवरण प्रस्तुत न करेगा, या ऐसा कथन करेगा या विवरण प्रस्तुत करेगा या कोई ऐसी सूचना देगा जो मिथ्या हो और जिसके मिथ्या होने का विश्वास करने का कारण उसके पास हो, वह अर्थ दण्ड से दण्ड्य होगा जो एक हजार रुपये तक हो सकता है ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३५ की तीसरी पंक्ति म शब्द "बाधा डालेगा" के बाद के शब्द "या धारा" से लेकर पांचवीं पंक्ति में शब्द "प्रस्तुत न करेगा" तक निकाल दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३५ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ३६

कम्पनियों और सहकारी समितियों द्वारा अपराध ।

३६--(१) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कम्पनी हो, तो कम्पनी स्वयं तथा साथ ही ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध किये जाने के समय कम्पनी के कार्य संचालन के लिये उसका अवधायक हो, और उसके प्रति उत्तरदायी हो, अपराध का दोषी समझा जायगा और धारा ३५ के अधीन दण्ड का भागी होगा:

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की किसी बात से उक्त कोई व्यक्ति दण्ड का भागी न होगा, यदि वह यह सिद्ध कर दे कि अपराध उसकी जानकारी में नहीं हुआ या यह कि उसने उस अपराध को रोकने के लिये सभी यथोचित सावधानी बरती थी ।

(२) उपधारा (१) में किसी बात के होते हुये भी, यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया हो और यह सिद्ध हो जाय कि अपराध कम्पनी के किसी संचालक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सम्मति से या उसकी मौनानुकूलता से किया गया है, या उसकी उपेक्षा के कारण हुआ है तो ऐसा संचालक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायगा और दण्ड का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिये--

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और निबन्धित सहकारी समिति, अथवा फर्म या व्यक्तियों की कोई अन्य संस्था भी इसके अन्तर्गत है ।

(ख) फर्म के सम्बन्ध में "संचालक" का तात्पर्य फर्म के भागीदार से है ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३६ के स्पष्टीकरण की मद (क) में शब्द "सहकारी समिति" के पूर्व प्रयुक्त शब्द "निबन्धित" निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३६ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

राजा वीरेन्द्रशाह--श्रीमन्, आध घंटे का समय और बढ़ा दिया जाय तो सब खत्म हो जायगा ।

श्री अध्यक्ष--मैं १५ मिनट का समय तो बढ़ा सकता हूं । वैसे जब तक यह खत्म नहीं होगा सदन बैठेगा ।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह--श्रीमन, मैं प्रस्ताव करता हूं की बाकी धारायें स्वीकृत मान ली जायं ।

श्री अध्यक्ष--वैसे मैं यह कर सकता था, लेकिन कुछ संशोधन ऐसे हैं जिनको सरकार स्वीकार करेगी इसलिये यह उचित नहीं होगा ।

खंड ३७–४४

३७––इस अधिनियम के अधीन जांच करने या किसी आपत्ति की सुनवाई करने में किसी अधिकारी या प्राधिकारी को व्यवहार न्यायालय के यथा प्रयोज्य सब अधिकारी तथा विशेषाधिकार प्राप्त होंगे और वह उस प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ में अचल सम्पत्ति विषय वादों के परीक्षण तथा निस्तारण के लिये दी हुई है।

आपत्तियों की सुनवाई तथा उनके निस्तारण अधिकारियों तथा प्राधिकारियों के अधिकार तथा अनुकरणीय प्रक्रिया

३८––(१) इस अधिनियम के अधीन अपील की सुनवाई करने में और उसका निर्णय करने में अपीलीय न्यायालय को व्यवहार न्यायालय (सिविल कोर्ट) के सब अधिकार तथा विशेषाधिकार प्राप्त होंगे और वह उस प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ में अपीलों की सुनवाई तथा उनके निर्णय के लिये दी हुई है।

अपीलीय न्यायालय के अधिकार तथा उसके द्वारा अनुकरणीय प्रक्रिया

(२) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी अपील की सुनवाई जिला न्यायाधीश द्वारा होनी हो, तो वह या तो स्वयं उस अपील को सुन सकता है या उसे सुनवाई के लिये अपने अधीनस्थ किसी व्यवहार न्यायाधीश (सिविल जज) को संक्रमित कर सकता है।

३९––किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसी बात के लिये कोई वाद अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी जो सद्भावना से और इस अधिनियम के या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी नियम अथवा दिये गये किसी आदेश के अनुसरण में की गई हो, या की गई प्रकट हो।

४०––इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन राज्य सरकार को देय कोई धनराशि मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूल की जा सकती है।

इस अधिनियम के अधीन किसी धनराशि की वसूली की रीति

४१––ऐसी जोत या जोतों के सम्बन्ध में जिनके भाग इस अधिनियम के अधीन अर्जित कर लिये गये हों, मालगुजारी या अबवाबों या अन्य आदेयों के सभी बकाया और लैण्ड इम्प्रूवमेंट लोन्स ऐक्ट, १८८३ या एग्रीकलचर लोन्स ऐक्ट, १८८४ या १९४८ ई० का कृषि आय कर ऐक्ट या वृहत जोतकर अधिनियम, १९५७ के अधीन उसके धारक (Holder) द्वारा देय सभी धनराशियां, वसूली की किसी अन्य रीति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अध्याय ३ के अधीन देय प्रतिकर की धनराशि में से अदत्त धनराशि की कटौती करके वसूल की जा सकती है।

मालगुजारी की बकाया की वसूली ऐक्ट सं० १९, १८८३ ऐक्ट सं० १२, १८८४ यू० पी० ऐक्ट सं० ३, १९४९ उ० प्र० अधिनियम सं० ३१, १९५७

४२––इण्डियन लिमिटेशन ऐक्ट, १९०८, की धारा ५ तथा १२ के उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन सब कार्यवाहियों पर, जिनके अन्तर्गत अपील, प्रार्थना-पत्र तथा आपत्ति की कार्यवाहियां भी हैं, प्रवृत्त होंगे।

इन्डियन लिमिटेशन ऐक्ट, १९०८ की प्रवृत्ति ऐक्ट सं० ९, १९०८

अधिकारों का प्रतिनिधान

४३---इस अधिनियम के अन्तर्गत कलेक्टर के अधिकारों का प्रयोग उस परगने के, जिसमें अतिरिक्त भूमि स्थित हो, प्रभारी प्रथम श्रेणी के असिस्टेंट कलेक्टर (Asstt. Collector of the I Class in-charge of the sub-division) द्वारा अथवा प्रथम श्रेणी के किसी अन्य असिस्टेंट कलेक्टर द्वारा जो कलेक्टर द्वारा विशेष रूप से तद्‌र्थ अधिकृत किया गया हो, किया जा सकता है।

नियम बनाने का अधिकार

४४---(१) राज्य सरकार सरकारी गजट में पूर्व प्रकाशन के बाद इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

(२) विशेषतः और पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात:--

(क) रीति जिसके अनुसार इस नियम के अधीन कोई नोटिस या आदेश तामील या प्रकाशित किया जा सकता है।

(ख) प्रक्रिया जिसका इस अधिनियम द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते समय कलेक्टर अनुसरण करेगा ;

(ग) रीति तथा सिद्धान्त जिनके अनुसार धारा १५ की उपधारा (३) में उल्लिखित व्यय की गणना की जायगी,

(घ) इस अधिनियम के अधीन किसी याचिका या अपील पर देय शुल्क, और

(ङ) विषय जो नियत करने हों और नियत किये जायं।

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सब नियम बन जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के समक्ष कम से कम चौदह दिन तक रखे जायेंगे और वह ऐसे परिष्कारों के अधीन रहेंगे जो विधान मण्डल उस सत्र में करे, जिसमें वे इस प्रकार रखे जायें।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३७ से लेकर ४४ तक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४५

निरसन उ० प्र० अधिनियम संख्या ३१, १९५७

४५---(१) ३० जून, १९६० से उत्तर प्रदेश वृहत् जोत कर अधिनियम, १९५७ सिवाय उसकी धारा २८ के निरस्त हो जायगा।

उ० प्र० अधिनियम संख्या ३१, १९५७

उ० प्र० अधिनियम संख्या १, १९०४

(२) उत्तर प्रदेश वृहत् जोतकर अधिनियम, १९५७ का निरसन होने पर भी तथा यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उपधारा (१) के निरसन का प्रभाव निम्नलिखित पर नहीं रहेगा:---

(क) इस प्रकार निरस्त अधिनियम का पूर्व प्रवर्तन अथवा तद्‌धीन की गई या करने दी गयी कोई बात, या

(ख) इस प्रकार निरस्त अधिनियम के अधीन अर्जित, प्रोद्‌भूत या उपगत कोई अधिकार, विशेषाधिकार, आभार, अथवा दायित्व, या

(ग) इस प्रकार निरस्त अधिनियम के विरुद्ध किये गये किसी अपराध के संबंध में उपगत कोई शास्ति, जब्ती अथवा दण्ड, या

(घ) पूर्वोक्त किसी अधिकार, विशेषाधिकार, आभार, दायित्व, शास्ति , जब्ती अथवा दण्ड के संबंध में कोई अनुसंधान, विधिक कार्यवाही अथवा उपचार, या

(ङ) उत्तर प्रदेश वृहत जोतकर अधिनियम, १९५७ की धारा १५ के अधीन उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अनसार उस जोत के संबंध में जो कर निर्धारण से बच गयी हो, कार्यवाही करने का अधिकार; उ० प्र० अधिनियम संख्या ३१, १९५७

और ऐसे किसी अनुसंधान, विधिक कार्यवाही, उपचार अथवा कर निर्धारण के लिये कार्यवाही प्रारम्भ की जा सकती है, जारी रखी जा सकती है, प्रवर्तित की जा सकती है या की जा सकती है और ऐसी कोई शास्ति , जब्ती अथवा दण्ड आरोपित किया जा सकता है, अथवा ऐसा कोई कर निर्धारण किया जा सकता है, मानों उत्तर प्रदेश वृहत जोतकर अधिनियम, १९५७ सभी महत्वपूर्ण दिनांकों पर प्रचलित रहा हो । उ० प्र० अधिनियम सं० ३१, १९५७

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खण्ड ४५ के उपखण्ड (१) में संख्या और शब्द "३० जून" के बाद प्रयुक्त संख्या "१९६०" के स्थान पर "१९६१"रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा ४५ में उपखण्ड (२) के बाद एक और निम्नलिखित उपखण्ड (३) जोड़ा जावे--

"(३) उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा १५४ निरस्त हो जावेगी ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--तथा पांच बजे तक मैं सदन का समय बढ़ाये देता हूं । इसके बाद जरूरत पड़ी तो प्रस्ताव ले आया जायगा । आज खंडशः इसके ऊपर मत ले लेना चाहिये ।

अनुसूची

(धारा १७)

[प्रतिकर की गणना की रीति]

भाग १

(क्षेत्र जिनमें १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम प्रवृत्त होता है)

(क) भूमिधर	प्रयोज्य मौरूसी दरों से अवधारित मालगुजारी का चालीस गुना अथवा देय मालगुजारी का अस्सी गुना इनमें जो भी अधिक हो, और यदि देय मालगुजारी प्रयोज्य मौरूसी दरों से अवधारित मालगुजारी से कम हो तो दोनों के अन्तर के बीस गुने के बराबर अतिरिक्त धनराशि ।
(ख) भूमिधर, उस अतिरिक्त भूमि के संबंध में "१९५०ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम" की धारा ११ में उल्लिखित उसक असामी के पास हो ।	(१) यदि असामी के पास भूमि सदा के लिये हो तो उस प्रतिकर की धनराशि का १/८ भाग जिसकी गणना ऊपर दी हुई मद (क) के अनुसार की गई हो ।

	(२) यदि असामी के पास भूमि उसके जीवनपर्यन्त हो, तो उस प्रतिकर को धनराशि का ५/८ भाग जिसकी गणना ऊपर दी हुई मद (क) के अनुसार की गई हो ।
	(३) यदि असामी के पास भूमि किसी निर्दिष्ट अवधि के लिये हो तो पट्टे की शेष अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिये प्रयोज्य मौरूसी दरों से अवधारित मालगुजारी का आधा, किन्तु ऐसा अधिकतम प्रतिकर मद ङ (३) के अधीन असामी को देय प्रतिकर सहित, इस प्रकार अवधारित मालगुजारी के चालीस गुने से अधिक न होगा ।
(ग) सीरदार	प्रयोज्य मौरूसी दरों से अवधारित मालगुजारी का बीस गुना और यदि देय मालगुजारी प्रयोज्य मौरूसी दरों से अवधारित मालगुजारी से कम हो तो दोनों के अन्तर के बीस गुने के बराबर अतिरिक्त धनराशि ।
(घ) किसी गांव समाज अथवा स्थानीय प्राधिकारी का असामी ।	उसके द्वारा देय लगान का पांच गुना ।
(ङ) "१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम" की धारा ११ में उल्लिखित असामी ।	(१) यदि असामी के पास भूमि सदा के लिये हो, तो उस प्रतिकर की धनराशि का ७/८ भाग जिसकी गणना ऊपर दी हुई मद (क) के अनुसार की गई हो ।
	(२) यदि असामी के पास भूमि, जीवन-पर्यन्त हो तो उस प्रतिकर की धनराशि का ३/८ भाग जिसकी गणना ऊपर दी हुई मद (क) के अनुसार की गई हो ।
	(३) यदि असामी के पास भूमि किसी निर्दिष्ट अवधि के लिये हो तो पट्टे की शेष अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिये प्रयोज्य मौरूसी दरों से अवधारित मालगुजारी का आधा, किन्तु ऐसा प्रतिकर इस प्रकार अवधारित मालगुजारी के पैंतीस गुने से अधिक न होगा ।

स्पष्टीकरण---जोत के किसी ऐसे भाग के लिये, जो बंजर हो, प्रयोज्य मौरूसी दर एक आना प्रति एकड़ समझी जायगी ।

भाग २

(क्षेत्र जिनमें १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम प्रवृत नहीं होता है ।)

(क) दखीलकार काश्तकार, साकितुल-मिल्कियत, काश्तकार, मौरूसी काश्तकार और काश्तकार रियायती लगान ।	प्रयोज्य मौरूसी दरों से अवधारित लगान का बीस गुना; और यदि देय लगान इस प्रकार अवधारित लगान से कम हो तो दोनों के अन्तर के बीस गुने के बराबर अतिरिक्त धनराशि ।

(ख) अन्य काश्तकार .. उसके द्वारा देय लगान का पांच गुना ।

स्पष्टीकरण --जोत के किसी ऐसे भाग के लिये जो बंजर हो, प्रयोज्य मौरूसी दर एक आना प्रति एकड़ समझी जायेगी ।

भाग ३

सरकारी पट्टेदार

(क) सरकारी पट्टेदार को देय प्रतिकर का हिसाब भाग १ अथवा २ के, जैसी भी दशा हो, अन्तर्गत आने वाले उस खातेदार के लिये व्यवस्थित प्रतिकर के अनुसार लगाया जायगा, जिसके निबंधन और शर्तें सरकारी अनुदान की शर्तों के अधिकतम अनुरूप हों ।

(ख) धारा ३ के खण्ड "घ" में उल्लिखित सरकारी पट्टेदार के शिकमी पट्टेदार को देय प्रतिकर उस प्रतिकर का ७/८ भाग होगा जिसकी गणना ऊपर दी हुई मद (क) के अनुसार की गई हो और शेष धनराशि संबद्ध सरकारी पट्टेदार को दी जायगी ।

भाग ४

(क) इमारतें	.. ..	सकल वार्षिक भाटक-मूल्य का दस से बीस गुना तक, इमारत की अवस्था तथा उसके प्रकार को देखते हुए जो भी निश्चित किया जाय, अथवा यदि भाटक-मूल्य ज्ञात न हो तो भाटक-मूल्य जो नियत रीति से निश्चित किया जाय ।

टिप्पणी--इमारत के प्रतिकर के अन्तर्गत उस भूमि का प्रतिकर भी होगा जिस पर इमारत स्थित हो ।

(ख) (१) पक्के कुयें, नल-कूप या सिंचाई की पक्की नालियां जो प्रयोग में हों ।	उसी प्रकार का कुंआ या नाली, जैसी भी दशा हो, बनाने की लागत, उसमें से २ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से उसका अवमूल्यन घटा कर ।
(२) पक्के कुयें या सिंचाई की पक्की नालियां जो प्रयोग में न हों ।	गोलाई (सिलिंडर) तथा जगत या नाली की, जैसी भी दशा हो, सामग्री की लागत, उसमें से २ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से उसका अवमूल्यन घटा कर ।
(ग) वृक्ष--	
(१) फल वाले वृक्ष ..	फल की फसलों के वार्षिक उचित औसत मूल्य का आठ गुना ।

टिप्पणी--बीस वर्ष के वार्षिक मूल्य के औसत को औसत समझा जायगा ।

(२) फल के उन नये वृक्षों के लिये जिनमें अभी फल न लगे हों ।	पौधे की लागत और श्रम तथा रोपण पर व्यय ।
(३) ऐसे वृक्ष जिनका मूल्य मुख्यतया उनकी इमारती लकड़ी के कारण होता है ।	इमारती लकड़ी के खड़े वृक्षों का लकड़ी के परिमाण के अनुसार स्थानीय बाजारी मूल्य ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुसूची के भाग २ की मद (ख) में शब्द "देय लगान का पांच गुना" के पूर्व प्रयुक्त शब्द "उसके द्वारा" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित अनुसूची इस विधेयक का अंग मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ

१---(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा-आरोपण अधिनियम, १९५९ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह धारा २ में उल्लिखित क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों में तुरन्त प्रचलित हो जायगा तथा उक्त उल्लिखित क्षेत्रों में यह उस दिनांक से तथा ऐसी रीति से प्रचलित होगा जो उक्त धारा के अधीन विज्ञापित की जाय, तथा विभिन्न क्षेत्रों के लिये विभिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खण्ड १ के उपखण्ड (३) को निकाल दिया जाय तथा उसके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय---

"यह समस्त प्रदेश में तुरन्त प्रचलित होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ ---

पक्ष में---२४,
विपक्ष में---९४।)

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री राजबिहारीसिंह)---खण्ड ४५.....

श्री अध्यक्ष---उसे मैं बाद में ले लूंगा।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खण्ड १ के उपखण्ड (३) की पंक्ति २ में शब्द "उस दिनांक से" तथा "ऐसी रीति से" निकाल दिये जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खण्ड १ के उपखण्ड (३) की पंक्ति ३ में शब्द "विज्ञापित की जाय" के पश्चात् का अंश निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खण्ड १ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

खंड ४५---(क्रमागत)

श्री अध्यक्ष---अब मैं खण्ड ४५ लिये लेता हूं, उस पर मत नहीं लिया था। प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड ४५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तर प्रदश अधिकतम जोत सीमा-अरोपण विधेयक, १९५९

उत्तर प्रदेश में जोतों पर अधिकतम सीमायें आरोपित करने तथा उससे संबंधित कतिपय अन्य विषयों की व्यवस्था करने के लिये ;

विधेयक

सामुदायिक हित के लिये यह आवश्यक है कि अधिक कृषि उत्पादन सुनिश्चित किया जाय तथा भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के लिये तथा अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये भूमि की इस प्रकार व्यवस्था की जाय जिससे अधिकतम लोकहित साधन हो ;

और भूमि का अधिक साम्यपूर्ण वितरण आवश्यक है ;

और पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये उत्तर प्रदेश में जोतों पर अधिकतम सीमायें आरोपित करने की व्यवस्था करना इष्टकर है ;

अतएव भारतीय गणतंत्र के दसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा १ के ऊपर दी हुई प्रस्तावना में शुरू के शब्द "सामुदायिक हित" से लेकर "साधन हो" तक निकाल कर उनके स्थान पर शब्द "सरकारी खेती तथा सहकारिता के आधार पर खेती की व्यवस्था करना आवश्यक है" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ—

पक्ष में—५ ,

विपक्ष में— १०४ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—अब तीसरी रीडिंग फल होगी ।

श्री गौरीशंकर राय द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—अध्यक्ष महोदय, मैं एक सूचना देना चाहता हूं वह यह है कि आज दिन में दारुलशफा के ए-ब्लाक के कमरा नम्बर १०४ और १०५ में पुलिस के कुछ अधिकारी और पन्द्रह बीस सिपाही गए थे, जब कि माननीय सदस्य वहां मौजूद नहीं थे। वह पुलिस के सिपाही वहां इसलिये गये थे कि उन्हें यह शक था कि विश्वविद्यालय के कुछ लड़के वहां छिपे हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर इस प्रकार से यह हुआ तो मैं समझता हूं कि इसमें सदन का और माननीय सदस्यों का दोनों का अपमान है ।

श्री अध्यक्ष—तो यह तो आपको लिखकर देना पड़ेगा क्योंकि सदन के अन्दर की बात नहीं है ।

श्री गौरीशंकर राय—जी हां, मैं लिखकर दे दूंगा ।

प्रदेश की ऊसर भूमि को आबाद करने से संबंधित १ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न १४–१६ के विषय पर विवाद

श्री अध्यक्ष––अब प्रदेश की ऊसर भूमि को आबाद करने की योजना संबंधित श्री विश्रामराय के १ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १४–१६ पर श्री नारायणदत्त तिवारी द्वारा उठाये गए प्रश्न के विषय में नियम ५० के अंतर्गत विवाद होगा ।

***श्री नारायण दत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)––श्रीमन्, माननीय विश्रामराय जी ने पहली अगस्त को तारांकित प्रश्न १४, १५, १६ के द्वारा प्रदेश की ऊसर भूमि के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्न दिये थे । मुझे खेद है कि माननीय कृषि मंत्री की ओर से जो उत्तर दिये गये वह नितान्त असन्तोषजनक थे । यह प्रश्न बहुत पहले से ही इस प्रदेश में बहुत गंभीर माना जाता रहा है और यह अत्यन्त आवश्यक है कि प्रदेश की जितनी भी ऊसर भूमि है उसको आज जो हमारी खाद्यान्न की स्थिति है, उसको देखते हुए कृषि योग्य बनाया जाय । प्रथम पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस पर बहुत जोर दिया गया और यह कहा गया कि हमें बहुत सफलता मिली है, लेकिन इस प्रश्न के उत्तर से स्पष्ट होता है कि सरकार की ओर से ऊसर को आबाद किये जाने के संबंध में जो कार्यवाही हुई है वह किसी प्रकार से सफल या सन्तोषप्रद नहीं कही जा सकती । प्रथम तो माननीय कृषि मंत्री आंकड़ों के संबंध में स्पष्ट नहीं हैं । उन्होंने पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि २३ लाख एकड़ ऊसर भूमि हमारे प्रदेश में है, लेकिन श्रीमन्, यह जो ऋतु और उपज की रिपोर्ट है उसके अनुसार प्रदेश में २८,८६,२९२ एकड़ ऊसर भूमि है जो कि कुल भूमि का २.५ होता है । मुझको इन आंकड़ों के संबंध में आश्चर्य हुआ कि क्या ऊसर भूमि इतनी ही है । इसके लिये योजनायें प्रदेश में रहीमाबाद, रहमान खेड़ा, भटनी और कटियार, इन चार जगहों में ऊसर भूमि पर योजना चल रही है ।

एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट में दिया है और उसमें बहुत स्पष्ट कर दिया है कि अभी तक करीब ७, ८ लाख रुपये की हानि इन चार फार्मों में सरकार को हो चुकी है । कहां तो यह योजना थी कि ३० लाख खर्च होगा और इससे हर साल सरकार को लाभ होगा और प्रदेश के किसानों को सहायता मिलेगी, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि वहां पर जो यह प्रश्न किया गया उसका कोई उत्तर नहीं मिला कि रहमान खेड़ा में लाखों रुपया खर्च किया गया और ९ हजार एकड़ ऊसर जमीन जो रिक्लेम करने की बात कही गई थी उसके विषय में क्या हुआ ? रिक्लेम करने में लाखों रुपया खर्च किया गया, भटनी में, कटिआर में तो वहां पर इसका क्या नतीजा निकला ? और प्रदेश के किसानों को वहां से कितनी सहायता मिली ? अगर वहां पर सफलता मिली तो किस प्रकार से उस सफलता को किसानों तक पहुंचाया गया ? मंत्री जी ने इसका जिक्र किया कि एक नई योजना बनाई जा रही है जिसके अनुसार किसानों को १०, १० एकड़ जमीन दी जायगी, लेकिन जब यहां पर प्रश्न पूछा गया कि कितनी एकड़ ऊसर जमीन आप रिक्लेम करना चाहते हैं और कितने किसानों को कितनी जमीन आप देंगे तो उसका उत्तर कोई भी प्राप्त नहीं हुआ । बन्यरा के सम्बन्ध में कहा गया कि एक नई खोज करके घास निकाला है उससे वहां पर चमत्कार हो रहा है, उस नई प्रकार की सत्यानाशी घास से रिक्लेम करने में बड़ी सफलता प्राप्त की है और उससे इस ऊसर का नाश किया जा रहा है, यह कहा गया, लेकिन जो सरल चमत्कार पाये जाते हैं और सुलभ हैं अपने प्रदेश में उनका कोई किसी प्रकार से अनुभव प्रदेश में नहीं किया जा रहा है । श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि .....

श्री अध्यक्ष––यह कौन घास है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी––इसका नाम सत्यानाशी घास है । मुझे तो डर लगता है कि कहीं यह हमारी स्कीम का ही सत्यानाश न कर दे ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष—यह तो अवश्य ऊसर का सत्यानाश करेगी।

श्री नारायण दत्त तिवारी—अगर यह ऊसर का नाश करे तो हमें प्रसन्नता होगी। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो यह ३० लाख एकड़ जमीन ऊसर पड़ी हुई है इसमें से अगर प्रदेश में ५, १० लाख एकड़ किसानों के सहयोग से, भूमिहीन किसानों के सहयोग से, जो कि भूमि के लिये तड़प रहे हैं, किसी प्रकार से उनके सहयोग से इसको रिक्लेम कर सकें और ऐसी कोई योजना बना सकें तो वह एक माने में सफलता मिलेगी, लेकिन योजना क्या है इसका हमें पता नहीं चलता है। केवल कहते हैं कि योजना चल रही है। अगर हमको भी मालूम होता तो हमें प्रसन्नता होती। सारे प्रदेश में ८००, ९०० ब्लाक खुलने की योजना है, लेकिन मंत्री जी से पूछने पर मालूम हुआ कि उनमें से केवल ऊसर भूमि की योजना के लिये १० ब्लाकों को छांटा गया है। केवल १० ब्लाकों में माननीय मंत्री जी ने माना कि ऊसर सम्बन्धी योजना के लिये कुछ जमीन छांटी, इसलिये यह योजना अपर्याप्त है और किस प्रकार से जो हमारी योजनाओं का लक्ष्य है कृषि के सम्बन्ध में वह आत्म निर्भर बनेंगी, उनको यह किसी तरह से पूरा नहीं करती। तो मैं अधिक समय न लेकर मैं सब बातों को जानना चाहूंगा कि जिन बातों के सम्बन्ध में विश्रामराय जी के प्रश्न में उत्तर दिया है उन सब बातों के सम्बन्ध में माननीय कृषि मंत्री जी द्वारा उत्तर और स्पष्टीकरण जानना चाहूंगा।

कृषि उपमंत्री (श्री कालीचरण अग्रवाल)—मान्यवर, माननीय तिवारी जी ने जिन बातों की ओर ध्यान आकृष्ट किया है उसके विषय में मुझे यह निवेदन करना है कि ऊसर भूमि की पृष्ठभूमि में हमको एक बात अवश्य देखना है कि जब हम कोई निष्फल प्रयास करते हैं तब अक्सर कहा जाता है कि हमारा प्रयास उस प्रकार का प्रयास है जिस प्रकार की ऊसर भूमि में हल चलाना और इसलिये ऐसे प्रयासों को चलाते समय हमें काफी सतर्कता बरतनी है और सोचना है कि ऐसे प्रयासों को हमें करना चाहिये जो सफल भी हो सकें। वैसे तो सरकार इस ओर काफी ध्यान दे रही है और ऐतिहासिक दृष्टि से अगर आप अवलोकन करेंगे तो इस सम्बन्ध में सन् १८८७ में एक रेह कमेटी बनी थी। उस समिति में सरकार ने यह विचार किया था कि किस प्रकार से ऊसर की समस्या को हम हल कर सकते हैं और उसके बाद जो-जो कार्य सरकार करती रही है और जो विभिन्न कृषि शास्त्री करते रहे हैं उनका कार्य सराहनीय रहा है। पर जो अन्तिम और बड़ा प्रयास सरकार ने किया वह सन् १९३७ में किया जब उसने एक ऊसर कमेटी बैठायी थी और उस कमेटी के श्री वी० एन० मेहता प्रेसीडेंट थे। उन्होंने अपनी जो योजना सरकार के सामने रखी थी उसमें उन्होंने यह कहा कि यह ऊसर की समस्या बड़ी जटिल समस्या है। यह समस्या ऐसी नहीं है जिसका हल हम उस तरह से कर लें जैसे हम और समस्याओं का समाधान करते हैं। और अगर उस तरह से हम प्रयास करेंगे तो वह सही कदम नहीं होगा।

सबसे पहले हमें यह करना होगा कि एक-एक जिले के हिसाब से हमको यह ज्ञात करना होगा कि कितनी जमीन वहां ऊसर है, जिस पर हम कार्य प्रारम्भ कर सकते हैं। माननीय तिवारी जी ने यह कहा कि जो आंकड़े हमने दिये हैं वह गलत हैं और २३ लाख एकड़ ऊसर भूमि न होकर ३० लाख एकड़ होना चाहिये। हमने जो ऊसर कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी है उसके आधार पर यह बताया है और यह भी बताया है कि इस रिपोर्ट के अनुसार हमारे प्रदेश में २० लाख २७ हजार ११९ एकड़ भूमि ऐसी है जिसको हम ऊसर कहते हैं। इसके अलावा कुछ रेह की भूमि है, कुछ ऊसर हैं, कुछ भूमि ऐसी है जो पथरीली है और इन सब बातों के कारण ऊसर की परिभाषा में भी बड़ा अन्तर पड़ जाता है। तो ऊसर कई प्रकार के होते हैं। ऊसर भूमि जिसकी हम समझते हैं उसमें कुछ भूमि तो ऐसी है जो पूर्णतया कृषि के तो योग्य नहीं है, लेकिन उसमें अगर थोड़ा सा परिश्रम किया जाय तो उसमें कृषि का उत्पादन बढ़ाया जाय सकता है। तो जो अन्तिम हमारा कार्य है वह यह है कि ऐसी भूमि

[श्री कालीचरण अग्रवाल]

जो लगभग ऊसर है उसमें ५ प्रकार की ऐसी जमीन है जिस पर हम परीक्षण तथा कार्य कर रहे हैं और विशेषज्ञों ने और ऐग्रीकल्चर विशेषज्ञों ने जिसकी परिभाषाएं की हैं उसके अनुसार ५ प्रकार की ऊसर उन्होंने बताई है। ए०, बी०, सी०, डी०, ई०।

"ए" वह जमीन है जहां कुछ थोड़ी सी घास होती है, ढाक इत्यादि उगता है और कुछ प्रकार के लवण और क्षार उसमें दिखाई देते हैं कहीं-कहीं जा करके उसमें बबूल पैदा हो जाता है। वह जमीन ऐसी नहीं है जो कुछ प्रयोग में न आ सकती हो। वहां अन्न भी पैदा हो सकता है।

"बी" ऐसी जमीन है जिसमें हम कुछ ऐसी घासों और ऐसी फसलों को पैदा कर सकते हैं जो हमारे जानवरों के लिये उपयुक्त हो और जहां हम कुछ बन वगैरह स्थापित कर सकते हैं।

"सी" वह जमीन होती है जो जहां पर हम थोड़ी सी घास वगैरह ऐसी पैदा करें जहां पर जानवरों का काम चल जाय।

"डी" और "ई" इस तरह की जमीनें होती हैं जहां विशेषज्ञों ने बतलाया है कि वहां पर कोई चीज पैदा नहीं हो सकती है। तो वह २३ लाख एकड़ भूमि ऐसी है जो ए०, बी०, सी०, डी० और ई० है और जिस पर कहीं पैदावार हो सकती है कहीं नितान्त नहीं। और अगर उस पर कोई प्रयास हमारा रहा तो वह हमारा प्रयास ऊसर में प्रयास ही होगा। तो सरकार का ध्यान इस बात पर रहा है कि जो भूमि इस प्रकार से है उस पर सबसे पहले प्रयोगात्मक रूप से देखना चाहिये कि कहां-कहां और क्या-क्या प्रयास सफल हो सकते हैं और यह नहीं है कि अगर कार्य प्रारम्भ हो और वह कार्य सफल नहीं रहता है तो फिर यही कहा जायगा कि ऐसा कार्य प्रारम्भ किया गया जो सफल नहीं हुआ और सरकार का लाखों रुपया बेकार हो गया है।

अब यह कहा गया कि रहीमाबाद की हमारी स्कीम में ७० लाख रुपया बर्बाद कर दिया गया और वह सफल नहीं हुई। तो हम ऐसी बातें नहीं करना चाहते कि जो सफल न हों। यह कहना गलत है कि सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया। सरकार लगातार उस अनुपात से जिसमें कि सफलता प्राप्त हो सकती है कार्य प्रारम्भ कर रही है। रहीमाबाद, ढकौनी और कटियार के जो तीन फार्म हैं उनके बारे में निवेदन करना चाहता हूं। प्रयोगात्मक रूप से हम इस एक नतीजे पर पहुंचे हैं कि हमारी सफलता का जो रेकार्ड रहा है वह बहुत सुन्दर कहा जा सकता है। हमारे सारे प्रान्त का उत्पादन का जो एवरेज है वह करीब-करीब ८ मन फी एकड़ होता है, लेकिन पिछले १० सालों में इन फार्मों पर हमारा प्रोडक्शन १० मन से लेकर १२ मन तक फी एकड़ का रहा है।

१९५१–५२ में हमने ३.२४ मन फी एकड़ के हिसाब से पैदा किया और उस समय हम निम्न श्रेणी की जमीन को उपयोग में लाये थे। लेकिन १९५८–५९ में हमारा प्रोडक्शन का ऐवरेज ११.७३ मन फी एकड़ हो गया। इसके साथ ही मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करूं कि हमने पिछले सालों में १,७५,१३२ मन अन्न इन तीन फार्मों में पदा किया जिसका मूल्य करीब-करीब २६ लाख के लगभग होता है। तो एक तो हमने उस जमीन को जो बिल्कुल बेकार थी, जिसको हम ऊसर कहते थे और वहां कुछ भी पैदा नहीं होता था, काम में लाये और उसमें पौने दो लाख मन गल्ला पैदा किया और उसकी कीमत २६ लाख रुपये की थी, साथ ही साथ हमने उन तमाम भूमिहीनों और मजदूरों को जो किसी प्रकार का रोजगार नहीं करते थे, वहां लगा कर काम दिया। सब से बड़ी बात तो यह हुई कि वह भूमि हमेशा के लिये कृषि योग्य भूमि बन गयी है जिसे सरकार ने बनाया है। तो यह कहना कि रहीमाबाद की स्कीम सफल नहीं हुई, मेरी समझ में नहीं आता और आदरणीय सदस्य यदि चाहते हों तो उसके लम्बे चौड़े आंकड़े भी हैं, क्या-क्या कार्य हुए हैं, उसकी क्या एक्सपेक्ट हैं, इन सब के बारे में पुस्तकें भी हैं, प्रयोगात्मक दृष्टि से जो कार्य हुआ है उन सबके

बारे में भी यहां सारी जानकारी मौजूद है और अगर समय होता तो मैं बता सकता था कि क्या क्या कार्य हुआ है, लेकिन इसमें भी सीमा हैं, क्योंकि हर जगह का ऊसर भी खेती के काबिल नहीं है।

तिवारी जी ने एक बात और यह कही कि प्रदेश में ९०० ब्लाक हैं, लेकिन कुल १० ब्लाक में ही सरकार कार्य प्रारम्भ करने जा रही है। मेरा निवेदन है कि हर जगह तो ऊसर होता भी नहीं। ऊसर जिन ब्लाक्स में हैं और ऐसा ऊसर जहां कि हम अपना कार्य प्रारम्भ कर सकते हैं उसे छांटने के लिये पहले हमें परीक्षण करना पड़ता है और इसीलिये वह सब करके हमने केवल १० ब्लाक्स में अपना कार्य प्रारम्भ किया है। हमें सबसे पहले यह देखना होता है कि वह जमीन किस प्रकार की है। आया वहां काम चालू हो सकता है अथवा नहीं और वहां की मृदुला में पैदावार भी हो सकती है या नहीं। बहुत सी जमीनें तो ऐसी होती हैं कि जहां अगर हम अपना काम शुरू कर दें तो लवण क्षार ऊपर आ जाता है और सारा काम बेकार हो जाता है। कई स्थानों पर पानी देकर लवण क्षार को निकाल दिया जाता है और उसके बाद उसमें पैदावार की शुरूआत की जाती है। तो वहां उस मृदुला में से काम प्रारम्भ हो भी हो सकता है यह भी हमें देखना पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऊपर जमीन अच्छी होती है, लेकिन नीचे से लवण क्षार होता है। तो यह एक टेक्निकल विषय है और उसे थोड़े से समय में बताया नहीं जा सकता। इसके लिये हमारे विशेषज्ञ कार्य कर रहे हैं और इन तीन फार्मों में काफी काम हो रहा है।

१० ब्लाक्स में हमने परीक्षण किया है और हम काफी सफल हुए हैं। १० जिलों में से जहां हमने इस वर्ष काम किया है वहां ५ जिलों में हमने २७० एकड़ जमीन को इस प्रकार बना लिया है कि जहां हमने चावल की पैदावार शुरू कर दी है। रहीमाबाद में जहां पहले १०० नम्बर का चावल पैदा होता था अब वहां अच्छा चावल भी होने लगा है और १९५८–५९ में हमने गेहूं भी पैदा करना शुरू कर दिया है। यह समस्या बड़ी गम्भीर है, यह हम मानते हैं, लेकिन इसके लिये शनैः शनैः हमको इस काम को हाथ में लेना पड़ेगा। अगर हम किसी प्रकार की जल्दी में कोई काम करते हैं तो उसमें गलती हो सकती है और गलती होने पर उस पर आक्षेप भी हो सकता है। उस जमीन को सुधारने का काम हमने अपने हाथ में लिया है और उस ओर हमारा ध्यान है।

एक बात और है। इस काम के लिये पानी की भी आवश्यकता होती है। जहां-जहां पर पानी के साधन उपलब्ध हैं वहां-वहां पर हम इस योजना को अपने हाथ में ले रहे हैं और हमने वहां पर कार्य प्रारम्भ कर दिया है। किन्तु यह कार्य शनैः शनैः ही होगा।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—माननीय मंत्री जी ने जो इस योजना की बात कही तो क्या उनको यह मालूम है कि सन् १९५०–५१ में पैदावार ५.१३, १९५१–५२ में ३.१६, १९५२–५३ में ७.६, १९५३–५४ में ४.५ मन फी एकड़ की है जिससे कि यह जाहिर है कि पैदावार दिन प्रतिदिन घटती जा रही है? क्या माननीय मंत्री जी इसका कारण बताने की कृपा करेंगे कि यह क्यों घटती रही?

श्री अध्यक्ष—यह आप कहां की बात कह रहे हैं?

श्री प्रताप सिंह—मैं खास तौर से रहीमाबाद की बात कह रहा हूं इस बात की ओर एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट में इशारा किया गया है, उसमें से मैंने पढ़ा है।

श्री कालीचरण अग्रवाल—अभी जो मैंने आंकड़े दिये थे और बताया था उससे यह जाहिर था कि ऐसी बात नहीं है कि लगातार पैदावार घटती रही हो। सन् १९५१–५२ में ३.२४ थी और सन् १९५०–५१ में ६.०० थी। सन् १९५१–५२ में पैदावार कम जरूर हुई, लेकिन उसका एक कारण यह भी है कि उस वर्ष हमने करीब ६ हजार एकड़ जो जमीन ली वह बिल्कुल निम्न श्रेणी की थी जहां पर कुछ पैदावार नहीं हो सकती थी।

[श्री कालीचरण अग्रवाल]

बाद में जो जमीन हमने और बढ़ाई वह भी घटिया किस्म की थी। तो पहले वर्ष तो इस प्रकार की जमीन पर पैदावार कम होगी ही। उसके बाद आप देखें कि सन् १९५२-५३ में वह ज्यादा हुई वह करीब ७.५४ थी। फिर १९५४-५५ में ९.४९ हो गयी। उसके बाद कुछ कम हो गयी। सन् १९५५-५६ में ८.३० हो गयी। १९५६-५७ में ८.०६ हुई और सन् १९५७-५८ में जाकर ७.८४ ही रह गयी। किन्तु सन् १९५८-५९ में ११.७३ हो गयी। तो इस प्रकार से पैदावार घटती बढ़ती जरूर रही है। इसका कारण यही है कि जमीन अच्छी किस्म की नहीं थी। यह कहना कि लगातार कम होती रही है, गलत है। दूसरे हम एक निम्न प्रकार की जमीन से अच्छी जमीन का मुकाबला क्यों करने लगते हैं? फिर हम तो उस पर प्रयोग की दृष्टि से कार्य करते हैं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस योजना के फलस्वरूप उन्होंने कितने लाख एकड़ भूमि पर प्रयोग किया है?

श्री कालीचरण अग्रवाल---इसके आंकड़े तो इस समय सरकार के पास इस रूप में नहीं हैं। हमने इस तरह के आंकड़ों को जोड़ कर कोई यह कार्य आरम्भ नहीं किया है। हमने तो ब्लाक्स के स्तर पर इस कार्य को किया है। इसके पहले भी जहां-जहां कार्य हो रहा था वहां पर हम इस कार्य में टेक्नीकल एडवाइस देते रहे हैं। उनको तकावी भी देते रहे हैं।

श्री उग्रसेन---श्रीमन्, मेरे प्रश्न का उत्तर तो नहीं दे रहे हैं....

श्री अध्यक्ष---उन्होंने बताया तो कि उनके पास इसके आंकड़े नहीं हैं।

श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितने वर्षों में ऊसर जमीन खेती लायक बन सकेगी?

श्री अध्यक्ष---पूरी २३ लाख एकड़ जमीन?

श्री राम सुन्दर पांडेय---जी हां।

श्री कालीचरण अग्रवाल---इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता। जैसे जैसे परीक्षणों में हमें सफलता मिलती चली जायगी हम इस काम को करते जायंगे।

श्री भजन लाल (जिला इटावा)---उन्नाव, कानपुर, इटावा, मैनपुरी में लाखों एकड़ जमीन ऊसर पड़ती पड़ी हुई है, उसको कब तक सरकार कृषि योग्य बना कर भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को देने की कृपा करेगी?

श्री अध्यक्ष---उन्होंने बता दिया कि वह इसका अन्दाज नहीं लगा सकते।

श्री भजन लाल---इन जिलों की लाखों एकड़ परती जमीन देख कर और वहां पर विशेष ध्यान देकर क्या सरकार उसको कृषि योग्य बनाने की योजना पर विचार कर रही है?

श्री कालीचरण अग्रवाल---जी हां, योजना है, १० जिलों में चालू भी की गई है, और जिलों में भी कर रहे हैं और तृतीय पंचवर्षीय योजना में हमने खास तौर से १० हजार एकड़ भूमि को कृषि योग्य बनाना स्वीकार किया है।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अब तक जितनी भूमि को उपजाऊ बनाया गया उसमें से उन्होंने कितनी भूमि भूमिहीनों को दी है?

श्री अध्यक्ष---इसका सम्बन्ध मूल प्रश्न से नहीं है।

श्री रामायणराय---मंत्री जी ने वक्तव्य में बताया था कि भूमिहीनों को बसाने की चेष्टा करते हैं, इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि कितने भूमिहीनों को जमीन दी गई है?

श्री अध्यक्ष---उन्होंने कहा कि आंकड़े नहीं हैं।

श्री मुक्तिनाथराय (जिला आजमगढ़)––क्या मंत्री जी को पता है कि आजमगढ़ जिले में सब से ज्यादा ऊसर है तो वहां पर वह कौन सी ऊसर सुधार की योजना चला रहे हैं?

श्री कालीचरण अग्रवाल––सम्भव है कि आजमगढ़ में सबसे ज्यादा ऊसर भूमि न हो, हां, ज्यादा हो सकती है तो धीरे-धीरे जब नम्बर आयेगा उस पर भी विचार किया जायगा।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)––जहां तक रहीमाबाद का सवाल है, उस योजना के पूरे होने का समय केवल तीन साल था जब कि आज उससे तीन गुना समय बीत गया, लेकिन एक-तिहाई जमीन भी खेती के लायक नहीं बन पाई है, इसका क्या कारण है?

श्री कालीचरण अग्रवाल––हमने ११ हजार एकड़ जमीन ली थी, थोड़ी सी जमीन मुंशी लैण्ड इंस्टीटच्यूट में चली गई थी, ८ हजार एकड़ हमारे पास बची है उसमें हमने २,७०० एकड़ जमीन पर प्रयोग प्रारम्भ किया, आधे पर हम अपना कार्य कर चुके हैं, लेकिन कुछ जमीन इस योग्य नहीं है कि उस पर कार्य प्रारम्भ किया जाय।

श्री नवलकिशोर––क्या मंत्री जी इस प्रकार के आंकड़े बता सकते हैं कि औसतन एक एकड़ भूमि को रिक्लेम करने पर कितना खर्चा होता है?

श्री कालीचरण अग्रवाल––प्रयोगात्मक रूप में बहुत खर्चा होता है, लेकिन अगर सही प्रकार से किसान कोशिश करे और हमसे टेक्निकल एडवाइस ले ले तो बहुत कम खर्चा होगा शायद २०० रुपये प्रति एकड़।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)––क्या मंत्री जी उन जिलों के नाम बताने की कृपा करेंगे जिनमें इस समय प्रयोग चल रहे हैं?

श्री कालीचरण अग्रवाल––हरदोई, उन्नाव, अलीगढ़, मैनपुरी, इटावा, कानपुर, गाजीपुर, आजमगढ़ और प्रतापगढ़। अभी एक माननीय सदस्य ने आजमगढ़ के बारे में पूछा था तो उनको विदित होना चाहिये कि आजमगढ़ में लालगंज में कार्य प्रारम्भ हो गया है।

श्री महीलाल––भविष्य के लिये उनके सामने कौन-कौन से जिले विचाराधीन हैं?

श्री अध्यक्ष––आप सीधे पूछ लेते कि मुरादाबाद विचाराधीन है या नहीं।

श्री प्रताप सिंह––मंत्री जी ने कहा कि १० हजार एकड़ में किसानों की मदद करने की योजना है तो मैं जानना चाहता हूं कि उनकी क्या योजना है, किस प्रकार से वह किसानों की मदद करेंगे?

श्री कालीचरण अग्रवाल––एक बड़ी भारी भ्रान्ति लोगों में यह चल रही है कि हमारे पास ऊसर जमीन है जिसका हम बटवारा करने वाले हैं। यह जमीन हमारे पास नहीं है, वह ग्राम पंचायतों के पास है। ग्राम पंचायत जिन लोगों के नाम उस जमीन के पट्टे करेगी उनकी हम मदद करेंगे। इस काम के लिये हमने अष्टमुखी योजना बनायी है और उसका हम परीक्षण करने जा रहे हैं। पहले तो हम यह चुनाव करेंगे कि किन-किन जमीनों को हम ले सकते हैं, उनको पहले हम चयन करेंगे फिर काम शुरू करेंगे।

इस जमीन को ठीक करने के लिये हम बी० डी० ब्लाक को ट्रेन कर रहे हैं और जो परीक्षण हमारे सफल हुए हैं उनको हम उन लोगों को बता रहे हैं। हमें यह देखना होगा कि वह जमीन की जिस पर हमें प्रयोग करना है या इनआर्गेनिक मेन्योर से उसको ठीक करना है, या दूसरे केमीकल्स के द्वारा उसको ठीक करना है। इस प्रकार से हमें यह देखना है कि किस चीज के द्वारा वह भूमि ठीक हो सकती है।

[श्री कालीचरण अग्रवाल]

किसानों को जो जमीन मिलेगी पंचायतों से उसके लिये भी हम कोशिश कर रहे हैं और उनको तकावी वगैरा तथा टेक्नीकल सहायता देकर हम मदद करेंगे।

एक चीज और है और वह यह कि इसके लिये पानी की सब से अधिक आवश्यकता होती है। इसलिये ऐसे स्थानों पर पानी का प्रबन्ध करने के लिये भी सोच रहे हैं। जब पानी का प्रबन्ध हो जायगा तो हमने यह सोचा है कि पहले तीन वर्षों तक हम कोई भी सिंचाई-कर नहीं लेंगे। जब थोड़ा सा ठीक हो जायगा तब चौथाई और बाद में जैसा ठीक होता जायगा, आधा फिर पूरा सिंचाई कर उनसे लेंगे। इस प्रकार से उनको प्रोत्साहन मिलेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, मुझे यह जानकर दुःख हुआ कि माननीय मंत्री जी के जवाब से बजाय इसके कि बात कुछ स्पष्ट होती वह और भी अस्पष्ट हो गयी। मैंने जमीन को ठीक करने के लिये सब से सफल परीक्षण "सत्यानाशी" के द्वारा जिक्र किया था, लेकिन माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में यह नहीं बताया कि यह घास इस्तेमाल की गयी या नहीं और न यह कि मेरी सूचना जो इसके बारे में थी, वह ग़लत है। सत्यानाशी घास का जो सब से सरल तरीका बताया जाता है उसका भी मंत्री जी ने उल्लेख नहीं किया। मैं ज्यादा न कह कर केवल इतना ही कहूंगा कि रहीमाबाद मे वे असफल रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि उसका भविष्य क्या है और वहां पर सरकार ने अब तक क्या प्रति एकड़ खर्चा किया है?

मैं आपके जरिये से यह भी मांग करूंगा कि सदन की इच्छा को देखते हुए माननीय मंत्री जी इस सारी योजना में आमूलचूल परिवर्तन करें और जहां तक वे सफल हुए हैं उन प्रयोगों को माननीय मंत्री जी किसानों तक पहुंचायें। इसके लिये भविष्य में मंत्री जी एक ठोस योजना बनायें। सारी योजना के बारे में माननीय मंत्री जी सदन में वक्तव्य दें और सदन के सामने उस योजना को रखें। आशा है निकट भविष्य में माननीय मंत्री जी इसके बारे में वक्तव्य देंगे और सदन के सामने उस योजना को प्रस्तुत करेंगे।

श्री कालीचरण अग्रवाल--आपने जो सत्यानाशी घास की बात पूछी, वह एक टैक्नीकल चीज है। इसमें सब से खास बात हम पानी का प्रबन्ध करने जा रहे हैं। बंधिया बनाने जा रहे हैं। जब पानी का इन्तजाम हो जायगा तो उस बेकार जमीन में पानी भर देंगे जिससे उसके लवण बह कर चले जायं। उसके बाद अप्रैल या मई में इस सत्यानाशी घास, जिसका जिक्र किया गया, उसको लगायेंगे। इसके अलावा और भी परीक्षण हुए हैं यानी उस जमीन में ढैंचा या सनई का प्रयोग किया जाता है और कहीं-कहीं बबूल भी हो जाता है। कहीं पर मोटे किस्म का चावल भी होता है। मोलेसिस से भी अच्छे नतीजे हमें मिले हैं। इसी प्रकार से दूसरी चीजें भी हैं जिनका प्रयोग जमीन की किस्म के हिसाब से किया जाता है।

जहां तक सत्यानाशी घास के प्रयोग की बात है, जैसा मैंने कहा कि जो जमीन बी० क्लास की या ई० क्लास की है वहां इसका प्रयोग होता है और होगा। जो हम बी० डी० ओज० या ए० डी० ओज० को ट्रेंड करेंगे वे इसका सफल प्रयोग करेंगे। उन्हीं के द्वारा इसका परीक्षण होगा। अब रहा यह कि इसको हम १९६१-६२ तक कर सकेंगे या नहीं, यह तो शनैः शनैः ही होगा और जैसा कि आप सोचते हैं, सन् १९६१-६२ के बाद आप इसको करेंगे, आप इसको नहीं कर सकेंगे। करेंगे हम ही।

श्री अध्यक्ष--अब हम उठते हैं, कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बज कर ४० मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
१० अगस्त, १९६०।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ १९६ पर)

परिशिष्ट 'क'

मैसर्स महेश्वरी देवी जूट मिल, कानपुर में प्लेग्राफ किये गये कर्मचारियों की संख्या का विवरण ।

माह	दिनांक	प्लेग्राफ किये गये कर्मचारियों की संख्या	माह	दिनांक	प्लेग्राफ किये गये कर्मचारियों की संख्या
अप्रैल, १९५९	१–४–५९	६१६	जून, १९५९	१–६–५९	१
	२–४–५९	६६१		२–६–५९	२
	३–४–५९	४७८		३–६–५९	..
	४–४–५९	७२४		४–६–५९	२
	६–४–५९	४७९		५–६–५९	२
	७–४–५९	२६८		६–६–५९	१
	८–४–५९	४७		८–६–५९	१
	९–४–५९	४८		९–६–५९	२
	१०–४–५९	२७		१०–६–५९	१
	११–४–५९	२५		११–६–५९	१
	१३–४–५९	२४		१२–६–५९	१
	१४–४–५९	४०		१३–६–५९	१
	१५–४–५९	४४		१५–६–५९	१
	१६–४–५९	३६		१६–६–५९	..
	१७–४–५९	३६		१७–६–५९	..
	१८–४–५९	३२		१८–६–५९	३
	२०–४–५९	२७		१९–६–५९	१
	२१–४–५९	२६		२०–६–५९	..
	२२–४–५९	२६		२२–६–५९	..
	२३–४–५९	२४		२३–६–५९	..
	२४–४–५९	२९		२४–६–५९	१
	२५–४–५९	२७		२५–६–५९	१
	२७–४–५९	१५		२६–६–५९	१
	२८–४–५९	१२		२७–६–५९	..
	२९–४–५९	१६		२९–६–५९	..
	३०–४–५९	१५		३०–६–५९	..
योग ..		३,८०२	योग ..		२३
मई, १९५९	१–५–५९	१५	जुलाई, १९५९	१–७–५९	१
	२–५–५९	१६		२–७–५९	१
	४–५–५९	१०		३–७–५९	१

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३०–३१ का उत्तर पीछे पृष्ठ २११ पर)

क्रम-संख्या	उद्योग का नाम	व्यक्तियों की संख्या	वितरित ऋण की धनराशि (रु० नये पैसे०)
१	मोटर बाडी बनाना, बोरिंग व टायर की मरम्मत	१	२,०००
२	पीतल व अल्मोनियम के बर्तन बनाना ..	१	८,०००
३	ऊनी कालीन बनाना	१	१०,०००
४	टीन के डिब्बे बनाना	१	२,५००
५	चमड़े के जूते बनाना	२	६,०००
६	गुड़ खंडसारी उद्योग .. .. (व लेमन ड्राप बनाना––केवल एक इकाई द्वारा।)	२	७,५००
७	पुराने टायरों की मरम्मत करना ..	१	८,०००
८	चांदी के वर्क बनाना	२	९,०००
९	इमारती चूना बनाना	२	११,०००
१०	सोने व चांदी की तारकशी	१	२,०००
११	फर्नीचर बनाना	१	२,०००
१२	ग्रामीण तेल उद्योग	४	३१,०९३·५०
१३	हड्डी की खाद बनाना	१	१५,०००
	योग ..	२०	१,१४,०९३·५०

उत्तर ३१––उपरोक्त वितरित ऋणों द्वारा निम्नलिखित उद्योग चल रहे हैं––

(१) मोटर बाडी बनाना, बोरिंग व टायर की मरम्मत।
(२) ऊनी कालीन बनाना।
(३) टीन के डिब्बे बनाना।
(४) चमड़े के जूते बनाना (केवल एक इकाई चल रही है।)
(५) गुड़ खंडसारी उद्योग (व लैमन ड्राप बनाना।)
(६) चांदी के वर्क बनाना।
(७) इमारती चूना बनाना।
(८) सोने व चांदी की तारकशी।
(९) ग्रामीण तेल उद्योग।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३४–३५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २१३ पर)

Copy of the Aims and Objects of the Millingtonia Avenue Street Scheme

The aims and objects of the scheme are to acquire the land to develop the same and to provide building sites and construct new streets.

Copy of the Aims and Objects of the Ashok Marg Development and Street Schemes, Lucknow

The aims and objects of the scheme are to acquire the land, develop the same and provide building sites and lay out new streets, etc.

Copy of the Aims and Objects of the Nakhas Central Improvement and Re-building Scheme, Lucknow

The aims and objects of this scheme are to acquire the land and houses, to develop the same and to lay out new streets and construct shops and flats.

पी० एस यू० पी०—ए० पी०—१२२ एल० ए०—१९६०—८४५ ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा